वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट
2008 - 2009

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति इन्द्रप्रस्थ पार्क स्थित शान्ति स्तूप में जापानी पार्क की आधारशिला रखने के समारोह के अवसर पर

श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुअल जारी करते हुए

श्री नंद लाल, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. पुष्प प्रदर्शनी देखते हुए

विषय-सूची

दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	1
वर्ष की विशेषताएं	3
प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र	5
कार्मिक विभाग	10
सतर्कता विभाग	11
विधि विभाग	13
प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग	21
इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप	24
योजना एवं वास्तुकला	34
आवास	63
भूमि प्रबन्ध एवं निपटान विभाग	68
खेल गतिविधियां	71
उद्यान– राजधानी को हरा–भरा बनाना	79
कोटि आश्वासन कक्ष	80
वित्त एवं लेखा विंग	82

आई.टी.ओ के समीप दि.वि.प्रा. के कार्यालय भवन –
विकास मीनार का रात्रि में एक दृश्य

1. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

दिल्ली ने बहुत से साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। वे अपने पीछे बहुत से स्मारक छोड़ गए जो विगत युग के वैभव और गौरव के साक्ष्य बन गए हैं। पौराणिक रूप से दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत में पांडवों की भव्य और अति समृद्ध राजधानी इन्द्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता रहा है।

अभिलिखित इतिहास के अनुसार तोमर राजपूत राजवंश ने 736 में लाल कोट की स्थापना की, जो कुतुब मीनार के समीप स्थित है। अनंगपाल दिल्ली के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अजमेर के चौहान राजपूत राजाओं ने 1180 में तोमरों से लाल कोट जीत लिया और चौहान राजा पृथ्वीराज III के नाम पर इसे नया नाम 'किला राय पिथोरा' दिया। वह 1192 में मोहम्मद गौरी की अफगान सेना से पराजित हो गए। उनके बाद, दिल्ली 1206 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। दिल्ली के पहले सुलतान कुतुबद्दीन ऐबक थे। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरु किया, जो तत्काल ही दिल्ली के प्रतीक के रूप में स्वीकार्य हो गया।

भारतीय इतिहास में दिल्ली 'किला राय पिथोरा' सहित 'सात साम्राज्यों की राजधानी' रही है, जिनमे से कुछ के अवशेषों को अभी भी देखा जा सकता है।

7 भिन्न नगर काल क्रमानुसार इस प्रकार हैं:

*पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित किला राय पिथोरा

*अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सीरी

*गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित तुगलकाबाद

*मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित जहाँपनाह

*फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित कोटला फिरोजशाह

*हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपनाह

गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित तुगलकाबाद किला

*शाहजहाँ द्वारा निर्मित शाहजहाँनाबाद

शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे–धीरे कमजोर होता गया और भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के पश्चात 1857 में दिल्ली ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन हो गयी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर II को पेंशन देकर रंगून भेज दिया गया। दिल्ली फिर से प्रकाश में आई जब 1911 में सामरिक महत्व के कारणों से ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से

सल्तनत काल का कुतुब मीनार और उसके आसपास के क्षेत्र

दिल्ली लाया गया। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन और हरबर्ट बेकर ने ब्रिटिश भारत की राजधानी को नियोजित किया। वायसराय का आवास (इस समय राष्ट्रपति भवन) किंग्सवे (इस समय राजपथ), सचिवालय, कनाट प्लेस उनकी अपनी नगर योजना के भाग थे।

युगों से दिल्ली विभिन्न शासकों के लिए वरीय रूप से शक्ति का केन्द्र रही है। इसने उत्तरी भारत में अपनी सामरिक महत्व की भौगोलिक स्थिति के कारण अपना ऐतिहासिक महत्व प्राप्त किया। इससे इसे उत्तर पश्चिम भारत से गंगा के मैदानों तक पुराने व्यापार मार्गों में प्रभुत्व रखने में मदद मिली। इसकी अवस्थिति के कारण यह नगर प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात विश्व के सबसे बड़े मानव–स्थानान्तरण को भी दिल्ली ने देखा। इस स्थानान्तरण से 1951 तक दिल्ली की जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गयी। नगर में बस्तियों का

झुन्ड बन गया। स्मारक और उद्यान भी ट्रांजिट कैंपों में बदल गए। इस अव्यवस्थित स्थिति से आवास की बड़ी कमी हो गई जिसके परिणामस्वरूप कालोनियों के निर्माण में अव्यवस्थिति हो गई और स्लम बस्तियों की वृद्धि हुई। इस अव्यवस्थित वृद्धि को रोकने और दिल्ली के सुव्यवस्थित विकास को नियोजित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1950 में श्री जी.डी. बिरला की

हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपनाह के स्थल पर पुराना किला

अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की।

इस कमेटी ने दिल्ली में सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक 'एकल योजना और नियंत्रक प्राधिकरण' स्थापित करने की सिफारिश की। परिणामस्वरूप, दिल्ली (भवन परिचालन नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 को लागू करके दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण का गठन किया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान पहचान 30 दिसम्बर 1957 को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के द्वारा मिली।

दिल्ली की पहली मुख्य योजना 1962 में 1982 के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई। 1990 में एक संशोधित योजना अपनाई गई। इस बार यह योजना वर्ष 2001 के परिप्रेक्ष्य में थी। अब दि.वि.प्रा. ने नई सहस्राब्दि में दिल्ली मुख्य योजना–2021 के साथ अपने नए लक्ष्य निर्धारित किए। 2021 के लक्ष्य ने दिल्ली को एक ग्लोबल महानगर और एक विश्व स्तर का नगर बनाने के प्रयास किए, जहां सभी एक बेहतर जीवन स्तर की ओर अग्रसर हों और अच्छे वातावरण में रहें। यह अच्छा, वास्तविक और सामाजिक वातावरण प्राकृतिक संसाधनों तथा संबंधित वातावरण संरचना का अधिकतम परिनियोजन करने के साथ–साथ वातावरण को संरक्षित करने और 19% हरित क्षेत्र के रखरखाव से सृजित होगा। योजना में खुले भू दृश्यों का संरक्षण करना और प्रदूषण मे यथेष्ट कमी करना भी शामिल है। दि.मु.यो.–2021 में मौजूदा भूमि नीति का सुधार, सार्वजनिक–निजी भागीदारी की सुविधा, पुराने, जीर्ण–शीर्ण क्षेत्रों के नवीकरण को बढ़ावा देना और जन परिवहन पर आधारित नगर की पुनः संरचना करना शामिल है। साकल्पवादी विकास के लिए, योजना रिज और क्षेत्रीय पार्कों हेतु कुल क्षेत्र के 15% प्रतिशत का संरक्षण, यमुना नदी का सुधार, विवाह और सार्वजनिक समारोहों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एकीकृत खेल परिसरों और बहुउद्देशीय मैदानों के सृजन पर जोर दिया गया हैं। संक्षेप में, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली को एक ऐतिहासिक नगर से भविष्य के नगर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

दिल्ली में 2010 में अयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की आवश्यकता को भी दिल्ली मुख्य योजना–2021 में रखा गया है। तदनुसार दि.वि.प्रा. न केवल दिल्ली के रूप रंग का उत्थान कर रहा है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष संरचना का वास्तविक विकास भी कर रहा है।

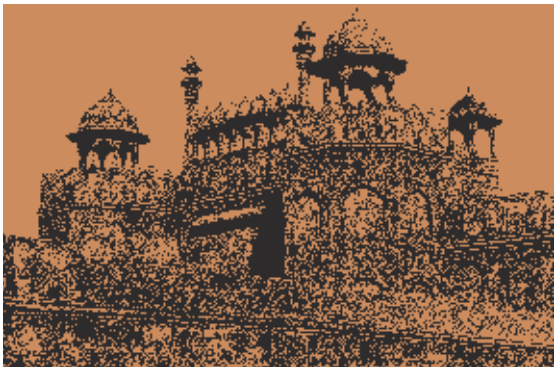

शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला

राष्ट्रपति भवन, तत्कालीन वायसराय का निवास स्थान

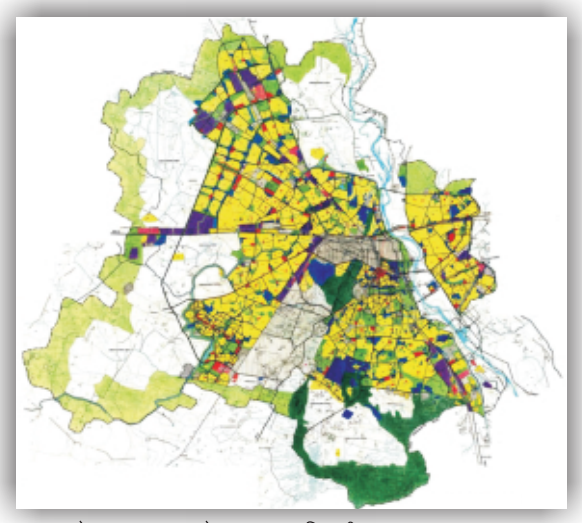

मुख्य योजना 2021 के अनुसार दिल्ली

2. वर्ष की विशेषताएं

2.1 वर्ष 2008–09 में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इस अवधि मे विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय योजनाएं बनकर पूरी हुईं। विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध मे आपत्तियों और सुझावों के संबंध में जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठकें हुई जिसके द्वारा योजनाओं को बनाने मे जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई। एक नई आवासीय योजना भी प्रारंभ की गई जिसमे विभिन्न श्रेणियों के 5535 फ्लैटों को फ्री होल्ड आधार पर आबंटित किया गया। दि.वि.प्रा. को अपनी दिल्ली मुख्य योजना–2021 के लिए पहचान मिली और उसे दि.मु. यो.–2021 की उत्कर्षता के लिए 'आइसोकार्प' पुरस्कार दिया गया। सभी स्लम समूहों मे नागरिक सुख सुविधाओं और सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए स्व स्थाने पुनर्वास योजनाओं का कार्य भी किया गया तथा इस उद्देश्य के लिए 21 समूहों की पहचान की गयी। पहले चरण में 4 पाकेटों कठपुतली कालोनी–शादीपुर डिपो, जे.जे. कालोनी जेलखाना बाग–अशोक विहार, भंवर सिंह कैम्प–वसन्त विहार और कालकाजी को लिया गया। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित आधारिक संरचना और विकास परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

भारत सरकार की यातायात और परिवहन नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और परिवहन इंजीनियरिंग की दृष्टि से परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए एकीकृत यातायात और परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र बनाया गया।

2.2 आवास

इस वित्त वर्ष के प्रारंभ में 13803 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा था। इनमें से 1186 आवासों का निमार्ण कार्य पूरा हो चुका है। 1 अप्रैल 2009 को 15197 आवासों का निर्माण चल रहा था। इनमें 771 म. आ.व., 7537 नि.आ.व., 3070 ई.एच.एस. और 3819 उ. आ.व के हैं। पहले से आवंटित फ्लैटों में से 1050 का नामान्तरण और 5391 का फ्री होल्ड में परिवर्तन किया गया। 'दि.वि.प्रा. आवास योजना 2008' नाम से एक आवासीय योजना शुरू की गयी जिसमें 5238 फ्लैट आबंटित किए गए।

2.3 भूमि अधिग्रहण / विकास

आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक आदि के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दि.वि. प्रा. ने रोहिणी, जसोला, द्वारका, नरेला आदि में बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किया।

वर्ष 2008–09 में 11.56 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया।

2.4 भूमि का निपटान

i) **सांस्थानिक प्लॉटः** 2008–09 के दौरान 63 सांस्थानिक प्लॉट आबंटित किए गए और प्रीमियम के रूप में 332.29 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई।

ii) **व्यावसायिक प्लॉटः** 2008–09 के दौरान 31.16 करोड़ रूपए की बोली राशि पर निविदा के द्वारा 2 व्यावसायिक प्लॉटों और एक होटल प्लॉट का निपटान किया गया। नेहरू प्लेस और मंगलम प्लेस मे 2 मल्टी लेवल पार्किग प्लॉटों का बी.ओ.टी आधार पर क्रमशः 33.39 करोड़ रूपए और 3.58 करोड़ रूपए की वार्षिक लाइसेंस फीस पर आबंटन किया गया। इसके अतिरिक्त 66 निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों को बेचा गया जिससे लगभग 27.62 करोड़ रूपए की बोली की कुल राशि प्राप्त हुई।

स्वर्ण जयन्ती समारोह के लिए विकास सदन को लाइट्स से सजाया गया

2.5 हरित क्षेत्रों का विकास और रखरखाव

दिल्ली में हरित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। ये हरित क्षेत्र नगर मे वायुप्रद स्थल के रूप में कार्य करते हैं। दि.वि.प्रा. ने 4 क्षेत्रीय पार्कों, 111 जिला पार्कों, 25 नगर वनों, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्रों / जोनल हरित क्षेत्रों / हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्कों, 1872 समूह आवासीय हरित क्षेत्रों, 13 खेल परिसरों और एक मिनी खेल परिसर के रूप में लगभग 5050 हेक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर चलाए गए एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान में लगभग 4.60 लाख पेड़ और झाड़ियां लगाई गई। नए मैदानों (लॉन) के रूप में 180 एकड़ भूमि का विकास किया गया और 40

बाल–उद्यानों का भी विकास किया गया।

2.6 दिल्ली मुख्य योजना–2021 / क्षेत्रीय योजना

दिल्ली मुख्य योजना–2021 के संशोधन पर कार्यवाही हुई। इस उद्देश्य के लिए गठित एवं सुनवाई बोर्ड ने प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई की। बोर्ड की सिफारिशों को प्राधिकरण के समक्ष रखा गया और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की गयी।

जांच एवं सुनवाई बोर्ड ने अपनी बैठक में विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई भी की जिसके द्वारा इन क्षेत्रीय योजनाओं को बनाने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गयी। विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं की सिफारिशें प्राधिकरण के समक्ष रखी गयी और अनुमोदन के बाद अंतिम अधिसूचना से पूर्व उसे शहरी विकास मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

2.7 निर्माण गिराना

निर्माण गिराने के 199 कार्यक्रम किए गए जिसमें 1325 अनधिकृत ढ़ांचों को हटाया गया और लगभग 38.09 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

2.8 कोटि नियंत्रण

अपनी चल रही विभिन्न परियोजनाओं में कोटि सुनिश्चित करने के लिए कोटि नियंत्रण विभाग ने 226 निरीक्षण किए, 365 रैन्डम नमूने एकत्रित किए और अपनी प्रयोगशाला में 7510 परीक्षण किए।

कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप बीआईएस ने दि.वि.प्रा. को ''क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन लाइसेन्स सी.आर.ओ./क्यू.एस.सी./एल.8002720 फॉर आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000'' प्रदान किया है जो मार्च 2010 तक वैध है।

2.9 प्रशिक्षण

कार्य शैली में तेजी से हो रहे परिवर्तन, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने के कारण कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान ने 30 विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 618 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 210 कर्मचारियों को 32 बाह्य कार्यक्रमो के लिए नामित किया गया।

2.10 ग्राहक–संतुष्टि के प्रयास

वर्ष के दौरान विभिन्न लेनदेनों और कार्य विधियों के संबंध में सूचना का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने और उसे आवंटितियों को सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गएः

i. टेलीफोन सलाह सेवा के द्वारा आवंटितियों को विभिन्न लेनदेनों से संबंधित सारी सामान्य सूचना टेलीफोन नं. 39898911 पर ही दी जाती है।

ii. दि.वि.प्रा. के विकास सदन और विकास मीनार स्थित कार्यालय में टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी वाले सूचना क्योस्क लगाए गए। ये क्योस्क प्राथमिकता संख्या, योजनाओं, पद्धतियों, नीतियों आदि के संबंध में सारी सूचना प्रदान करते हैं और इन क्योस्कों से नाममात्र के शुल्क पर विभिन्न लेनदेनों के प्रारूप भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन क्योस्कों पर दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस सूचना भी उपलब्ध है।

iii. मुख्य योजना सहित सारी नयी परियोजनाओं/नीतियों संबंधी सूचना शामिल करके ग्राहकों को अधिकतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए दि.वि.प्रा. ने विद्यमान वेबसाइट को अद्यतन बनाया है। यह द्विभाषी है। सार्वजनिक सूचनाओं तथा निविदा सूचनाओं को भी उपयुक्त तरीके से दर्शाया गया है।

iv. सुविधा केन्द्र के कर्मचारियों के साथ–साथ सलाहकारों को प्रशिक्षण प्रदान करके और उनकी संख्या बढ़ाकर सलाहकार सेवा को और मजबूत किया गया।

2.11 सूचना अधिकार अधिनियम–2005

सूचना अधिकार अधिनियम–2005, 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। दि.वि.प्रा. ने 69 जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) नियुक्त किए, जिन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। सूचना अधिकार अधिनियम, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों, आवेदन–फार्म आदि के संबंध में सूचना दि.वि.प्रा. की वेबवाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने से 31.3.09 तक 33109 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 32604 आवेदन पत्रों को निपटाया गया और 505 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

2.12 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

3.11.2008 से 7.11.2008 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान 10 दि.वि.प्रा. कर्मचारियों को दि.वि.प्रा. में की गयी उनकी समर्पित सेवा के लिए सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। भूमि प्रबन्ध और मुख्य अभियन्ता (रोहिणी) दो विभागों को वेबसाइट के माध्यम से पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी उत्थान के लिए किए गए उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए ट्राफी प्रदान की गयी।

3. प्राधिकरण का प्रबंन्ध तंत्र

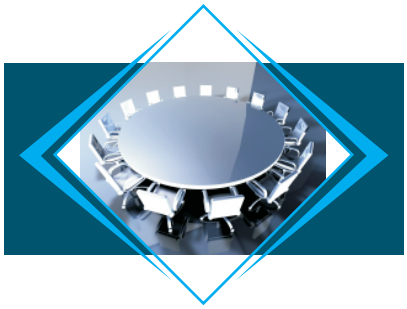

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

अध्यक्ष

श्री तेजेन्द्र खन्ना 01.04.08 से 31.03.09

उपाध्यक्ष

श्री अशोक कुमार 01.04.08 से 31.03.09

पूर्णकालिक सदस्य

श्री नंद लाल, वित्त सदस्य 01.04.08 से 31.03.09

श्री ए.के. सरीन, अभियन्ता सदस्य 01.04.08 से 30.06.08

श्री बी.के. चुघ, अभियन्ता सदस्य 04.07.08 से 31.03.09

केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य

श्री एम.एम. कुट्टी संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय 01.04.08 से 31.03.09

श्री पी.डी. सुधाकर सदस्य सचिव (रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड) 01.04.08 से 25.04.08

डा. नूर मोहम्मद सदस्य सचिव (रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड) 02.09.08 से 31.03.09

श्री के.एस. मेहरा आयुक्त (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री जे.बी. क्षीरसागर मुख्य योजनाकार (टी.सी.पी.ओ.) 01.04.08 से 31.03.09

गैर–सरकारी सदस्य

श्री महाबल मिश्रा (विधायक) 01.04.08 से 23.07.08

श्री सुभाष चोपड़ा (विधायक) 30.01.09 से 31.03.09

श्री जिले सिंह चौहान (विधायक) 01.04.08 से 23.07.08

श्री नसीब सिंह (विधायक) 30.01.09 से 31.03.09

श्री मांगे राम गर्ग (विधायक) 01.04.08 से 23.07.08

डा. हर्ष वर्धन (विधायक) 30.01.09 से 31.03.09

श्री राजेश गहलोत पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री सुदेश कुमार भसीन पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

1.4.2008 से 31.03.09 के दौरान प्राधिकरण की 4 बैठकें हुई और उनमें कुल मिलाकर 98 मदों पर विचार किया गया।

3.2 सलाहकार परिषद के सदस्य

अध्यक्ष

श्री तेजेन्द्र खन्ना 01.04.08 से 31.03.09

लोक सभा सदस्य

श्री सज्जन कुमार 01.04.08 से 31.03.09

श्री किशन सिंह सांगवान 01.04.08 से 31.03.09

श्री जयप्रकाश अग्रवाल 01.04.08 से 31.03.09

उपाध्यक्ष

श्री अशोक कुमार 01.04.08 से 31.03.09

सदस्य

श्री हीरेन टोकस पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री संजीव नय्यर पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री संजय सुर्जन पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री रवि प्रकाश शर्मा पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री सतबीर शर्मा पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री जे.पी. गोयल पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री चतर सिंह पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

श्री सुनील देव पार्षद (दि.न.नि.) 01.04.08 से 31.03.09

अध्यक्ष, दि.प.नि.

अध्यक्ष, सी.ई.ए.

महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय

अपर निदेशक (जन.) (आर.डी.)

मुख्य योजनाकार (टी.सी.पी.ओ.)

महाप्रबन्धक (विकास) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

नगर स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि.)

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन और समन्वय शाखा

सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने और सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना तथा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाने वाला अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से लागू किया गया है।

अधिनियम के महत्व को दर्शाते हुए नए अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित सूचना प्राप्त करना है। इससे दि.वि.प्रा. के कार्यकलापो में न केवल पारदर्शिता आएगी वरन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल प्रक्रियाओं के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलेगी।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए 14 पृथक काउंटर खोले हैं जहां फार्म/आवेदन पत्र और शुल्क भी प्राप्त किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं जो आर.टी.आई के संबंध में जनता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आर.टी.आई. के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक फार्म तैयार किया गया है जो कि अनिवार्य नहीं है एवं निःशुल्क है परन्तु दि.वि.प्रा. डाक द्वारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर भी आवेदन पत्र स्वीकार करता है।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 69 पी.आई.ओ. नियुक्त किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पी.आई.ओ. जरूरी है क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर–दूर फैले हुए हैं। सभी पी.आई.ओ को ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनता (पी.आई.ओ और अपील प्राधिकारियों) से आसानी से सम्पर्क कर सके।

इन सभी अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी.आई.ओ. में जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आर.टी.आई के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन–पत्र और आर.टी.आई के संबंध में अन्य विविध सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलबध है।

12 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2009 तक दि.वि.प्रा. को अधिनियम के अंतर्गत 33109 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 32604 आवेदन पत्रों को निपटाया गया और 505 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है तथा ये आवेदन पत्र 30 दिनों से कम अवधि से लम्बित हैं। 25 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 30 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित हैं।

3.4 स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस शाखा में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए नीचे लिखे विवरणानुसार 702 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नए	कुल
1.	टाइप I	29	18	47
2.	टाइप II	78	355	433
3.	टाइप III	40	119	159
4.	टाइप IV	4	41	45
5.	टाइप V एंव उच्च	3	15	18
		154	548	702

वर्ष 2008–09 के दौरान मार्च 2009 तक टाइप I, II, III, IV, V के 221 स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए। आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नए	कुल
1.	टाइप I	12	14	26
2.	टाइप II	22	118	140
3.	टाइप III	33	68	101
4.	टाइप IV	1	16	17
5.	टाइप V एंव उच्च	2	5	7
		70	221	291

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य विभिन्न मदें अर्थात स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात् फोटोकॉपिंग मशीन, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्रॉकरी, केलकुलेटर, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज आदि उपलब्ध करना और उन्हें जारी करना है।

उपयुर्क्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात् डैजर्ट कुलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। इन की उपलब्धता यथासंभव रूप से सरकारी रूप से नियंत्रित स्टोर्स/राज्य एम्पोरियम अथवा डी.जीएस.एंड.डी. दरों पर की जाती है। यह शाखा विकास सदन और विकास मीनार में दि.वि.प्रा. कार्यालयों हेतु अपेक्षित कार्यालय स्थान के आवंटन का कार्य भी करती है।

यद्यपि इस शाखा का जनता से कोई संबंध नहीं है फिर भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डाली जा रही है। दरें/निविदाएँ

आमंत्रित करने पर उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।

3.6 हिन्दी विभाग

01.04.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान हिन्दी विभाग द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 102 निरीक्षण किए गए। प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें भी आयोजित की गई। समिति की बैठकों में लिए निर्णयों पर कार्रवाई की गई। कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 6 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें 87 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सितम्बर 2008 में ''हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास'' का आयोजन किया गया। इस मास के दौरान हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टंकण, हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण और हिन्दी वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में 32 विजेता अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 63,200/– रू. के नकद पुरस्कार दिए गए। हिन्दी मास के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 37 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिन्दी सहायक सामग्री वितरित की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए लेखा–परीक्षा रिपोर्ट (2006–07) भर्ती नियमों, शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2007–08) की विभिन्न कार्यावली मदों, लोकसभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट, जोन सी.एफ.डी ए–बी, जोन–ए, जोन के–2, जोन ए.सी., जोन–एम, जोन–पी–1 और पी–जेड, जोन–एच, जोन–एल, जोन–जे, जोन–ई का अंतिम अनुवाद कार्य किया गया।

इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्तियों, अधिसूचनाओं, निविदा सूचनाओं ''विकास वार्ता'' के विभिन्न लेखों, कार्मिक विभाग के परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, संविदाओं तथा वित्त एवं व्यय विभाग के फार्मों का भी अनुवाद किया गया।

3.7 जन सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्य कलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रति प्रत्युत्तर जमा करना, जैसे कुछ कार्य हैं जो इस विभाग को सौंपे गए हैं

1.4.08 से 31.3.09 तक की गतिविधियां

1. 38 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में) जारी की गयीं जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों तथा आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को अवधि के दौरान प्रिंट के साथ–साथ दृश्य–श्रव्य मीडिया में भी कवर किया गया।

2. दूरदर्शन पर ''डेटलाईन''–दिल्ली'' के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े को दिखाया जा रहा है। 1.4.08 से 31.03.09 के दौरान 25 कड़ियां दिखाई जा चुकी हैं।

आवास मामलों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का दृश्य

3. अभियानों सहित विभिन्न समाचार–पत्रों में 89 विज्ञापन (अंग्रेजी+हिन्दी) प्रकाशित किए गए।

4. विभिन्न समाचार–पत्रों में छपी 37 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 10 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।

5. स्वागत कक्ष पर कम्प्युटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउन्टरों के द्वारा 115805 पत्र प्राप्त हुए और 71266 पत्र प्रेषित किए गए।

6. पुस्तकालय के लिए 702 नई पुस्तकें खरीदी गईं, दैनिक समाचार पत्रो में से दि.वि.प्रा. से सम्बन्धित 2553 प्रेस कतरनें काटी गईं।

7. दिल्ली विकास वार्ता के 4 अंकों का सम्पादन और मुद्रण किया गया। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की

2007–08 की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट का सम्पादन और मुद्रण किया गया।

8. 16–16 पृष्ठों (प्रत्येक के) वाले 'स्पोर्ट्स न्यूज लैटर' के 4 अंकों का सम्पादन किया गया और प्रकाशित किए गए तथा खेल विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किए गए।

9. 16 पृष्ठों वाले जैव वैविध्य न्यूजलैटर के 4 अंक प्रकाशित किए गए और भूदृश्यांकन विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किये गये।

10. फोटो सेक्शन द्वारा 114 समारोहों को कवर किया गया। 3208 फोटोग्राफ लिए गए और 2803 फोटोग्राफ डेवलप/मुद्रित किए गए और प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।

11. अवधि के दौरान टेली–काउन्सिलिंग के माध्यम से 11658 काल सुनी गयी।

12. दि.वि.प्रा. की वर्ष 2009 की 2000 डायरियाँ और वर्ष 2009 के 25000 वाल कैलेन्डर मुद्रित किए गए।

3.8 जन शिकायत निवारण प्रणाली

विकास सदन, स्वागत कक्ष स्थित विभिन्न काउंटरों का दृश्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 10 लाख से भी अधिक आवासीय इकाइयों, 640 से भी अधिक व्यावसायिक स्थानों, 22 औद्योगिक सम्पदाओं, लगभग 3600 सांस्थानिक प्लॉटों, 14 खेल परिसरों और विशाल हरित क्षेत्रों का विकास किया है/ सुविधाओं की व्यवस्था की है। इतने भारी विकास के कारण एक बड़े पैमाने पर जन–प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और अत्यधिक लेन–देन होने के कारण बड़ी संख्या में जन–शिकायतें भी होती रहती हैं।

दि.वि.प्रा. निपटान मे विलम्ब को कम करने, शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने और सुविधाजनक सूचना प्रदान करने के लिए नवीन उपाय अपनाकर एक उपभोक्ता–अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संगठित प्रयास करता रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों मे नियमित निगरानी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई, शक्तियों का प्रत्यावर्तन और विभिन्न तरीकों द्वारा सूचना का विकेन्द्रीकरण एवं प्रसारण शामिल है।

दि.वि.प्रा. जन शिकायत निवारण की एक 4 टियर–प्रणाली अपना रहा है जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतों/समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु किसी भी कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच

दि.वि.प्रा. स्वागत कक्ष, विकास मीनार

उप–निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों और प्रधान आयुक्तों से मुलाकात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष भी जनता से प्रत्येक बुधवार को पहले कोई समय लिए बिना मिलते हैं और अन्य दिनों में पहले समय लेने पर मिलते हैं ताकि वरिष्ठ अधिकारी आगन्तुकों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहे।

''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' के रूप में एक पंचम टियर (फिफ्थ टियर) भी सृजित किया गया है। अब जनता अपनी शिकायतों को उच्चतम स्तर पर रख सकती है। यह टियर वर्ष 2007 में जोड़ा गया है। यह प्रणाली 'नागरिक संबंध और शिकायत प्रबधन प्रणाली' के नाम से जानी जाती है और यह माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा 9 मई 2007 को राज निवास में आरंभ की गई थी। यह प्रणाली एक ''सहायता कक्ष'' है जो जनता से दिल्ली के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। नागरिक अपनी शिकायतें एक नंबर 155355 पर कॉल करके दर्ज करा सकता है। दि.वि.प्रा. से संबंधित सभी शिकायतें विभागाध्यक्ष की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाती है। यह साइट सभी विभागाध्यक्षों द्वारा रोजाना खोली जाती हैं। इसके अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है। पंजीकरण के समय किए गए टेलीफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से संपर्क भी किया जाता है। इन शिकायतों का निपटान ऑन लाइन रिकॉर्ड किया जाता है और उप–राज्यपाल द्वारा

मॉनीटर किया जाता है। संतोषजनक निवारक कार्रवाई किए जाने के बाद ही ये शिकायतें सूची से हटाई जाती है।

शिकायतों का निपटान :

1. **स्वागत काउन्टरों पर प्राप्त शिकायतें:** जनता द्वारा स्वागत काउन्टरों पर प्रस्तुत की गई शिकायतें कम्प्यूटरीकृत होती है और प्रत्येक शिकायत के लिए क्रम संख्या के साथ एक पावती दी जाती है। काउन्टरों पर प्रति दिन प्राप्त सभी शिकायतों की सूची संबंधित विभागाध्यक्षों को मॉनीटरिंग और त्वरित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2. **जन सुनवाई के दिनों में प्राप्त शिकायतें:** उप–निदेशकों, निदेशकों और आयुक्तों द्वारा जन सुनवाई प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के मध्य की जाती है।

   सार्वजनिक सुनवाई में कोई शिकायतकर्ता व्यक्ति उसी समय समाधान हेतु विभागाध्यक्षों, संबंधित निदेशक और उपनिदेशक से मिल सकता है। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इन शिकायतों की नियमित जांच की जाती है।

3. उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायतें, संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और उपाध्यक्ष द्वारा मॉनीटर्ड की जाती है।

4. ''उप राज्यपाल के सुनवाई पद'' से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निपटान हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हाल की स्थिति वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

5. शिकायतें जन शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से भी प्राप्त होती है। ये शिकायतें दि.वि.प्रा. के जन शिकायत विभाग द्वारा तुरन्त निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती है।

   इन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उनके तीव्र निपटान के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। उनके निपटान की मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च स्तर पर समय–समय पर नियमित समीक्षा की जाती है।

6. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजे जाने वाली शिकायतें निवारण हेतु उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। उनके निवारण की समीक्षा समय–समय पर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. और मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

इस प्रकार उपभोक्ता–संतुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. ने एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई हुई है। उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि के लिए स्वागत कक्ष पर सलाहकारों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। मार्ग दर्शन करने के लिए और फार्म भरने, प्रलेखन, परिकलन आदि संबंधी सहायता करने के लिए स्वागत कक्ष में 26 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सभी कार्यदिवसों को टेलीफोन नं. 39898911 पर एक विशेष परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई गई है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कार्यप्रणाली, प्रलेखन, नई योजना आदि के बारे में टेलीफोन पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये सेवाएं आम जनता के लिए वेबसाइट और विकास सदन एवं विकास मीनार स्थित टच स्क्रीन क्योस्क पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है।

2008–09 के दौरान प्राप्त की गई और निपटान की गई शिकायतों की स्थिति

i) 01.04.2008 को 46 मामले लंबित थे और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से 36 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 37 मामलो ंको निपटाया जा चुका है और 45 मामले विभागाध्यक्षों के यहां लंबित है।

ii) डी.ए.आर.पी.जी. से 31 मामले प्राप्त हुए और इनमें से 9 मामलों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाया गया है तथा शेष 22 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iii) शहरी विकास मंत्रालय से 119 जन शिकायतें प्राप्त हुई। उनमे ंसे 22 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया और शेष 97 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iv) निदेशक (जन शिकायत) के कार्यालय में और आगन्तुक पुस्तिका के माध्यम से क्रमशः 89 और 8 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से क्रमशः 15 और 1 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया तथा शेष उनके यहां लंबित हैं।

v) उपराज्यपाल के सुनवाई पद के माध्यम से 165 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 86 का समाधान किया गया है/प्रेषित किया गया है तथा शेष 79 लंबित हैं।

विकास सदन में सलाहकार काउन्टर का एक दृश्य

4. कार्मिक विभाग

दि.वि.प्रा. का कार्मिक विभाग प्राधिकरण के कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा मामलों से संबंधित कार्य करता है। वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां रही।

4.1 31.3.2009 को कर्मचारियों की संख्या

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	435	1358	5028	2084	8905
वर्कचार्ज (नियमित)	-	-	649	8941	9590
कुल	435	1358	5677	11025	18495

4.2 की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
सामान्य	83	63	302	-	448
अनुसूचित जाति	08	22	08	-	38
कुल	91	85	310	-	486

4.3 की गई भर्ती

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	01	02	10	34	47

टिप्पणीः उपर्युक्त आंकड़ों में अनु. जाति – अनु. ज. जाति श्रेणियों के सदस्यों के लिए शुरू किए गए एक विशेष भर्ती अभियान द्वारा पदों की विभिन्न श्रेणी में भरी गई रिक्तियां शामिल हैं।

राजेन्द्र प्लेस स्थित झील का एक दृश्य

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित एक हरित क्षेत्र

4.4 अशक्त व्यक्तियों की भर्ती/पदोन्नति (बैकलॉग रिक्तियां)

बैकलॉग रिक्तियों में से अब तक 04 रिक्तियां भरी गई हैं। शेष बैकलॉग रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.5 ए.सी.पी. योजना

भारत सरकार में चलाई गई योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में समूह ख,ग और घ कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. योजना शुरू की गई है। 482 पदधारियों को यह लाभ दिया गया।

4.6 कैडर समीक्षा

श्री आर.के. टिक्कू, आई.ए.एस., सेवानिवृत्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय की अध्यक्षता में कैडर समीक्षा समिति ने विभिन्न कैडरों जैसे :– लिपिक वर्गीय, आशुलिपिकीय, राजस्व, विधि, दि.वि.प्रा. प्रेस, हिन्दी, जनसंपर्क, प्रणाली, सुरक्षा और प्रशासनिक विंग के अन्तर्गत अन्य छोटे पृथक कैडरो के संबंध में कैडर समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति की रिपोर्ट को प्राधिकरण की 18.6.2008 की बैठक में मद सं. 49/2008 के माध्यम से भी रखा गया। समिति की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण के संकल्प को 29.8.2008 को शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

4.7 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

वर्ष 2008–09 के दौरान 6770 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फार्म जारी किए गए।

4.8 पेंशन मामले स्वीकृत करना

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ दिए गए :–

सेवानिवृत्ति/सुलझाए गए मामले	576
मृत्यु के मामले	159
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी	08
समूह बीमा योजना	196
हितकारी निधि	51

4.9 प्रशिक्षण

कार्मिक विभाग के नियमों और विनियमों की जानकारी को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर की जानकारी सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त आर.टी.आई अधिनियम पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

5. सतर्कता विभाग

5.1 सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारक उपायों के कार्यान्वयन तथा सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

5.2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने, व्यापक छानबीन करने तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से चार्ज–शीट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग अनुशासनिक प्राधिकारियों के अवलोकन के लिए जांच रिपोर्टों का विश्लेषण भी करता है और अपनी टिप्पणी देता है। इसके अतिरिक्त अपील समीक्षा याचिकाएं तैयार करने, निलम्बन, उनकी समीक्षा और नियमन का कार्य भी सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।

(I) चलाए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	आरोप–पत्र जारी किए गए	भारी दंड	हल्का दंड
2008 - 09 (01.04.08 से 31.03.09)	228	201	27

(II) निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	दंड लगाया गया	दोष मुक्त
2008 - 09 (01.04.08 से 31.03.09)	221	189	32

(III) प्राप्त की गई और जांच की गई सामान्य शिकायतें

वर्ष	आरंभिक	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई	शेष
2008 - 09 (01.04.08 से 31.03.09)	1740	788	1008	1520

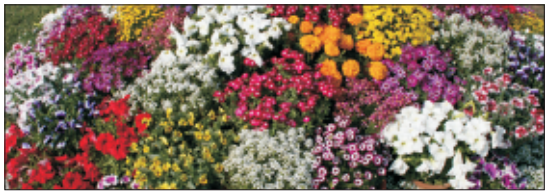

पुष्प प्रदर्शनी का एक दृश्य

(IV) दर्ज की गई प्राथमिक पूछताछ एवं की गई जांच

वर्ष	आरंभिक प्राथमिक पूछताछ	वर्ष के दौरान दर्ज	जांच की गई	शेष
2008 - 09 (01.04.08 से 31.03.09)	466	139	107	498

5.3 अपील, समीक्षा और सस्पेंशन नियमन मामलों की कार्यवाही के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। 47 मामलों में अपील आदेश जारी किए गए हैं और 13 मामलों में निलम्बन अवधि को नियमित किया गया है।

5.4 26 मामलों में अभियोजन संस्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 12 कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चलाने के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई।

5.5 इस वर्ष के दौरान 12 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2004 के अनुदेशो के अनुसार समीक्षा समिति ने समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों के 112 निलम्बन मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणामस्वरूप 26 कर्मचारियों को बहाल किया गया और शेष कर्मचारियों की निलम्बन अवधि को बढ़ाया गया।

5.6 सभी निगरानी मामलों की जांच पूरी की गई। 227 कर्मचारियों को चार्जशीट दी गयी।

स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी में जलाशय का दृश्य

5.7 सतर्कता स्टाफ द्वारा नियमित निरीक्षण कराए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान 23 निरीक्षण किए गए।

5.8 अवधि के दौरान सी.बी.आई. और भ्रष्टाचार–निवारण शाखा, दिल्ली पुलिस ने आई.पी.सी./क्रिमिनल पी.सी. के अंतर्गत 9 कर्मचारियों के विरुद्ध 06 मामले भी दर्ज किए। सी.बी.आई. /ए.सी.बी. के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा गया। दलालों के दबाव को समाप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. के अनुरोध पर ए.सी.बी. द्वारा निरीक्षण भी किए गए।

5.9 निविदा दस्तावेजों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, नोटिस निविदा–आमंत्रण, फ्लैटों/प्लॉटों के आवंटन से संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर दी गई हैं।

5.10 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, जो दि. 03.11.08 से 07.11.08 तक मनाया गया था, निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए :–

क) जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए।

ख) दि.वि.प्रा. में 10 कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए मोमेंटो और प्रमाण–पत्र देकर भी सम्मानित किया गया।

ग) पारदर्शिता लाने और वेबसाइट के माध्यम से उत्तोलन (लिवरेनिंग) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए दो विभागों अर्थात् भूमि प्रबंधन और मुख्य अभियंता (रोहिणी) को उनके सराहनीय कार्य हेतु ट्राफी अवार्ड की गई।

राम बाग, शालीमार बाग

आर.एस.के.पी., पीतमपुरा में विकसित हरियाली

6. विधि विभाग

6.1 मुख्य विधि सलाहकार, विधि विभाग के प्रमुख हैं। विभाग का प्रमुख कार्य, समय–समय पर उन्हें भेजे गए प्रशासनिक मामलों पर विचार–विमर्श करते समय नीति, नियमों, विनियमों और अधिनियमों पर सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को सहायता देने के लिए यह विभाग विभिन्न शाखाओं में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरुद्ध और उसके द्वारा दायर न्यायालय मामलों की संवीक्षा करता है। प्रशासनिक विभाग द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए अपील दर्ज होने अथवा आदेश के कार्यान्वयन, निर्णय से संबंधित मामलों की व्यापक जांच की जाती है। 2008–09 के दौरान लम्बित न्यायालय मामलों के विवरण निम्नलिखित हैं:–

6.2 उच्चतम न्यायालय में मामले (समकक्ष न्यायालय सहित)

क्र.सं.	विभाग	01.04.2008 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	31.03.09 को लम्बित कुल मामले
1.	योजना	73	16	-	89
2.	वर्क चार्ज	1	1	--	02
3.	भूमि निपटान	119	02	03	118
4.	आवास	102	21	12	111
5.	भूमि प्रबंध	469	71	21	519
6.	इंजीनियरिंग	15	--	02	13

6.3 उच्च न्यायालय में मामले (समकक्ष न्यायालय सहित)

क्र.सं.	विभाग	01.04.2008 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	31.03.09 को लम्बित कुल मामले
1.	योजना	47	86	57	76
2.	वर्क चार्ज	105	49	40	114
3.	भूमि निपटान	3053	54	44	3063
4.	आवास	1131	306	397	1040
5.	भूमि प्रबंध	2692	864	813	2743
6.	इंजीनियरिंग	1031	203	162	1072

6.4 जिला न्यायालय में मामले (समकक्ष न्यायालय सहित)

क्र.सं.	विभाग	01.04.2008 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	31.03.09 को लम्बित कुल मामले
1.	योजना	593	-	-	593
2.	वर्क चार्ज	116	50	11	155
3.	भूमि निपटान	1202	23	43	1182
4.	आवास	758	212	60	910
5.	भूमि प्रबंध	3803	747	764	3786
6.	इंजीनियरिंग	145	24	16	129

6.5 पटियाला हाउस न्यायालय में मामले

01.04.2008 को लम्बित कुल मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	31.03.09 को लम्बित कुल मामले
187	--	78	109

नवम्बर, 2008 से सभी 9 न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया और मामले संबंधित न्यायालयों को हस्तांतरित कर दिए गए।

6.6 कार्मिक एवं सतर्कता

1. 31.03.2009 को लंबित कुल मामले	152
2. वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त कुल (नए) मामले	105
3. वर्ष 2008–09 के दौरान निर्णीत मामले	151
क) विरुद्ध	63
ख) पक्ष में	88
4. कुल लंबित मामले	
क) कैट में	123
ख) उच्च न्यायालय में	22
ग) जिला न्यायालय में	07

6.7 भवन (बिल्डिंग)

1. मामलों की कुल संख्या	74
i) उच्चतम न्यायालय (नए)	05
ii) उच्च न्यायालय	29
iii) जिला न्यायालय	40
2. 2008–09 के दौरान निर्णीत कुल मामले	
i) उच्च न्यायालय	07
विरुद्ध	04
पक्ष में	03
ii) जिला न्यायालय	25
विरुद्ध	10
पक्ष में	15

6.8 प्रमुख महत्वपूर्ण मामलों का वृत्तांत और निर्णय निम्नानुसार है:

6.8.1 भूमि प्रबंध

क. उच्चतम न्यायालय मामले

1. एस.एल.पी. (सी) नं. 23867/2007, वेदपाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

अवार्ड नं. 26/2002–03, दिनांक 23.10.2002, गांव भर्थल (द्वारका)

वर्ष 2007 की यह एस.एल.पी. नं. 23867, दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 19.7.2007के आदेश के विरुद्ध सी.एम. (एम) 940/07 में दायर की गई थी, जिसके द्वारा याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि इसी प्रकार के अनेक मामले भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत विहित कानूनी हित के भुगतान के कारण उच्च न्यायालय में ले जाए जाते हैं। अधिवक्ता जानबूझकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा–18 के अन्तर्गत संदर्भ देकर माननीय जिला जज के समक्ष कार्यवाही को विलंबित कर रहे हैं। पहले भी माननीय जिला न्यायाधीश ने कई एक स्थगनों के बाद साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण याचिकाकर्त्ता की गवाही बंद कर दी थी।

कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, उच्चतम न्यायालय में दिनांक 16.9.2008 को प्रति–शपथ–पत्र दायर किया गया।

माननीय न्यायाधीश अल्तमस कबीर और माननीय न्यायाधीश साइरिक जोसफ जिला न्यायाधीश की पीठ ने आखिर मामले को दिनांक 2.3.2009 को कोर्ट नं. 7 में मद सं. 62 के रूप में सुना। याचिकाकर्त्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों का संदर्भ देकर और निचली अदालत तथा उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर एस.एल.पी. पर बहस की। दि.वि.प्रा. द्वारा दायर किए गए प्रति–शपथ–पत्र को पीठ ने इसके पक्ष में पाया और इसकी सराहना की तथा विस्तृत बहस सुनने के बाद पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

2. एस.एल.पी. (सी) नं 691/2008, वेदपाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

अवार्ड नं. 26/2002–03, दिनांक 24.10.2002, गांव भर्थल (द्वारका)

2008 की यह एस.एल.पी. नं. 691, एल.ए.सी. नं. 101–ए/2006 में माननीय अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.07 के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसके तहत माननीय अपर जिला न्यायाधीश ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर किए गए संदर्भ को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता मुआवजे को बढ़ाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था।

'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के बाद, उच्चतम न्यायालय में दिनांक 16.09.08 को प्रति–शपथ–पत्र दायर किया गया।

माननीय न्यायाधीश अल्तमस कबीर और माननीय न्यायाधीश साइरिक जोसेफ जिला न्यायाधीश की बैंच ने आखिर में इस मामले को दिनांक 2.3.09 को कोर्ट नं. 7 में मद सं. 62 के रूप में सुना। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले के तथ्यों और माननीय अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली के आदेश का संदर्भ देते हुए एस.एल.पी. पर बहस की। दि.वि.प्रा. द्वारा दायर किए गए प्रति–शपथ पत्र को बेंच ने सही माना और इसे सराहा गया। विस्तृत बहस सुनने के बाद बेंच

ने इस कारण से एस.एल.पी. को नहीं देखा कि याचिकाकर्ताओं के पास 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' की धारा 54 के अन्तर्गत अपील के लिए एक कानूनी प्रावधान उपलब्ध है। माननीय न्यायालय ने यह भी देखा कि, चूंकि याचिकाकर्ता अपनी समस्याओं पर इस न्यायालय में कार्रवाई करवा रहे हैं, अतः वे अपील–प्राधिकारी के समक्ष कानूनी अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि याचिकाकर्ता अन्य फोरम के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते रहते हैं।

3. i) एस.एल.पी. (सी) नं. 2113/07, सी.ए. नं. 1751/09, डीडीए बनाम महेन्द्र सिंह (गांव आली)

ii) एस.एल.पी. (सी) नं. 7484/07, सी.ए. नं. 1752/09, डीडीए बनाम महेन्द्र कुमार (गांव बहापुर)

iii) एस.एल.पी. (सी) नं. 7485/07, सी.ए.नं. 1753/09, डीडीए बनाम चन्दर मल (गांव आली)

उपर्युक्त एस.एल.पी. उच्च न्यायालय के दिनांक 25.5.2006 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की गई थी, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान हेतु याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में पारित किया गया था। मुद्दा उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के बारे में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित था। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों और सरकारी, एक्सचैकर पर भारी वित्तीय दबाव को देखते हुए, श्री ए. शरण ए.एस.जी को नियुक्त करने के लिए हिदायतें जारी की गईं ताकि मामले को उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सके। माननीय कोर्ट ने मामले में 2007 में नोटिस जारी किया। बहस पूरी होने के बाद, माननीय जस्टिस ए. पसायत और जस्टिस ए. गांगुली की पीठ के समक्ष दिनांक 23.02.2009 को कोर्ट नं. 3 में मद संख्या 54 के रूप में एस.एल.पी. दाखिल की गई। मामले पर सुनवाई के दौरान माननीय श्री ए. शरण, जिन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अनेक निर्णय सौंपे गए थे, एस.एल.पी. में डी.डी.ए. द्वारा उठाए गए कानून के सवाल के समर्थन में उन्हें देखा। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि डीडीए और सरकार दोनों अधिग्रहण की लाभभोगी हैं, वे उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और ब्याज का भुगतान नहीं करना चाहते। विस्तृत सुनवाई के बाद और निर्णयों के संदर्भ में पीठ ने अपना फैसला बाद में घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखा। इसके बाद दिनांक 20.3.2009 को यह मामला कोर्ट नं. 3 मे मद सं. 1 बी के रूप में निर्णय घोषित करने हेतु सूची में लिया गया। माननीय जस्टिस ए. पसायत जे. ने निर्णय डीडीए के पक्ष में दिया। एस.एल.पी. मंजूर होने पर उन्होने उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए डी.डी.ए. को अपील करने की अनुमति दी। इस प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के मामलों में एक बहुत बड़ी धनराशि बचा ली गई है।

4. एस.एल.पी. (सी) नं. 3475/07, वेद प्रकाश बनाम एल.ए.सी. एवं अन्य (गांव नांगलोई जाट)

याचिकाकर्ता वेद प्रकाश ने उपर्युक्त एसएलपी सूरजमल स्टेडियम, गांव नांगलोई जाट, रोहतक रोड़ पर स्थित अपनी भूमि खसरा नं. 14/1, 3/2 और 13 के संबंध में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत भूमि को अनधिसूचित करने का अनुरोध किया था। उच्चतम न्याायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर डीडीए की ओर से प्रति–शपथ पत्र दाखिल किया गया।

माननीय न्यायाधीश तरूण चटर्जी और वी. सिरपुर्कर जे.जे की पीठ द्वारा दिनांक 31.3.2009 को कोर्ट नं. 6 में मद सं. 12 के रूप मे एस.एल.पी. पर सुनवाई की गई। श्री के.एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता ने एस.एल.पी. पर याचिकाकर्ता की ओर से बहस की, जबकि भारत के एसएसजी श्री बी. दत्ता भारत संघ की ओर से और श्री वी.बी. सहार्या, अधिवक्ता डी.डी.ए. की ओर से उपस्थित हुए। श्री राव ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख किया और बहस की कि – चूंकि डीडीए ने स्वीकार किया है कि उन्होंने संदर्भाधीन भूमि का कब्जा नहीं लिया है और यह भूमि डी.डी.ए. की किसी योजना/ परियोजना के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है, अतः इस भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अनधिसूचित किया जाना चाहिए। अधिवक्ता श्रीवी.बी. सहार्या ने स्टेडियम के विस्तार का आगे विकास करने हेतु भूमि की आवश्यकता को स्पष्ट किया। पीठ ने विरोधी संदेहास्पद निर्णय में उच्च न्यायालय के जांच–परिणामों को नोटिस किया।

पार्टियों की विस्तृत बहस के बाद माननीय कोर्ट ने उच्च न्यायालय के जांच–परिणामों और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। तदनुसार, एस.एल.पी. खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने अपनी 'अचार फैक्टरी' बन्द करने के लिए और कच्चे माल को वहां से हटाने के लिए खाली करने हेतु कोर्ट से एक वर्ष का समय प्रदान करने का अनुरोध किया। माननीय कोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए याचिकाकर्ता को विवादास्पद भूमि को खाली करने के लिए 6 माह का समय प्रदान कर दिया और उससे कहा कि वह चार हफ्ते के अन्दर उच्चतम न्यायालय में एक वचनबंध प्रस्तुत करे।

5. वर्ष 2008 की पुनः एस.एल.पी. (सी) नं. 14884, शीला देवी बनाम भारत संघ

यह एस.एल.पी. झिलमिल ताहिरपुर गांव में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जो जी.टी. रोड शाहदरा पर रोड नं. 58 और रोड नं. 64 को जोड़ने वाली आरयूबी रोड़ के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनका उनकी भूमि पर निर्मित औद्योगिक स्ट्रक्चर है और जी.टी.

रोड के ऊपर मेट्रो रेल पहले से ही निर्मित है। अतः भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।

दिनांक 3.2.2009 को एसएलपी माननीय जस्टिस ए. पसायत, सिरकपुर और ए.के. गांगुली जे जे की कोर्ट नं. 3 में मद संख्या 9 के रूप में लिस्ट की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी द्वारा मामले पर बहस की गई। भारत के एएसजी श्री पी. त्रिपाठी ने भारत संघ/रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया जबकि श्री वी.बी. सहार्या डी.डी.ए. की तरफ से उपस्थित हुए। सुनवाई में एल.ए. सी. अधिसूचना के बारे में सड़क चौड़ी करने (घुमावदार बनाने) की परियोजना और डीडीए मुख्य योजना के प्रावधान आदि तथ्यों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत संघ/रा.रा. क्षेत्र दिल्ली ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सड़क को घुमावदार बनाने हेतु भूमि की आवश्यकता है। पार्टियों को सुनने ओर नक्शों की जांच–पड़ताल करने के बाद, पीठ ने एस.एल.पी. को खारिज कर दिया।

6. एस.एल.पी (सी) नं. 15579/2006, श्री नजमुद्दीन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

एस.एल.पी नं. 15579/2006, गांव बेगमपुर, महरौली की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2068/1985 पर पारित दिनांक 25.8.2006 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी है। माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी को सुना, जिन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास– (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों तथा कोर्ट की फाइल पर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उल्लेख किया। प्रत्युत्तर में डी.डी.ए. के अधिवक्ता ने माननीय कोर्ट को इस मामले की विभिन्न संबंधित तिथियों का स्पष्टीकरण दिया और यह भी कहा कि किस तरह से नजमुद्दीन एवं अन्य द्वारा निष्पादित की गई जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रॉक्सी मुकदमा चलाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने जी.पी.ए. के अन्तर्गत 1,50,000/– रू. की राशि में भूमि को दिनांक 24.9.1985 को हस्तांतरित कर दिया था। इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि भूमि का कब्जा डी.डी.ए. को सौंप दिया गया है। पीठ ने पार्टियों की दलीलें विस्तार से सुनी और अपना निर्णय 22.09.2008 को सुरक्षित रखा।

मामला फिर से दिनांक 18.12.2008 को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के समक्ष रखा गया। पीठ ने अनुमति प्रदान करने के बाद अपना निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ताओं की अपील उन पर 50,000/– रू. दंड लगाकर खारिज कर दी गई।

7. एस.एल.पी नं. 2958/2008, कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से श्री जयलाल (स्वर्गवासी) बनाम भारत संघ एवं अन्य अवार्ड नं. 17/86–87 (गांव–साहुपुर (द्वारका)

उपर्युक्त एस.एल.पी. जयलाल एवं अन्य की भूमि के संबंध में श्री जयलाल के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दाखिल की गई है। जयलाल और उसके भाईयों ने उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बढ़ाने के लिए एल.ए.सी. में आवेदन किया था। जयलाल की मृत्यु होने पर उनके कानूनी प्रतिनिधियों को लगभग 11 वर्ष तक रिकार्ड में नहीं लाया गया। तथापि, जयलाल के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर माननीय कोर्ट ने उन पर पार्टी के रूप में मुकदमा किया, क्योंकि मुकदमे के लिए आवेदन दाखिल करने की उनकी लापरवाही थी। माननीय कोर्ट ने मुकदमे के लिए आवेदन दाखिल करने में विलम्ब की अवधि हेतु मुआवजा राशि पर ब्याज का भुगतान न करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट के आदेश के संशोधन में उच्च न्यायलय के समक्ष चुनौती दी गई। एक सोचे समझे निर्णय के बाद उच्च न्यायालय ने संशोधन याचिका का निपटारा किया। मुआवजा राशि पर ब्याज के भुगतान को अस्वीकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश से दुखी होकर निर्णय के विरुद्ध एस एल पी उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई।

अंतिम निपटान हेतु एस.एल.पी. दिनांक 15.9. 2008 को माननीय जस्टिस तरूण चटर्जी और आफताब आलम, जे.जे. की पीठ के समक्ष लिस्ट की गई। रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली ने भी दि.वि.प्रा. की ओर से दाखिल किए गए प्रति शपथ–पत्र की तर्ज पर अपना प्रति शपथ–पत्र दायर किया। बेंच ने मामले पर सुनवाई की और एस.एल.पी. में कोई आधार न होने के बारे में डी.डी.ए. के तर्क स्वीकार किए तथा उसे खारिज कर दिया।

8. एस.एल.पी. (सी) नं. 4394/2006, श्री खुशाल चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य

खुशाल चंद द्वारा यह एस.एल.पी. नं. 4394/2006, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में पारित दिनांक 28.1.2005 के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी, जो उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी. नं. 2658/1992 में संशोधन याचिका (आर.पी.) नं. 111/2004 में पारित किए थे, और जिसके द्वारा रा.रा. क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई थी। समीक्षा स्तर पर नए तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका पर विचार करने के बारे में कानून का प्रश्न उठाया गया। हम डी.डी.ए. की ओर से उपस्थित हुए।

यह मामला गांव बहापुर में 11 बीघा से भी अधिक भूमि से संबंधित था, जिसे याचिककर्ता निष्क्रान्त भूमि होने का आरोप लगा रहे थे। वे 1/3 हिस्से का दावा कर रहे थे और भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे थे, क्योंकि यह 1962 में पारित अवार्ड नं. 1387 में शामिल

नहीं था। पहले भी माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने अपने दिनांक 13.11.2002 के आदेश द्वारा रिट याचिका नं. 2658/1992 की अनुमति दी थी और गांव बहापुर (नेहरू प्लेस) की लगभग 11 बीघा भूमि को अधिग्रहित करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था कि भूमि को उपयुक्त अधिसूचना जारी करके सरकार अपने कब्जे में ले और याचिकाकर्ता को उसका मुआवजा दे। रा.रा. क्षे., दिल्ली सरकार ने दिनांक 13.11.2002 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. नं. 602/2004 दाखिल की। तथापि, यह याचिका दिनांक 30.1.2004 को पुनर्विचार याचिका पसन्द करने के आधार पर वापस ले ली गई। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका नं. 111/2004 दाखिल की गई, जिसमें यह बताया गया कि विचाराधीन भूमि को निष्क्रान्त भूमि के रूप में घोषित करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश में महत्वपूर्ण सच्चाई को छुपाया गया है जबकि उक्त भूमि को याचिकाकर्ताओं के पिताओं ने बंधक कराया हुआ था और जिसे निष्क्रान्त भूमि बता कर अधिसूचना की धारा 4 तथा अवार्ड नं. 1387 में शामिल नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी और रिट याचिका पुनः आरंभ की गई तथा उसपर सुनवाई की गई और इसे 28.1.2005 को बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने केवल पुनर्विचार अदेश को चुनौती दी, न कि रिट याचिका को खारिज करने वाले आदेश को।

माननीय जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस मार्कन्डे काटजू द्वारा एस.एल.पी. पर दिनांक 25.2.2008, 16.4.2008 और 14.7.2008 को सुनवाई की गई। बेंच ने एस.एल.पी. स्वीकार की। तथापि डी.डी.ए. की ओर से श्री वी.बी. सहार्या द्वारा मामले के अद्भुत तथ्यों एवं रिट याचिका को खारिज करने के मौलिक आदेश को चुनौती न देने का संकेत दिए जाने पर, पीठ ने मामले की पुनः जांच की और संक्षिप्त टिप्पणी सहित दिनांक 14.7.2008 को एस.एल.पी. खारिज कर दी।

9. i) सी.ए.नं. 3413–3414/2001, मीरा साहनी बनाम दिल्ली के उप राज्यपाल (12 बीघा 06 बिस्वा)

ii) एस.एल.पी. (सी) नं. 11233–34/2001, पदमा महंत बनाम उप राज्यपाल, दिल्ली (15 बीघा 18 बिस्वा)

iii) सी.ए. नं. 6493/2002, मैसर्स सैफायर सेल्स प्रा0 लिमि. बनाम भारत संघ (07 बीघा 13 बिस्वा)

iv) सी.ए. नं. 6494/2002, मैसर्स एटर्नल एजेंसीज प्रा. लिमि. बनाम भारत संघ एवं अन्य (06 बीघा 19 बिस्वा)

v) सी.ए. नं. 6496/2002, जिर्कोन ट्रेडिंग प्रा. लिमि. बनाम भारत संघ (07 बीघा 13 बिस्वा)

उपर्युक्त अपीलें गांव महरौली में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ के दिनांक 21.12.2000 के निर्णय के विरुद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई थी। इस भूमि का कुछ भाग रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा एक अस्पताल के विस्तार हेतु अपेक्षित है। अतः मामला शीघ्र सुनवाई हेतु लिस्ट करवाया गया। भूमि अधिग्रहण मामलों में उठाए गए प्रश्न ये हैं कि यदि कोई पार्टी दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा–8 के अंतर्गत भूमि का कोई स्टेटस प्राप्त कर लेती है, तो क्या यह दिल्ली भूमि (अंतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1972 की धारा 5 के अन्तर्गत एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र / अनुमति हो सकता है और क्या ऐसी पार्टियां अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दे सकती हैं। इन मामलों को आखिर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 6.5.2008 से 8.5.2008 तक सुना गया और इसके बाद पीठ ने दिनांक 8.5.2008 को अपना निर्णय बाद में घोषित करने हेतु सुरक्षित रखा। इसके बाद माननीय कोर्ट ने दिनांक 15.7.2008 को अपना निर्णय घोषित किया और अपीलों को खारिज कर दिया।

10 (i) सी.ए. नं. 4361/2006, पृथी पाल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य

ii) सी.ए. नं. 4362/2006, जसवीर कौर बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य

iii) सी.ए. नं. 4363/2006, कैलाश बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य

iv) सी.ए. नं. 4364/2006, त्रिलोक सिंह बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य

v) सी.ए. नं. 4365/2006, बीना बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य

vi) सी.ए. नं. 4366/2006, गुरचरन सिंह बजाज बनाम भारत संघ एवं अन्य

याचिकाकर्ताओं द्वारा उपर्युक्त अपीलें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.2.2005 के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई हैं। इस निर्णय द्वारा गांव बुद्धपुर (जी.टी. करनाल रोड) में स्थित 166 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में आगे वृद्धि करने हेतु अपीलें इस कारण से खारिज कर दी गई हैं कि याचिकाकर्ता अपनी भूमि के लिए, जो कि माननीय अपर जिला जज, दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत संदर्भ चायिका में प्रदान की गई थी, 140,000/– रू. प्रति बीघा की दर से दावा कर रहे थे। हालांकि, लिखित तथ्य यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने संदर्भ याचिका में अपनी भूमि हेतु 20,000/– रू. प्रति वर्ग गज की दर से दावा किया था। तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 15.7.08 के आदेश के तहत इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और अपीलें सभी मुद्दों पर नए सिरे से सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय को वापस भेज दी गई हैं।

ख. उच्च न्यायालय मामले

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के भूमि प्रबंध विभाग में 159 नए मामले प्राप्त हुए हैं और 290 मामलों का निपटान कर दिया गया है। 98% से अधिक मामलों का फैसला डी.डी.ए. के पक्ष में हुआ है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नानुसार हैं:–

1. सी.डब्ल्यू.पी. नं. 1974/86, श्री एम.एस. दीवान बनाम भारत संघ।

इस मामले में गांव लद्धा सराय (कुतुब के निकट) में 66 बीघा 6 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण को विलंबित अधिग्रहण के आधर पर चुनौती दी गई थी और यह भी कि विचाराधीन भूमि पर धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना लागू नहीं थी क्योंकि वह निष्क्रान्त सम्पत्ति रही है। मामला दिनांक 11.04.2008 को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि को भूमि को पहले ही नीलामी में बेच दिया गया है और सम्पत्ति में अब उपलब्ध अधिकार पैदा हो गया है जोकि कानूनी तौर पर अधिग्रहणीय है। इस प्रकार डी.डी.ए. ने दक्षिण दिल्ली में कुतुब के निकट 66 बीघा 6 बिस्वा भूमि का कब्जा ले लिया है।

2. डब्ल्यू.पी.सी.–3762/99 – मैसर्स रेडिऐंस फिनकैप (प्रा.) लिमिटेड

इसमें रिट याचिकाओं के बैच ने गांव रंगपुरी में भूमि के अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में यह अनुचित है एवं मूर्खतापूर्ण है।

प्रत्येक मामले मे 2000/– रू. की लागत से रिट याचिकाएं इस आधार पर खारिज कर दी गईं कि भूमि का अधिग्रहण वैध है, चाहे अधिग्रहण किसी स्कीम को प्रतिपादित करने के लिए हो या नहीं, और जब एक बार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत इसकी आपत्तियां दाखिल कर दी गई थी और कुछ लोगों को सुन भी लिया गया था, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा–5 के अंतर्गत कार्रवाई दोषपूर्ण नहीं है।

अरावली जैव वैविध्य पार्क में लाल मुनिया पक्षी

3. एल.पी.ए. नं. 699/04 – डी.डी.ए. बनाम राजबीर सिंह।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के एकल जज द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में डी.डी.ए. की भूमि में प्रवेश करके उस पर कब्जा/अतिक्रमण कर लिया था। डी.डी.ए. की अपील थी कि वह भूमि दिल्ली में पड़ती है, अपील स्वीकार कर ली गई है और दिनांक 27.5.2008 के निर्णय के तहत माननीय सिंगल जज के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटा दिया गया है और कीमती भूमि वापिस ले ली गई है।

4. डब्ल्यू.पी.सी.–5569/07, मैसर्स लोहिया डिवेलपमेंट बनाम भारत संघ

इस मामले में अधिग्रहण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जब आसपास के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया गया है और उसे विकसित कर दिया गया है, तो विशेष योजना की अनुपस्थिति में भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों को अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। माननीय कोर्ट ने अपने दिनांक 08.08.08 के निर्णय द्वारा रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि नियोजित विकास जन–कल्याण उपयोग हेतु है और उसे मुख्य योजना तथा जोनल विकास योजना के साथ पढ़ा जाए, जो सरकारी दस्तावेज भी है।

5. सी.डब्ल्यू.पी. 3326 एवं सी एम (एम) – ईस्ट एन्ड अपाटमेंट आर.डब्ल्यू.ए. बनाम डी.डी.ए. एवं डी.डी.ए. बनाम अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन।

इन दो मामलों में, कानूनी रूप से अधिग्रहित की गई अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए डी.डी.ए. को निर्देश देने हेतु 'ईस्ट एन्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पी.आई.एल दाखिल की गई थी। एकतरफा निर्णय को रद्द करने और नियम 13 के आदेश 9 के अन्तर्गत डी.डी.ए. के आवेदन को इस आधार पर खारिज करने के लिए कि अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोर्ट को धोखा देकर डिक्री प्राप्त की गई है, डी.डी.ए. द्वारा एक और याचिका दायर की गई। बहस सुनने के बाद, माननीय कोर्ट ने धोखा देकर प्राप्त की गई एकतरफा डिक्री को रद्द कर दिया है और कहा है कि यह निष्प्रभावी है और इसे किसी भी समय पर किसी भी कार्रवाई में रद्द किया जा सकता है तथा अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन पर गांव चिल्ला सरोदा नगर में सरकारी जमीन को अधिग्रहित करने के संबंध में कोर्ट के समक्ष गलत बयानी करने के कारण 15,00,000/– रू. का जुर्माना भी लगाया है।

ग. जिला न्यायालय मामले

1. दि.वि.प्रा. बनाम भागमल आर ए सी 19/07

डी.डी.ए. द्वारा दाखिल की गई उपर्युक्त अपील पर अपर जिला जज सुश्री पिंकी की कोर्ट द्वारा दिनांक 30.5.08 को निर्णय दिया गया था, जिसके तहत हमारी अपील को अनुमति देकर, माननीय सिविल जज द्वारा पारित डिक्री रद्द की गई और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इस मामले में चाणक्यपुरी के निकट अरकपुर बाग मोची में लगभग 22 बीघा भूमि का एक बहुत बड़ा और बेशकीमती टुकड़ा शामिल है। यह वास्तव में दि.वि.प्रा. की ओर से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रू. की भूमि वापस ली गई है।

2. दि.वि.प्रा. बनाम मनमोहन सरीन

दि.वि.प्रा. द्वारा दाखिल की गई उपयुर्क्त अपील माननीय अपर जिला जज द्वारा दिनांक 22.10.2008 को स्वीकार की गई है और दक्षिण दिल्ली के प्रमुख स्थान अर्थात हौजखास में स्थित करोड़ों रु. की कीमत की भूमि का एक बड़ा टुकड़ा (लगभग 2 बीघा) वापस लेने के लिए फाइल प्रशासनिक विभाग को भेज दी गई है।

6.8.2 आवास

1.धरमवीर बनाम भारत संघ एवं अन्य (एल पी ए नं. 2337/2006)

यह मामला पिछले 10 वर्षों से उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रहा है। मामला एशियाई खेल गांव में फ्लैट के आवंटन से संबंधित है। इस मामले में भारत सरकार ने विदेशी विनिमय के लिए अनिवासी भारतीयों (नॉन–रेजिडेंट इंडियन्स) से आवेदन आमंत्रित किए थे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए अलग से 54 फ्लैट आरक्षित थे। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 फ्लैट उन व्यक्तियों को आवंटित किए थे, जिन्होने आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया था और याचिकाकर्ता, दरअसल जब डी.डी.ए. द्वारा स्कीम का विज्ञापन दिया गया था, अवसर का लाभ नहीं उठा पाया था, क्योंकि उसे स्कीम के बारे में जानकारी नहीं थी। स्कीम 1983 में समाप्त हो गई जबकि याचिकाकर्ता ने आवेदन अक्तूबर 1989 में दाखिल किया था। तत्कालीन संबंधित मंत्री ने आदेश पारित किए कि यदि अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कोटा से कोई एशियाई फ्लैट उपलब्ध है तो इसे याचिकाकर्ता को आबंटित किया जाए। वर्ष 1986 से 846 नं. का एक फ्लैट डी.डी.ए. स्टाफ क्वार्टर के लिए आरक्षित था और यह दबाव भी था कि उक्त फ्लैट खाली करवाया जाए और याचिकाकर्ता को आबंटित किया जाए। प्रथम चरण में तो एकल जज ने रिट याचिका में विवाद पर विचार किया और माना कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर मंत्री जी का आदेश केवल एक सिफारिश थी, न कि आवंटन का आदेश। डी.डी.ए. की आन्तरिक सूचना होने के कारण अन्य मंचों से भी आए अनेक पत्रों पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया और याचिका ऐसी सिफारिश के आधार पर अपना अधिकार सिद्ध न कर सकी। कारण यह था कि मंत्रीजी की सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी की अधिशासी कार्रवाई के रूप में नही माना जा सकता। अतः ऐसी कार्रवाई/सिफारिशें न तो बाध्यकारी हैं और न ही निर्णायक। कोर्ट ने तद्नुसार रिट याचिका और अपील दोनों को खारिज कर दिया। इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव हुआ, क्योंकि माननीय न्यायालय (कोर्ट) ने मंत्री जी और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के बीच भेद को निष्पक्ष और सारगर्भित बनाया है। वस्तुतः प्राधिकारी को प्रचलित नीति के अनुसार, मामले पर प्रशासनिक रूप से विचार करना चाहिए। याचिकाकर्ता

यमुना जैव वैविध्य पार्क में फूलों का रसपान करती हुई तितली

अरावली जैव वैविध्य पार्क के दलदली क्षेत्र में ड्रैगन–फ्लाई

अरावली जैव वैविध्य पार्क में बया चिड़िया का एक दृश्य

मंत्री जी की सिफारिश पर आवंटन हेतु उत्तेजित हो रहा था परन्तु कोर्ट ने उसकी दलील स्वीकार नहीं की क्योंकि मंत्री की सिफारिश कोई कानूनी मान्यता नही हो सकती।

2. समूह मामले (18) (मदन लाल नायक एवं अन्य बनाम दि.वि.प्रा.)

ये एक कमरे और दो कमरे वाले सेटों के ई.एच.एस. फ्लैट हैं जो डी.डी.ए. द्वारा वर्ष 2005 में आबंटित किए गए थे लेकिन चूंकि यह क्षेत्र पूर्णतः विकसित और रहने योग्य नहीं था अतः आबंटियों ने फ्लैटों का आबंटन लेने से मना कर दिया और वे फ्लैटों के मूल्य में भी कुछ राहत चाहते थे। विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और अन्त में यह मामला उच्च न्यायालय में चला गया और यह मामला पहले एकल न्यायाधीश के समक्ष दर्ज किया गया तो उन्होंने फ्लैटों की रहने योग्य स्थिति का वास्तविक आकलन किया और निर्देश पारित किए कि याचिकाकर्ता मांग एवं आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज सहित देय राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करेंगे और बकाया देय राशि का तब तक भुगतान नहीं करेंगे जब तक फ्लैटों में सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध न करा दी जाएं। माननीय एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को दूसरा विकल्प भी दिया जिसके तहत वे प्रचलित मूल्य के आधार पर ब्याज का भुगतान किए बिना मांगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान 45 दिन के अन्दर करने का विकल्प चुन सकते थे। कुछ आबंटियों ने 45 दिन की सीमा से अधिक के विकल्प का भी प्रयोग किया और क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नही हुआ था, अतः आबंटन पर रोक लगा दी गई। अब यह मामला उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. के समक्ष रखा गया और निर्णय लिया गया कि इन आबंटियों को प्रचलित मूल्य पर भी फ्लैटों का आबंटन किया जाए और श्री प्रवीण प्रकाश टमटा के एक मामले पर विचार किया गया और उसे मांग एवं आबंटन पत्र जारी कर दिया गया, परन्तु इसी प्रकार के अन्य आबंटियों के मामले में विभाग ने 18 माह से भी अधिक का समय लिया और माननीय न्यायालय ने इस मामले को एकल न्यायाधीश के निर्देशों के माध्यम पर निपटाने की राय दी। न्यायालय ने हमारे पैनल वकील से हमारे विभाग से हिदायतें लेने के लिए इच्छा प्रकट की कि क्या विभाग 02.02.2006 से 31.03.2008 तक 12 प्रतिशत ब्याज सहित जनवरी 2006 में प्रचलित मूल्य पर फ्लैटों का आबंटन कर सकता है। इस मामले पर आयुक्त आयुक्त (आवास) के कक्ष में चर्चा की गई जिसमें वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (आवास) II और पैनल वकील भी मौजूद थे और जनवरी 2006 में प्रचलित मूल्य (12 प्रतिशत ब्याज सहित) वसूल करने के न्यायालय के प्रस्ताव से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया, क्योंकि इससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं थी और माननीय न्यायालय ने सभी मामलों को यह कहकर निपटा दिया कि याचिकाकर्ताओं को 02.02.2006 से 31.03.2008 तक 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और निर्देश दिया कि डीडीए तद्नुसार 30 दिनों के अन्दर मांग पत्र जारी करेगा। यह आदेश विभाग के वित्तीय हित में है।

3. रेखा भार्गव एवं अन्य बनाम दि.वि.प्रा.

ये एक सी प्रकृति के 9 मामले हैं जो सराय खलील में लगभग 20 वर्ष पहले निर्मित किए गए म.आ.व. फ्लैटों से संबंधित हैं और इन फ्लैटों को 2006 की आवास योजना के अन्तर्गत आबंटन हेतु रखा गया था। पहले तो आबंटियों ने इन फ्लैटों का आबंटन स्वीकार ही नहीं किया था क्योकि फ्लैटों का निर्माण लगभग 20 वर्ष पहले किया गया था और वे जर्जर हालत में थे। आबंटिती शुरू में फ्लैटों की लागत में कटौती चाहते थे परन्तु विभाग ने प्रस्ताव रखा कि फ्लैटों को रहने योग्य बनाने के लिए उन्हें समुचित रूप से मरम्मत /सुधारा जाएगा। जब मामले पर हमारी स्थायी वकील सुश्री संगीता चन्द्रा द्वारा बहस की गई तो आबंटी काफी पहले लिए गए कुछ फोटोग्राफों से न्यायालय को बहका रहे थे। विभाग ने न्यायालय को सूचित किया कि अब फ्लैटों की पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई है और वे रहने योग्य हैं। तथापि, न्यायालय ने संबंधित निदेशक (आवास) को निर्देश दिया कि वे स्वयं जाकर फ्लैटों का मुआयना करें और फ्लैटों की स्थिति सुनिश्चित करने के बाद न्यायालय को सूचित करें। फ्लैटों का मुआयना करने के बाद, वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार की गई और न्यायालय संबंधित निदेशक (आवास) की रिपोर्ट से संतुष्ट हुआ। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा विभाग के पक्ष में दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता भुगतान न की गई राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे और याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वे यह भुगतान 2 माह के अन्दर करेंगे, ऐसा न करने पर आबंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यह दि.वि.प्रा. के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि हमने सराय खलील में इन पुराने फ्लैटों को प्राधिकरण को बिना कोई घाटा पहुँचाए ही निपटवाया है।

यमुना जैव वैविध्य पार्क में पेंटिड लेडी बटर–फ्लाई

7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

7.1 प्रणाली विभाग

7.1.1 भूमि रिकार्ड स्वचलन

यह भूमि रिकॉर्ड स्वचलन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) आधारित अनुप्रयोग है जो अधिग्रहीत भूमि पर सूचना देता है। यह बढ़े हुए मुआवजे की मॉनिटरिंग करने के साथ–साथ किसी भी दिए गए समय पर अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और उसकी स्थिति को मानीटर करने में सहायता करता है। 239 अधिग्रहित / अधिग्रहणाधीन गांवों में से 233 गांवों के संबंध में भूमि सूची तैयार कर ली गई है। इन 239 गांवों में से 161 गांवों के संबंध में मासाबीस को भूमि रिकार्ड के साथ एकीकृत किया गया है। शेष गांवों की मासाबीस राजस्व कर्मचारियों द्वारा फील्ड बुक्स से तैयार करना प्रस्तावित है। परियोजना दि.वि.प्रा. में परिचालित है और एल.एम.आई.एस. रिकार्ड दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7.1.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि सॉफ्टवेयर को भूमि निपटान विभाग में कार्यान्वित किया जा चुका है। इस सिस्टम का प्रयोग करके सभी आवंटन किए जाते हैं। भूमि सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के ड्रा के पश्चात् विभिन्न रिपोर्टों को बनाने का प्रावधान है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

आबंटियों से प्राप्त प्राप्तियों की सही प्रविष्टि को सुनिश्चित करने ओर प्राप्तियों के तीव्र सत्यापन के लिए आबंटियों को दि.वि.प्रा. में राशि जमा कराने के लिए कम्प्यूटर जनित चालान दिए जाते हैं।

फ्री–होल्ड परिवर्तन मोड्यूल विभाग में कार्यान्वित हैं। इस मोड्यूल के द्वारा ओवदनों की प्रोसेसिंग और मॉनीटरिंग को सरलीकृत किया गया है और इस सिस्टम के द्वारा आवेदनों की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गयी है। सम्पत्तियों के नामांतरण हेतु आवेदन पत्रों की मॉनिटरिंग हेतु मॉड्यूल कार्यान्वित कर दिया गया है।

1 अप्रैल, 2008 से 18 फरवरी, 2009 तक की अवधि के दौरान 1920 सम्पत्तियों के आबंटन हेतु भूमि प्रणाली के माध्यम से 76 ड्रा निकाले गए।

7.1.3 आवास

"आवास" हाउसिंग मैनेजमेंट और एकाउटिंग पैकेज सुचारु रुप से कार्य कर रहा है तथा इस पैकेज के द्वारा विभ्भिन कार्यकलापों जैसे पंजीकरण, आवंटन, रदद्करण, नामान्तरण/अंतरण, पते में परिवर्तन, भुगतान की विधि में परिर्वतन और प्राप्तियों के लेखांकन के कार्य किए जा रहे हैं। सभी आवंटन इस प्रणाली द्वारा किये जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के लिए सभी लेखा जोनों में आवास की प्राप्तियों का ऑनलाईन सत्यापन चल रहा है। मांग एवं वसूली बही, गैर–वसूली प्रमाण–पत्र, विविध देनदार और चूककर्ता सूची के संबंध में कार्रवाई करने की व्यवस्था भी आनलाइन कर दी गई है।

1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान लगभग 6,222 आवंटन किए गए और "आवास" के माध्यम से अन्य रिपोर्ट तैयार की गई।

7.1.4 फाइल ट्रैकिंग

डी.डी.ए. के सतर्कता विभाग में फाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर संचालित कर दिया गया है।

7.1.5 प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली

स्वागत कक्ष में प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली कार्य कर रही है। इस प्रणाली के माध्यम से अनेक प्रकार के अभिवेदन/अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं ओर संबंधित विभाग को भेज दिए जाते हैं। प्राप्त किए गए अनुरोध को आगे मॉनीटर करने का प्रावधान है।

इन्द्रप्रस्थ पार्क में टैरेस गार्डन

7.1.6 डीडीए वेबसाइट

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) है और विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भूमि, मुख्य योजना, खेलकूद, पर्यावरण, जैव वैविध्य पार्क और यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. आदि पर जानकारी उपलब्ध कराती है। जनहित की जानकारी जैसे दि.वि.प्रा. की विभिन्न कार्य विधियों, ड्रॉ, निविदा, आदि के द्वारा प्लॉट और निर्मित इकाइयों (दोनों) जैसी सम्पत्तियों के आवंटन के परिणामस्वरूप वेबसाईट पर उपलब्ध रहते हैं। सूचनाओं और निविदा सूचनाओं को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उचित तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

डाटाबेस से पंजीकरण, विवरण/प्राथमिकता की स्थिति/ आबंटन की स्थिति, भुगतान का विवरण देखने के लिए फार्म के माध्यम से चौबीस घंटे पूछताछ करने की व्यवस्था की दी गयी है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जन सूचना अधिकारियों /अपील प्राधिकारियों से ई–मेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। और इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत मेल बॉक्स भी उपलब्ध कराए गए हैं।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस सूचना, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थापित सूचना क्योस्क पर भी उपलब्ध है।

7.1.7 बायोमैट्रिक समय उपस्थिति प्रणाली / (टाईम अटेंडेंस सिस्टम)

दि.वि.प्रा. कार्यालय, विकास सदन में बायोमैट्रिक टाइम अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है।

7.1.8 वेतन नामावली प्रणाली

वेतन नामावली प्रणाली डी.डी.ए. के 16 आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में कार्यरत है और लगभग 18,500 कर्मचारियों का वेतन इस प्रणाली द्वारा बनाया जाता है सभी संबंधित रिपोर्टे जैसे–आयकर रिपोर्ट और जी.पी. एफ. रिपोर्ट इस माध्यम से तैयार की जाती है।

दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण विभाग में आयोजित किए गए अग्नि–शमन प्रशिक्षण सत्र का एक दृश्य

7.1.9 हार्डवेयर रखरखाव आदि

डी.डी.ए. के विभिन्न कार्यालयों में लगभग 1044 कंम्प्यूटर हैं। इन सभी प्रणालियों का रख–रखाव /अपग्रेडेशन/एन्टी वायरस की व्यवस्था करना/नेटवर्किंग आदि का समन्वय/आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। अधिकतर कंम्प्यूटरों में इंटरनेट लगा दिया गया है।

7.1.10 इंटरनेट एवं वेब सर्वर

विकास सदन और विकास मीनार में इंटरनेट सर्विंग का प्रबंध शेयर्ड इंटरनेट लीज्ड सर्किट और डेडिकेटिड वेब सर्वर तथ वी.एस.एन.एल. कार्यालयों में स्थापित सर्वर पर सेवाओं द्वारा किया जा रहा है।

7.1.11 विधि मामले की मॉनीटरिंग प्रणाली

इस प्रणाली द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर किए गए डी.डी.ए. के मुकदमों को मॉनिटर करने की व्यवस्था है। इसमें वकीलों के भुगतान बिलों का रिकार्ड भी रखा जाता है।

7.1.12 डी.डी.ए. पुस्तकालय की बार कोडिंग

डी.डी.ए. के पुस्तकालय में सभी पुस्तकों के बार कोड निर्धारित किए गए हैं। पुस्तकें जारी करने, वापस लेने जैसे रिकार्ड रखने और उनके उत्तम प्रबंध के लिए पुस्तकों को बार कोड दिए गए हैं। इन सभी कार्यों को सॉफ्टवेयर लाइवमैन द्वारा संचालित/प्रबंधित किया जाता है।

7.1.13 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली

डी.डी.ए. के विभिन्न विभागों/शाखाओं/जोनों में कार्यान्वयन हेतु एकीकृत प्रबंध प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रणाली अध्ययन पूरा कर लिया गया है और यह विकास के चरण में है तथा उम्मीद है कि वह इस वित्त वर्ष के अन्दर लागू करके पूर्णतया चालू कर दिया जाएगा। छः मॉड्यूल्स कार्मिक, सतर्कता, पेरौल, वेबसाइट, विजिटर्स गेट पास और जन शिकायत विकास के अन्तिम स्तर पर हैं। दि.वि.प्रा. के लगभग 1250 उपयोगकर्ताओं को कंम्प्यूटर बेसिक्स का प्रशिक्षण दिया गया है।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान को और निपुणता को बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों तथा विदेशों में अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित भी करता है।

7.2.2 प्रशिक्षण संस्थान ने बड़ी संख्या में दि.वि.प्रा.

के सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों को अन्य व्यावसायिक संस्थानों / एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्सों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित किया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रमों और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

आशुलिपिकों के पद हेतु विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण /कोचिंग कार्यक्रमों के संचालन में कार्मिक विभाग की सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।

7.2.5 वर्ष 2008–09 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने अपने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया है। भूकंप, अग्निकांडों आदि आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2008 - 09	30	618
2.	बाहरी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2008 - 09	32	210
3.	विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2008 - 09	-- शून्य --	– शून्य--

7.2.3 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नि.श्रे.लि., उ. श्रे.लि., सहायक आशुलिपिकों और लेखा कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सहायक/आशुलिपिक/उ.श्रे.लि./अनुभाग अधिकारी (उद्यान) और कनिष्ठ अभियंता श्रेणियों के लिए नये प्रशिक्षण मोड्यूल्स और अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

7.2.4 प्रशिक्षण संस्थान उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों, सहायक निदेशक (लिपिकीय) और वरिष्ठ

''आकस्मिक प्रतिक्रिया और सावधानी, प्राथमिक सहायता कोर्स'' पर प्रशिक्षण कोर्स में दो बैचों में प्रत्येक में 30–30 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त आर.टी.आई मामलो ंमें डील कर रहे कर्मचारियों की सभी श्रेणियो ंको सूचना अधिकार पर विशेष कोर्स संचालित करने हेतु बल दिया गया है।

7.2.6 चालू वर्ष के दौरान अनुभाग अधिकारी (उद्यान) / कनिष्ठ अभियन्ताओं और सहायक अभियन्ताओं के कैडर में अकाउन्ट्स टेस्ट के लिए परीक्षा संचालन हेतु एक विशेष कोर्स आयोजित किया गया।

उत्तरी रिज का एक शान्तिमय पैदल पथ

8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य-कलाप

8.1 इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

क) आवासीय भवनों का निर्माण।

ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।

ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

घ) विशेष परियोजनाएं/खेलकूद परिसर।

ड.) हरित क्षेत्रों जैसे मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केन्द्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के पार्कों इत्यादि का विकास एवं रख–रखाव।

वर्ष 2008–2009 के दौरान दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग की उपलब्धियां निम्नलिखित है :

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

8.2.1 दि.वि.प्रा. द्वारा 01.04.2008 को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2008–09 के दौरान शुरू किए गए नए मकानों और 2008–2009 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूरे किए गए मकानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	विवरण	एच.आईजी.	एम.आईजी.	एल.आईजी.	ई.डब्ल्यू.एस./जनता	कुल
1.	01.04.08 को प्रगतिधीन मकान	3,155	771	8,027	1,850	13,803
2.	2008–09 के दौरान शुरू किए जाने वाले नए मकानों का लक्ष्य	3,000	2,005	3,341	10,000	18,346
3.	2008–09 के दौरान शुरू किए गए नए मकान	880	शून्य	480	1,220	2,580
4.	2008–09 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकानों का लक्ष्य	216	शून्य	830	शून्य	1,046
5.	2008–09 के दौरान पूरे किए गए मकान	216	शून्य	970	शून्य	1186
6.	1.4.2009 को प्रगतिधीन आवास	3,819	771	7,537	3,070	15,197

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

8.3.1 दिनांक 01.04.2008 को प्रगतिधीन विभिन्न शॉपिंग/व्यावसायिक परिसरों और वर्ष 2008–09 के दौरान शुरू और पूरे किए गए नए परिसरों की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	डी.सी.	सी.सी.	एल.एस.सी.	सी.एस.सी	कुल
1.	01.04.2008 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	3	15	8	4	30
2.	2008–09 के दौरान शुरू किए जाने वाले नये व्यावसायिक परिसरों का लक्ष्य	1	9	8	11	29
3.	2008–09 तक शुरू किए गए नए व्यावसायिक परिसर	शून्य	1	शून्य	शून्य	1
4.	2008–09 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकानों व्यावसायिक परिसरों का लक्ष्य	2	4	2	3	11
5.	2008–09 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक	2	शून्य	1	1	4
6.	1.4.2009 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	1	16	7	3	27

टिप्पणी : डी.सी. – जिला केन्द्र, सी.सी.–समाज सदन, एल.सी.सी. – स्थानीय बाजार, सी.एस.सी.– सुविधा बाजार।

इन सबके अतिरिक्त द्वारका में 11 समाज सदनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8.4 मुख्य भूमि विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना के अनुसार नगर सीमाओं का विस्तार करके नए उप–नगरों का विकास करके और शहरी विस्तारों के लिए भौतिक आधारित संरचना जैसे सड़क, सीवरेज, नाले, जलापूर्ति, पावर लाईन और मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करके लगातार विकास कार्यकलाप कर रहा है। ये शहरी विस्तार द्वारका, नरेला, धीरपुर, रोहिणी, वसन्त कुन्ज फेज–II, लोकनायक पुरम (बक्कर वाला) हैं।

8.4.1 उक्त विस्तृत मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति नीचे तालिका के रूप में दी गई है:

क. योजना में दी जाने वाली सेवा की कुल लम्बाई।

ख. 31.03.2008 तक दी गई सेवाएं।

ग. 31.03.2009 तक दी गई सेवाएं।

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे॰ में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
द्वारका फेज - I	1862	क	101.35	59.30	79.925	150.00
		ख	101.35	59.30	79.925	150.00
		ग	-	-	-	153.10
द्वारका फेज - II	2098/1194	क	79.48	57.762	59.82	111.80
		ख	57.26	37.70	56.00	52.30
		ग	57.26	37.70	56.00	52.30
नरेला	7282 / 450	क	90.90	33.00	33.00	79.00
		ख	74.26	32.00	28.00	60.00
		ग	74.26	32.00	28.00	60.00
धीरपुर	194.50	क	7.30	6.00	6.00	10.00
		ख	5.80	3.00	--	--
		ग	5.80	3.00	–	–
रोहिणी फेज - III	1000 / 700	क	168.00	26.60	55.00	83.00
		ख	168.00	26.60	55.00	83.00
		ग	--	--	–	–
रोहिणी फेज - IV एवं V	4000 / 788 + 100 हेक्टे. (हाल में अधिग्रहित)	क	52.84	20.358	57.35	115.77
		ख	20.65	9.90	24.72	11.88
		ग	34.19	16.06	54.05	36.89
लोकनायक पुरम	60	क	2.60	4.14	5.21	4.28
		ख	2.60	4.14	5.21	4.28
		ग	2.60	4.14	5.21	4.28

8.5 विशेष मुख्य परियोजनाएं / खेल परिसर

दि.वि.प्रा. ने विकास के भाग के रूप में और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2008–09 के दौरान निम्नलिखित विशेष / मुख्य परियोजनाएं पूरी / शुरू की हैं।

8.5.1 वर्ष 2008–09 के दौरान पूरी की गई विशेष मुख्य परियोजनाएं

i) सराय काले खां फेज–II अ.रा.बस अड्डा के निकट मिलेनियम पार्क।

ii) मंदाकिनी के सामने अलकनन्दा में समाज सदन एवं पुस्तकालय।

iii) बसन्त कुंज में स्मृति वन का विकास।

iv) हौजखास जिला पार्क का सुधार एवं सौंदर्यीकरण।

v) धौला कुंआ में झील पार्क का सुधार।

8.5.2 विशेष मुख्य परियोजनाएं, जो चल रही हैं।

i) नरेला में समेकित भाड़ा परिसर।

ii) यमुना नदी तट का विकास (गोल्डन जुबली पार्क)।

iii) जसोला फेज–2 में जिला केन्द्र (केवल रोड कार्य)।

iv) सतपुला झील परिसर का विकास।

v) स्थानीय बाजार एवं मदनगीर गांव के मध्य भूमि का विकास।

vi) तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर का विकास।

vii) नेहरू प्लेस जिला केन्द्र के निकट आस्था कुंज का विकास।

viii) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का उन्नयन।

ix) झड़ौदा माजरा एवं वजीराबाद में यमुना जैव वैविध्य पार्क का विकास।

x) वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क का विकास।

xi) वसन्त कुन्ज फेज–2 में सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर का विकास।

xii) शास्त्री पार्क में प्लॉट नं. 17 पर सभा केन्द्र।

xiii) सीबी.डी. शाहदरा में 46 हेक्टेयर भूमि का विकास।

xiv) जहांपनाहनगर वन के निकट चित्तरंजन पार्क में लघु खेल परिसर।

xv) निगम बोध शमशान घाट का विकास एवं उन्नयन।

xvi) महरौली में वास्तु कलात्मक पार्क का विकास।

xvii) मधुबन चौक में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण।

xviii) अक्षरधाम मन्दिर के निकट राष्ट्रमंडल खेलगांव

xix) सिरीफोर्ट एवं यमुना खेल परिसरों मे प्रतियोगिता केन्द्र।

xx) जीटी के रोड़ से पश्चिमी यमुना नहर तक 100 मीटर मार्गाधिकार का निर्माण

xxi) सरिता विहार में फ्लाई ओवर के लिए थ्री क्लोवर लीव्स का निर्माण।

xxii) लाजपत नगर में नाले को ढकना

xxiii) डिफेंस कालोनी में नाले को ढकना।

8.5.3 खेल गतिविधियाँ पूरी की गई।

i) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्ट्स के तल पुनः बिछाना।

ii) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्ट्स में सिंथेटिक की ऊपरी परत बिछाना।

iii) साकेत खेल परिसर में कवर्ड बैडमिन्टन हॉल।

iv) सरिता विहार में ऑक्सीडेशन पॉण्ड के निकट खेल मैदान का विकास।

8.6 उद्यान कार्यों का विकास/रख–रखाव

दि.वि.प्रा. ने हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया है जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं दि.वि.प्रा. में श्रेष्ठ पार्कों या हरित क्षेत्रों की बेहतर प्रणाली का विकास करने का दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा. ने लगभग 16 हजार एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें नगर वन, जंगल, हरित पट्टियां, जिला पार्क, जोनल पार्क, समीपवर्ती पार्क और रिहायशी कालोनियों में स्थित लघु भूखंड शामिल है।

वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लॉनों का विकास (एकड़ में)		बाल उद्यानों का विकास (सं.में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2008-09	4.45	4.60	242.45	180.00	56	40

जैव वैविध्य पार्क की नर्सरी में विभिन्न किस्मों का विकास

8.6.1 वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क

अवस्थिति एवं स्थल दशा

अरावली जैव वैविध्य पार्क इस समय वसन्त विहार और वसन्त कुन्ज के बीच लगभग 690 एकड़ (277 हेक्टेयर) क्षेत्र मे फैला हुआ है। यहां पर काफी बड़ा पथरीला भूभाग है जोकि स्थल के केन्द्र से दक्षिण की ओर फैला है। मुरादाबाद पहाड़ी और कुसुमपुर पहाड़ी के क्षेत्र को शामिल करके इसका कुल क्षेत्र, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार अधिसूचना के अनुसार एक अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह स्थल लहरदार एवं ऊँचा–नीचा है, जहां पर कीकर के वृक्ष तथा रिज की झाड़ियां हैं। इस क्षेत्र के अन्दर एक पुरानी मस्जिद है। यह मुरादाबाद पहाड़ी किले के नाम से प्रसिद्ध है।

विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति

1. एम.एस. रेलिंग सहित बाउण्ड्री वाल का निर्माण पूरा हो गया।
2. ट्यूबवेल (8) – पूरा हो गया।
3. तीन गड्ढ़ों की सीलिंग पूरी हो गई।
4. ट्यूबवेलों का जी.आई. पाईप नेटवर्क पूरा हो गया है।
5. पॉलीहाउस (2) पूरी हो गया।
6. दो नेट हाउस पूरा हो गए।
7. नर्सरी (2) – पूरी हो गई।
8. सिंधियां पौट्री विरासत भवन पुनः चालू किया गया।
9. कैम्प सुविधाएं अन्दर प्रदान की गई।
10. बिजली की व्यवस्था की गई।

11. नर्सरी में विभिन्न किस्म के 1985 पौधे लगाए गए (पॉली हाउस और ओपन हाउस)
12. 75 जातियों के 19247 पौधे दिल्ली, उत्तरांचल, उ.प्र., राजस्थान से एकत्रित किए गए।
13. समुदायिक वृक्षारोपण हेतु 6 हेक्टेयर भूमि पर खरपतवार उन्मूलन किया गया।
14. नर्सरी क्षेत्र के चारों तरफ विभिन्न जातियों के 94 पौधे लगाये गये।
15. घाटी में 382 पौधे लगाये गये।
16. जल संग्रहण हेतु गड्डे खोदे गए। कार्य पूरा हो गया। (मसूदपुर डेरी सहित वसंतकुज के बरसाती नाले की प्रणाली को बरसाती जल संग्रहण हेतु इन गड्डों से जोड़ा गया है।)

8.6.2 मनोरंजन पार्क

स्वर्ण जयन्ती पार्क के ठीक निकट 25 हेक्टेयर भूमि के एक टुकड़े को नियोजित किया गया है और विश्व श्रेणी के और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए मैसर्स युनिटेक लिमिटेड को सौंपा गया है। यह मनोरंजन पार्क दिल्ली शहर में एक मुख्य आकर्शण का केन्द्र होगा। विकासकर्ता ने इस पार्क के पूर्ण विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रूपए व्यय करके 5 वर्ष की अवधि की योजना बनाई है। पहले फेज में मनोरंजन पार्क का कार्य पूरा हो गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है।

8.6.3 इन्द्रप्रस्थ पार्क का अ.रा. बस अड्डा, सराय काले खाँ से भैरव मन्दिर मार्ग तक विकास।

इस पार्क की विशेषताएं :–

पार्क का कुल क्षेत्रफल	59 एकड़
रिंग रोड़ के साथ–साथ पार्क की कुल लम्बाई	2000 मीटर
पैदलपथ की कुल लम्बाई	लगभग 5 किलोमीटर
जोगिंग ट्रैक की कुल लम्बाई	लगभग 6 किलोमीटर
परियोजना की कुल लागत	23 करोड़ रूपए

वर्तमान स्थिति :

I. फेज-I	i) पूरा हो गया
ii. फेज-II	ii) पूरा हो गया

इसमें पांच जोन बनाए गए हैं। जिनकी प्रत्येक की अपनी–अपनी विशेषताएं हैं, जैसे स्मृति–वन, सुगन्धित गार्डन, बोगन विले गार्डन, टॉपिअरी गार्डन और फॉलिएज गार्डन।

पार्क को हरा–भरा बनाने के लिए डॉ. सेन नर्सिंग होम नाले से शोधित कचरा उपयोग में लाया जा रहा है।

8.6.4 वसन्त कुन्ज के निकट महरौली महिपालपुर रोड पर सुल्तानगढ़ी मकबरे के संरक्षण परिसर का विकास।

सुल्तानगढ़ी–मकबरा, जो सुल्तान इल्तुमिश के सुपुत्र सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद की मजार है, महरौली–महिपालपुर रोड़ की रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र (उर्फ मलिकपुर कोठी) में सन् 1236 ई. में बनाया गया था।

फेज–1 का कार्य पूरा किया जा चुका है : चारदीवारी, बरसाती जल संग्रहण प्रणाली के लिए नाली, डीक्यू, स्टोन फुटपाथ और फेज–1 में पांच ट्यूबवेल लगाए गए। इंटैक द्वारा असंरक्षित विरासत भवन सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

फेज–II का कार्य : निम्नलिखित कार्य आरंभ किए जाने हैं:

i. प्रवेश द्वार
ii. कार पार्किंग एवं कैरिज वे
iii. विहार स्थल (प्रामेनेड्स)
iv. वॉकवेज
v. शिशु–क्रीडा क्षेत्र
vi. रेस्टोरेंट (खुला टैरेस)
vii. ऐतिहासिक वॉक
viii. स्टैप्स
ix. प्लैंटर वॉल
x. कियोस्क
xi सिटी मेकर
xii कर्ब स्टोन
xiii उद्यान – कार्य
xiv उत्तम मिट्टी की आपूर्ति
xv सिंचाई प्रणाली
xvi हल्के जुड़नार

दि.वि.प्रा. द्वारा रिंग रोड पर विकसित इन्द्रप्रस्थ पार्क

उपर्युक्त निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए विकास योजना तैयार कर ली गई है और अनुमोदनार्थ जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। स्मारकों की सुरक्षा/जीर्णोद्धार के लिए अनुमान अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

8.6.5 भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास

92.00 हेक्टे. से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए भलस्वा झील परिसर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। झील के पूर्व की ओर 58 हेक्टे. भूमि दि. वि.प्रा. की है और 34 हेक्टे. भूमि डी.टी.डी.सी की है। झील की तरफ सुविधाओं जैसे –8 कियोस्कों, शेल्टरों, मार्गों और पार्कों का विकास दि.वि.प्रा. द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

झील से लगा हुआ 46 हेक्टे. क्षेत्र 18 होल गोल्फ कोर्स के विकास हेतु निर्धारित है। फेज–1 में 3 होल का गोल्फ कोर्स विकसित किया जा चुका है और जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। होल नं. 4,5,6,7,8 एवं 9 का कार्य पूरा किया जा चुका है। सिंचाई की स्वचलित प्रणाली, ट्यूबवेल एवं जी.आई. पाइप लाइन नेटवर्क और सभी 9 होल के लिए रेलिंग सहित चारदीवारी, पंप सहित सिंचाई प्रणाली, प्लाजा और पार्किंग से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है।

होल नं. 10 से 18 का कार्य वर्ष 2009 के दौरान आरम्भ किया जाएगा। क्लब बिल्डिंग का विस्तार, गोल्फ कोर्स का डि–नोवो विकास, ड्राइंगों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

8.6.6 झड़ौदा माजरा और वजीराबाद में यमुना जैव वैविध्य पार्क

फेज–1

जैव वैविध्य पार्क यमुना नदी घाटी में जैव विविधता की प्रचुरता और इसकी विरासत को बनाए रखते हुए शहरी जनता के पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षणिक ज्ञान में वृद्धि करता है। इस पार्क का विकास विभिन्न चरणों में किया जाएगा और इसके 10 वर्षों में विकसित होने की संभावना है। फिलहाल दि.वि.प्रा. फेज–1 में 157 एकड़ भूमि पर जैव वैविध्य पार्क विकसित कर रहा है। अन्य 300 एकड़ भूमि दूसरे फेज में शामिल की जाएगी।

यमुना जैव वैविध्य पार्क की नम भूमि में प्रवासी पक्षी

निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :–

- तीन पॉली हाउस की व्यवस्था और उन्हें स्थापित करना।
- एक नेट हाउस की व्यवस्था और उन्हें स्थापित करना।
- बांस के आच्छादित तीन खाद्य कियोस्कों की व्यवस्था और स्थापित करना।
- तीन कम गहरे नलकूपों की बोरिंग करना और दो पम्प हाउसों का निर्माण करना।
- फल उद्यान नं. 1 में आगन्तुक क्षेत्र में अनफिल्टर्ड जल आपूर्ति हेतु जी.आई. पाईप लाईनों को बिछाना।
- फुटपाथ (तीन मीटर चौड़े मुख्य मार्ग) का निर्माण।
- यमुना के सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय इतिहास की झलक देने वाले कार्यालय परिसर/विवेचन केन्द्र का निर्माण कर लिया गया है।
- एम.एस. ग्रिल सहित रेन्डम रूबल मेशनरी चार दीवारी (5300 मीटर लम्बी) का निर्माण।
- जलाशय और टीलों का निर्माण।
- पाथ (लूप ट्रेल) का निर्माण।
- जलाशय (अतिरिक्त) और टीलों का निर्माण।
- कैफेटेरिया का निर्माण।
- परियोजना हेतु पहुंच मार्ग और कार पार्किंग का निर्माण।
- बाउण्ड्री के साथ–साथ लगभग 18 हजार वृक्षों और बांसों का आरोपण।
- एस.टी.डी. बूथ, पीने के पानी की सुविधा, मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण।
- सुरक्षा कक्ष का निर्माण।
- आगन्तुक क्षेत्र।
- आर.सी.सी. बॉक्स टाईप नालियों और पार्किंग के लिए सड़क का निर्माण।
- बसों की पार्किंग का निर्माण।
- प्रवेश द्वार से स्कीम के अन्त तक आर.सी.सी. टाईप नाले का निर्माण।
- स्टील ब्रिजों का निर्माण।
- वृक्षारोपण।
- निर्मित आवासीय क्षेत्र के साथ विद्यमान आर/आर मेसिनरी दीवार को ऊंचा उठाना।
- बांस द्वारा निर्मित एक पुल, एक सार्वजनिक शौचालय, एक बांस द्वारा निर्मित रहने का स्थान।
- अनुपूरक नाले से योजना के अन्त तक 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क का निर्माण कार्य।

फेज–II :

इसमें नदी किनारे के निकट बाढ़ मैदान का 300 एकड़ क्षेत्र शामिल है। यह भूभाग समतल मैदान के साथ–साथ मार्स लैण्ड, सैलों वाटर बॉडी, डीप वॉटर बॉडी से बना है। यमुना जैव वैविध्य पार्क फेज–2, नम भूमि, हरित भूमि और बाढ़ वनों के एक नेटवर्क के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना में निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तावित हैं:

- नम भूमि का एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- विकास के विभिन्न प्रकारों के मध्य घास–मैदान विकसित किए जाएंगे।
- विभिन्न बाढ़ मैदान और यमुना नदी थाल (बेसिन) की वन समूह विशेषता स्थापित की जाएगी।
- जैव वैविध्य गांव, शयनागार और परिवार आवास सहित रात में ठहरने की सुविधा, प्रकृति प्रदर्शन, केन्द्र, ऑडिटोरियम।

300 एकड़ भूमि का कब्जा दि.वि.प्रा. के पास है, बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है। (40%)

8.6.7 नेहरु प्लेस में आस्था कुंज

दिल्ली के नगर दृश्य को बढ़ावा देने के लिए दि.वि. प्रा. ने 40 करोड़ रु. की लागत से बहाई/कालकाजी और इस्कॉन मन्दिर के बीच नेहरू प्लेस से सटे अपने जिला पार्क में आस्था कुंज नामक राष्ट्रीय महत्व के व्यापक हरित क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं और पार्किंग सहित सुन्दर प्रवेश प्लाजा।
- प्लाजा, फूड कॉर्नर व लेक साईड सुविधाएं।
- बच्चों के खेलने की जगह, सीनियर सिटीजन कॉर्नर, जॉगिंग ट्रैक और फिटनेस जोन।
- उत्सव में एकत्रित होने का क्षेत्र बड़े समारोह स्थल सहित, योगा के लिए ध्यान योग स्थल, प्रवचन हेतु स्थल।
- सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें सांस्कृतिक प्लाजा अभिनय क्षेत्र और एम्पीथियेटर होगा।
- पारिस्थितिक कॉरिडोर, जिसमें नेचुरल ट्रेल सहित वेल्थ ऑफ फ्लोरा पेसिव रिक्रियेशन एरिया इत्यादि होंगे।
- अन्य सुविधाओं में शामिल हैं, स्मारिका, दुकानें, बुक स्टाल, सार्वजनिक उपयोगिताएं, रेस्टारेंट और पौधों को बेचने की दुकानें।

विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

i) बाउण्ड्री वाल फेंसिंग – पूरा हो गया।

ii) प्रवेश प्लाजा (6) – पूरा हो गया।

iii) जलाशयों का विकास (5) – पूरा हो गया।

iv) इस्कॉन के निकट पार्किंग – पूरा हो गया

v) फूड कोर्ट, शहरी पार्क, एम्पीथियेटर, सभा स्थल, और लोटस मन्दिर के सामने बस पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

8.6.8 तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर

माननीय उपराज्यपाल द्वारा गठित एक विशेष समिति के साथ तुगलकबाद किले के निकट एमबी रोड़ के दोनों ओर डी.डी.ए. द्वारा एक विशाल हरित क्षेत्र डिजाइन किया जा रहा है जिसे एक मनोरंजनात्मक सुविधा के रुप में विकसित किया जा रहा है। फेज–1, 2, और फेज– 3 में कार्य चल रहा है। और यह 2009 में पूरा हो जायेगा।

8.6.9 यमुना नदी तट विकास (गोल्डन जुबली पार्क)

83 हेक्टेयर क्षेत्र, जो झुग्गियों को हटाकर खाली कराया गया था, इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में पुराने रेल पुल और आई.टी.ओ. के मध्य समाधि क्षेत्र के पीछे यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर विकसित किया गया है। योजना दि.वि.प्रा. की जांच समिति द्वारा और यमुना कार्य समिति द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के संरक्षण के अन्तर्गत अनुमोदित कर दी गई है।

भू–दृश्यांकन योजना में विविध एक्टिव एंव पैसिव मनोरंजनात्मक जोन शामिल किये गये हैं। जिसमें एम्पीथियेटर, पहुंचद्वार, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, फूडकोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, रक्षित हरित, पैदल टहलने का मार्ग, साइक्लिंग ट्रैक्स जैसी गतिविधियां "एक्टिव जोन" का एक भाग है।

पैसिव क्षेत्र में स्थल से होकर गुजरने वाले पैदल पथों और साईकिल मार्गों सहित अनेक जलाशय हैं। पैसिव क्षेत्र को हलचल भरे सक्रिय क्षेत्र की तुलना में शान्त एवं स्वच्छ क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान लघु नदी के पास एक जलाशय बनाया गय है।

स्थल पर निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:

- सिंचाई एवं बाढ़ विभाग द्वारा अपेक्षित स्तरों के अनुसार मुगल बांध को ऊंचा करना।
- सक्रिय क्षेत्र में जलाशय का विकास कार्य पूरा कर लिया गया।
- मुगल बांध के साथ–साथ वृक्षारोपण और घास लगाने का कार्य किया जा रहा है।

- परियोजना में उपयोग में लाये जाने के लिए पेड़–पौधों की पौध के लिए नर्सरी बनाई गई।
- जलाशय के साथ–साथ स्लोप का कार्य।

8.6.10 विद्यमान हरित क्षेत्रों का प्रस्तावित विकास कार्य

निम्नलिखित विद्यमान हरित क्षेत्रो को विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए भू दृश्यांकन योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

- गोल्डन जुबली पार्क (पुस्ता परियोजना का अगला चरण)
- त्रिलोकपुरी संजय झील हरित का सुधार
- राष्ट्रमण्डल खेलगांव।
- निर्दिष्ट स्थलों पर जलाशयों का विकास।
- भलस्वा मनोरंजनात्मक परिसर की संकल्पनात्मक योजना
- नांगलोई सैय्यद में आम का बगीचा
- बत्रा अस्पताल के सामने संगम विहार मे हरित क्षेत्र
- लाजपत नगर में ढके हुए नाले के ऊपर हरित क्षेत्र
- कालकाजी विस्तार पाकेट ए–10 में एनएचपी
- वसन्त विहार में वसन्त उद्यान का विकास
- जनकपुरी ब्लाक सी–3 ए के निकट हरित क्षेत्र
- विनोद नगर (पश्चिम) जलाशय हरित
- यमुना नदी के किनारे घाट
- बक्करवाला में जिला केन्द्र
- आईएफसी ग़ाजीपुर–दिल्ली प्रवेश मार्ग

8.7 नये महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.7.1 राष्ट्रमण्डल खेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका।

राष्ट्रमंडल खेलगांव का 3 डी मॉडल

क. खेलगांव का विकास

- 8000 प्रतिभागियों के लिए आवास व्यवस्था।
- अभ्यास केन्द्र – फिटनेस केन्द्र,तरण ताल, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, नेट बॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक ट्रेक
- डाइनिंग हॉल, इंटरनेशनल जोन, ऑफिस आदि के लिए टैम्परेरी ओवरले

वर्तमान स्थिति

i) 8 हजार भागीदारों के रहने के लिए आवास कार्य चल रहा है। (44%)

ii) अभ्यास स्थलों का कार्य प्रगति पर है। (28%)

iii) डाइनिंग हॉल, इंटरनेशनल जोन, ऑफिस आदि के लिए टैम्परेरी ओवरले जनवरी 2010 में शुरू किया जाएगा।

खेल गांव को पूरा किये जाने का लक्ष्य मई 2010 रखा गया है और यह आयोजन समिति को 01.06.2010 को सौंपा जाएगा।

ख. प्रतियोगिता स्थलों का विकास

- सीरी फोर्ट खेल परिसर – 8 बैडमिंटन एवं 12 स्क्वैश कोर्ट्स
- यमुना खेल परिसर – टेबल टेनिस एवं तीरंदाजी (प्राथमिक)

वर्तमान स्थिति

- 23 जनवरी, 2008 को कार्य आरंभ किया गया।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर (प्रगति 38%)
- यमुना खेल परिसर (प्रगति 35%)

प्रतियोगिता स्थलों को दिसंबर 2009 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है और आयोजन समिति को 31.12.2009 को सौंपा जाएगा।

ग. प्रशिक्षण स्थलों का प्रावधान

- सीरी फोर्ट – खेल परिसर: बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग, तीरंदाजी एवं लॉन बाउल्स

  वर्तमान स्थिति – कार्य प्रगति पर है। (1%)
- यमुना खेल परिसर– टेबल टेनिस, स्विमिंग, महिलाओं के लिए संगीतमय व्यायाम (जिमनास्टिक्स), लॉन बाउल्स एवं तीरंदाजी

वर्तमान स्थिति – कार्य चल रहा है। (2%)

- साकेत खेल परिसर – बैडमिंटन

  वर्तमान स्थिति– कार्य चल रहा है। (1%)

इन कार्यों को मार्च 2010 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और आयोजन समिति को 1.4.2010 को सौंपे जाने का लक्ष्य है।

8.7.2 आरम्भ किए जाने वाले ई.डब्ल्यू.एस. आवास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (स्लम निवासियों) का स्तर सुधारने और उन्हें एक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दि.वि.प्रा. द्वारा एक (1) लाख ई. डब्ल्यू.एस. आवास बनाने का निर्णय लिया। 46360 आवासीय इकाइयों के लिए स्थल निर्धारित कर लिए गए हैं और यह कार्य वर्ष 2009 में आरम्भ किए जाने की संभावना है।

8.7.3 फ्लाई ओवर

जनसंख्या में वृद्धि (स्थानीय एवं प्रवासी) होने और निजी वाहनों के साथ–साथ सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने के कारण दिल्ली की सडकों पर यातायात बहुत बढ़ गया है। आन्तरिक रिंग रोड जैसी व्यस्त सड़कों के चौराहों पर यातायात जाम होने से सड़कों का प्रयोग करने वालों को बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त इससे प्रदूषण का स्तर और व्यर्थ में ईंधन पदार्थों की खपत भी बढ़ जाती है। इसी कारण दिल्ली में यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. को विश्वासपूर्वक सौंपी गई थी। 31 मार्च, 2005 तक बारह फ्लाई ओवरों का काम पूरा किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान आरम्भ किए गए अतिरिक्त सुधार कार्यों की स्थिति नीचे बताई गई है :–

क्र.सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं मार्ग सं. 13ए पर तीन क्लोवर लीफ, स्लिप रोड, आर.यू.बी., पहुंच मार्ग	कार्य चल रहा है।
2.	कडकड़डूमा मोड़ स्थित मुख्य नाला नं.1 पर क्लोवर लीफ, विद्यमान पुल को चौड़ा करना	कार्य योजना के स्तर पर है। 2009 में आरम्भ किए जाने की संभावना है।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग–24 एवं नोएडा मोड स्लिप रोड, फुटपाथ, साइकिल मार्ग और अंडरपास	स्लिप रोड का निर्माण करने के लिए निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं और उनकी छंटनी की जा रही है।
4.	राष्ट्रमंडल खेल गांव तक प्रवेश एवं निकास मार्ग	कार्य सौंप दिया गया है।
5.	लाजपत नगर के निकट रेलवे क्रासिंग पर आर.यू.बी.	2009 में आरम्भ किए जाने की संभावना है।
6.	घरेलू एयरपोर्ट मार्ग के साथ–साथ द्वारका को जोड़ने वाले पहुँच मार्ग तक सर्कुलर रोड़ का सुधार	डब्ल्यू.ए.बी. द्वारा निविदाएं स्वीकार कर ली गई हैं और कार्य सौंपने की कार्यवाही चल रही है।
7.	80 मीटर चौडे मार्ग पर भोरगढ़ के निकट रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. (यू.इ.आर.–I)	दि.वि.प्रा. ने रेल प्राधिकारियों को 13 लाख का भुगतान कर दिया है।
8.	100 मीटर चौड़े मार्ग पर होलम्बी कलां रेलवे क्रासिंग के निकट आर.ओ.बी. (यू.इ.आर.–II)	रेल प्राधिकारियों की ओर से अनुमान की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर गाजीपुर स्थित फ्लाई ओवर

8.7.4 शहरी विस्तार रोड़

क. शहरी विस्तार रोड सं.–1 का निर्माण

यह रोड नरेला एवं रोहिणी परियोजनाओं से होकर गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग–1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगा।

कुल लम्बाई – **28 किलोमीटर**

नरेला परियोजना – **11 किलोमीटर**

भूमि उपलब्ध है। तकनीकी समिति ने संरेखण और जी.टी. करनाल रोड से अलीपुर–नरेला रोड तक लगभग 3 कि.मी. लम्बे रोड और बवाना के समीप डी.एस. आई.डी.सी. द्वारा निर्मित लगभग 1.2 कि.मी. रोड को अनुमोदित किया है। इसके लिए सड़क विकास योजना अनुमोदित कर दी गई है।

रोहिणी परियोजना– **17 किलोमीटर**

अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। एम–क्षेत्रीय योजना अनुमोदित की गई, सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

ख. 100 मीटर मार्गाधिकार शहरी विस्तार मार्ग सं II का निर्माण

यह रोड नरेला, रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं से गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग–I (जीटी–करनाल रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (दिल्ली–गुड़गांव रोड) को जोड़ेगा। तकनीकी समिति ने रोड के सम्पूर्ण टुकड़े के संरेखण को अनुमोदित कर दिया है।

कुल लम्बाई – **46.0 किलोमीटर**

नरेला परियोजना – **7.0 किलोमीटर**

भूमि अधिग्रहित है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

रोहिणी परियोजना– **14.0 किलोमीटर**

बवाना गांव के निकट 1.4 किमी की पट्टी को छोड़कर भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है। सड़क विकास योजना तैयार की जा रही है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक अनुमान पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

द्वारका परियोजना– **25.0 किलोमीटर**

राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से 3 कि.मी. लम्बी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है और 6.50 कि.मी. लम्बी सड़क दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

ग. शहरी विस्तार मार्ग सं.–III का निर्माण

यह सड़क नरेला, रोहिणी से गुजरेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग–1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड़) से जोड़ेगी।

कुल लम्बाई – **16.0 किलोमीटर**

नरेला परियोजना – **5.5 किलोमीटर**

भूमि अधिग्रहित की जानी है।

रोहिणी परियोजना– **10.5 किलोमीटर**

तकनीकी समिति से सड़क का संरेखण अनुमोदित है। सड़क को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने का कार्य आरंभ किया जाना

अरावली जैव वैविध्य पार्क में वृक्ष की शाखा पर बैठी हुई लाल गले वाली 'फ्लाई कैचर' चिड़िया

है। सिंगल लेन पहले ही बनाई जा चुकी है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक अनुमान पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

8.7.5 शोधित सीवेज जल का प्रयोग

''उद्यान कार्यों के लिए शोधित सीवेज जल का प्रयोग'' को अति महत्व दिया जा रहा है। शोधित सीवेज जल का प्रयोग करने पर उपयोग किए जा रहे ट्यूबवैलों का प्रयोग बंद हो जाएगा। दि.वि.प्रा. ने शोधित सीवेज जल के प्रयोग की योजना पहले ही बना ली है।

8.7.6 बरसाती जल का संग्रहण

बरसाती जल का संग्रहण करना घट रहे जल स्तर को पुनः बढ़ाने की एक आसान और प्रभावी विधि है जिससे निकट भविष्य में विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित किया जा सकता है। बरसाती जल के संग्रहण की योजना विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है, जो पूरी हो चुकी है/चल रही है/योजना चरण में है।

8.7.7 बी.ओ.टी. शौचालय

दिल्ली के चारों ओर हरित और व्यावसायिक स्थानों पर बी.ओ.टी. आधार पर 24 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। अभी बी.ओ.टी. शौचालयों का निर्माण करने के लिए लगभग 65 नए स्थान निर्धारित किए गए हैं और निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

8.7.8 शहरी गांवों का विकास

दि.वि.प्रा. की परियोजनाओं अर्थात् रोहिणी, नरेला, द्वारका और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में लगभग 60 गांव स्थित हैं। हालांकि इन गांवों को अनअधिसूचित कर दिया गया है और ये दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं फिर भी गांव वालों के प्रति अपने सुनाम के कारण दि.वि.प्रा. द्वारका, नरेला, रोहिणी और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में गांवो के लिए योजनाओं को तैयार करने का कार्य शुरू करेगा। पार्क, खेल के मैदान, समाज सदन, डिस्पेंसरी और उपयोगिताओं (स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय आदि) जैसी सुविधाओ की प्राथमिकता के आधार पर योजना तैयार करने एवं विकास हेतु गांव सभा की भूमि निर्धारित की जा रही है। अधिकतर गांवों में निर्धारित किए गए विकास कार्य शुरू किए जा चुके हैं और पूरे कर लिये गए हैं।

8.7.9 झुग्गी–झोंपड़ी समूहों का स्व–स्थाने विकास

दि.वि.प्रा. झुग्गी–झोंपड़ी समूहों का स्व–स्थाने विकास करने का कार्य शुरू करेगा इसलिए पूरी दिल्ली में ऐसे 25 स्थलों का निर्धारण किया जा चुका है। स्लम एवं जे.जे. बस्तियों के विकास के लिए वास्तुकारों का पैनल तैयार कर लिया गया है और 12 स्थलों के परामर्शदाताओं की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। चार स्थलों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और अप्रैल 2009 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त की जानी हैं। पटेल नगर के निकट कठपुतली कालोनी और जेलरवाला बाग में स्व–स्थाने विकास कार्य शुरू करने के लिए माननीय राज्य मंत्री (शहरी विकास) ने 15.02.2009 को आधारशिला रख दी है।

8.7.10 लाजपत नगर में नाले को ढकना

यह नाला दक्षिणी जोन से आकर लेडी श्रीराम कॉलेज के निकट सेंट्रल जोन में प्रवेश करता है और अंत में जंगपुरा एक्सटेंशन के निकट नाले में गिरता है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 3.0 किलोमीटर है।

दि.वि.प्रा. लेडी श्रीराम कॉलेज के निकट लगभग 335 मीटर की लम्बाई तक इसे ढकने का कार्य कर चुका है। दिल्ली नगर निगम लाजपत नगर पुलिस स्टेशन के निकट पुलिया तक 665 मीटर की लम्बाई का कार्य शुरू कर चुका है। बारापुला नाले तक 1500 मीटर की लम्बाई के शेष भाग को ढकने का कार्य दि.वि.प्रा. द्वारा शुरू किया जा चुका है।

8.7.11 दिल्ली कैंट के निकट रेलवे लाइन से लेकर डाबरी पुल तक पालम (सीतापुरी) नाले को ढकना और उस पर 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क का निर्माण करना

दिनांक 6.9.07 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि ''दिल्ली कैंट के निकट रेलवे लाइन से लेकर डाबरी पुल तक पालम (सीतापुरी) नाले को ढकने का और उस पर 30 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क का निर्माण करने'' के कार्य का निष्पादन दि.वि.प्रा. द्वारा किया जाएगा, ताकि इसे सड़क के रूप में प्रयोग करके यातायात में सुधार लाया जा सके। इस कार्य पर आने वाले व्यय को 50–50 आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ बाँटा जाएगा।

8.7.12 सेवाओं का दि.वि.प्रा. से दि.न.नि. / दिल्ली जल बोर्ड को अंतरण

विकास एजेंसी होने के कारण दि.वि.प्रा. अपने क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है और उनके रखरखाव का कार्य अन्य नगर–निकाय दि.न.नि. / दिल्ली जल बोर्ड को सौंप देता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न कॉलोनियों की सेवाएं विगत में दि.न.नि. को अंतरित की जाती रही हैं।

फिलहाल, 163 कॉलोनियों और 146 कॉलोनियों की सेवाओं को सौंपे जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.8 अनुमान

वर्ष 2008–09 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने बी.जी.डी.ए. के लिए 874.51 करोड़ रू. और नजूल खाता–II के लिए 418.16 करोड़ रू. के प्रारम्भिक अनुमानों को अनुमोदित किया है।

	2008–09 के लिए संशोधित बजट अनुमान (करोड़ों में)	व्यय (करोड़ों में)
कुल	1399.37	1171.53

9. योजना एवं वास्तुकला

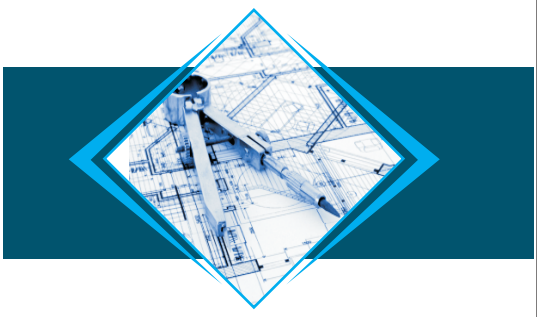

9.1 **दिल्ली मुख्य योजना–2021**

- दिल्ली मुख्य योजना–2021 में संशोधन की कार्रवाई की गयी, आपत्तियां/सुझाव इस उद्देश्य के लिए गठित जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा सुने गए। बोर्ड की सिफारिशें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतिम अधिसूचना को जारी कर दी गई।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 के प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित की गई और दि.वि.प्रा. के संबंधित विभागों तथा अन्य स्थानीय निकायों/एजेंसियों जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार, एन.सी.आर.पी.बी. आदि से दिल्ली मुख्य योजना–2021 के कार्यान्वयन पर आगे की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया।
- दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई और यथा अनुमोदित प्रबंध कार्य समूह गठित किए गए।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की मॉनीटरिंग समिति को सूचना उपलब्ध कराई गई और सूचना अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गईं।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 के पुनः मुद्रण/प्रकाशन हेतु विभा प्रेस द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री/भूमि उपयोग प्लान के प्रारूप की जांच की गई और उसे ठीक किया गया।

उप राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना विकास सदन में आयोजित यू.टी.टी..आई.पी.ई.सी के अधिकारियों की बैठक में

9.2 **क्षेत्रगत योजना**

i प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जोन–ए एवं बी की क्षेत्रीय योजना प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर संशोधित कर दी गयी और अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई।

ii कठपुतली कालोनी (जोन–बी) के पुनर्वास के स्व स्थाने सुधार से सबंधित मामलों में योजना संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

iii आनंद पर्वत स्थित सुविधा क्षेत्र एवं औद्योगिक भूमि के लिए तैयार किया गया नक्शा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

iv नारायणा भाण्डागार योजना स्थित मल्टीलेवल पार्किंग स्थल की जांच/प्रक्रिया चल रही हैं।

v डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग में 25 वर्ग गज के प्लाटों का मानक डिजाइन तैयार कर लिया गया है।

vi औद्योगिक भूमि सरेंडर करने संबंधी योजना पहलुओं पर कार्रवाई/समन्वय करना।

vii औद्योगिक भूमि सरेंडर करने के मामले में विभिन्न आंतरिक विभागों के साथ समन्वय कार्य किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के साथ मामला उठाया जा रहा है।

viii जामा मस्जिद पुनर्विकास योजना (जोन–ए) के संबंध में दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

ix नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (जोन–ए) के पुनर्विकास संबंधी उत्तर रेलवे के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

9.2.1 **'डी' जोन**

क. जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना प्राधिकरण की दिनांक 18.6.08 की बैठक में प्रस्तुत की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर कला आयोग को अपनी टिप्पणियां ओर सिफारिशें देने में तीन और महीनों का समय चाहिए।

ख. जोन 'डी' की योजना के संबंध में पी.एम.ओ. दिनांक 03.12.08 को एक बैठक पहले ही ले चुके हैं और उसके बाद सचिव द्वारा दिनांक

23.12.08 को एक बैठक ली जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जोन 'डी' की योजना का कार्य शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में शुरू किया जाएगा।

ग. क्लैरिज होटल के संबंध में स्पष्टीकरण की जांच इस यूनिट द्वारा की गयी थी और उसका उत्तर मुख्य योजना अनुभाग द्वारा शहरी विकास मंत्रालय को 06.04.2009 को भेज दिया गया था।

घ. सेंट्रल विस्टा (पुराना केन्द्रीय सचिवालय बस टर्मिनल) के अन्दर डी.एम.आर.सी. हेतु 66 किलोवाट का सब स्टेशन बनाने के मामले में सेंट्रल विस्टा समिति की बैठक में दिनांक 24.03.09 को विचार–विमर्श किया गया। भूमि उपयोग स्पष्टीकरण की सूचना बैठक के दौरान दे दी गई।

9.2.2 जोन–ई' 8797 हेक्टेयर

- आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद जोन –'ई' की क्षेत्रीय विकास योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई और अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।
- विद्यमान विभिन्न संस्थाओ के 404 मामले नियमन हेतु प्राप्त हुए और दिल्ली मुख्य योजना–2021 और जोन–'ई की क्षेत्रीय विकास योजना के योजना प्रावधान के संदर्भ में जांच की गई।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के नियमन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनधिकृत कालोनियों के 250 मामलों की निदेशक (यू.सी) द्वारा भूमि की भूमि उपयोग अनुमोदित स्थिति के संदर्भ में जांच की गई। ये कालोनियां सड़क के मार्गाधिकार सुविधा आदि और उस क्षेत्र के भूमि उपयोग से प्रभावित हैं।
- वर्ष के दौरान तकनीकी समिति/जांच समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यावली मदों पर विचार किया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।
  - मंडावली फाजलपुर स्थित स्कूल स्थल को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
  - एकीकृत भाड़ा परिसर, गाजीपुर में फूलों के बाजार के प्रस्ताव को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
  - कोंडली घरोली स्थित ओ.सी.एफ. पॉकेट के ले आउट प्लान में संशोधन करना
  - 276वीं जांच समिति द्वारा अनुमोदित सी. जी.एच.एस. विश्वास नगर सहकारी समिति क्षेत्र में ले आउट प्लान में संशोधन करना।
  - डी..एम.आर.सी. के लिए गौतमपुर (सीलमपुर स्टेशन) स्थित सम्पत्ति का विकास।
  - पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, आनन्द विहार अ.रा.बस अड्डे को मार्ग सं. 57 से जोड़ने वाली 24 मीटर वाली सड़क का प्रस्ताव यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. वर्किंग ग्रुप की बैठक में रखा गया और यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की 20.03.09 की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।
  - सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 110 मामले प्राप्त हुए जिनमें सूचना उपलब्ध करा दी गई और अब कोई मामला लम्बित नहीं है।

9.2.3 जोन एफ (दक्षिणी दिल्ली–I) जोन जी एवं एच (पश्चिमी दिल्ली–I)

i जोन 'एफ', 'जी' एवं 'एच' की क्षेत्रीय योजना प्राधिकरण की टिप्पणियां शामिल करने के बाद अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई।

ii प्राधिकरण के विचारार्थ तीन मदें प्रस्तुत की गई।

iii तकनीकी समिति के विचारार्थ कई मदें प्रस्तुत की गई।

iv जांच समिति के विचारार्थ बारह मदें प्रस्तुत की गई।

v कई विधिक मामलों पर विचार किया गया ओर पैरावार टिप्पणियां दी गई।

vi उपर्युक्त के अतिरिक्त पूर्व–विद्यमान संस्थानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की गई ओर क्षेत्रीय समिति की बैठकें आयोजित की गई। सी.एन.जी. स्थलों की जांच की गई, एम.आर.टी.एस. मामलों की जांच की गई, सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्रों के लिए सूचना उपलब्ध कराई गई। दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों और शहरी विकास मंत्रालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, स्थानीय निकायों और योजना से प्राप्त मामलों में सूचना उपलब्ध कराई गई।

vii प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले अंतिम अधिसूचना / सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। पूर्व–विद्यमान संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की गई।

viii दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों, शहरी विकास मंत्रालय, दि.न.नि. और दिल्ली सरकार से प्राप्त मामलो की जांच की गई।

ix योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विधिक मामलों की जांच की गईं।

9.2.4 जोन 'जे'

- जोन जे की क्षेत्रीय योजना का मसौदा

आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.07 को अनुमोदित कर दिया गया था। आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए इसे 15.03.08 को अधिसूचित कर दिया गया था। अधिसूचना के प्रत्युत्तर में 1100 से अधिक आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। इन आपत्तियों/सुझावों पर उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में जांच एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा 21 एवं 22.08.08 को सुनवाई की गई। जांच एवं सुनवाई बोर्ड की सिफारिश के आधार पर जोन 'जे' की क्षेत्रीय योजना के संशोधित मसौदे को प्राधिकरण द्वारा 17.12.08 को अनुमोदित कर दिया गया। यह योजना अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

- विद्यमान शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल, धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थान का नियमन, जो दिनांक 01.01.06 को बने हुए थे। प्राधिकरण की संकल्प मद सं. 25/2008 दिनांक 10.04.08 के अनुसार ऊपर उल्लिखित संस्थाओं से दि.वि.प्रा. ने आवेदन–पत्र आमंत्रित किए थे। क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे सहित इन पर प्राधिकरण के विचारार्थ कार्रवाई की गई थी।

9.2.5 अनधिकृत कालोनियाँ

- अनधिकृत कालोनियों के नियमन के संबंध में संशोधित मार्ग निर्देश मंत्रालय द्वारा 05.10.07 को जारी किए गए थे। अनधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए मार्ग निर्देशों एवं नियमन में किए गए अतिरिक्त संशोधन मंत्रालय द्वारा 24.3.08 को जारी किए गए, जिन्हें दिनांक 16.06.08 की अधिसूचना द्वारा मंत्रालय द्वारा पुनः संशोधित किया गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त सूची एवं ले आउट प्लान संबंधित निदेशकों (योजना इकाई) को मार्ग–निर्देशों के अनुसार संवीक्षा और जांच हेतु भेज दिए गए थे। प्राधिकरण की संकल्प मद सं. 9/2008 दिनांक 11.03.08 द्वारा दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनधिकृत कालोनियों को अन–अधिसूचित करने का निर्णय किया गया था।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए अनधिकृत कालोनियों के ले–आउट प्लानों की संवीक्षा अनधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए दिनांक 5.10.2007 के संशोधित मार्ग निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
- गांव के विस्तार मे बनी हुई और दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 567 नियमित कालोनियों के छूटे हुए भाग में बनी हुई अनधिकृत कालोनियों के निर्मित क्षेत्र की प्रतिशतता का विवरण तैयार करने का कार्य किया जा चुका है।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त जी.आई.एस. रिमोट सेंसिंग से संबंधित विभिन्न कार्य ओर एस.ओ.पी. (मानक प्रचालन प्रक्रिया) तैयार करने का कार्य भी इस इकाई द्वारा शुरू किया गया।
- इस वर्ष के दौरान उपराज्यपाल के आदेशों के अनुसार दि.वि.प्रा. में नीति विकास कक्ष की स्थापना का कार्य भी शुरू किया गया।

9.3 द्वारका परियोजना

9.3.1 जोन के–II (द्वारका), के– I (पश्चिमी दिल्ली–II) और एल (पश्चिमी दिल्ली–III) की क्षेत्रीय विकास योजनाएं

- प्राप्त की गई आपत्तियों/सुझावों का सार जांच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई।
- जांच एंव सुनवाई बोर्ड की बैठकें आयोजित की गई।
- बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे में संशोधन किए गए और इसे प्राधिकारण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- अंतिम अधिसूचना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दी गई।

9.3.2 बड़ी परियोजनाएं/कार्य

- एकीकृत भाड़ा परिसर (आ.ई.एफ.सी.) परियोजना और चरण–III के लिए अनुमोदन हेतु परामर्शदाता के साथ समन्वय।
- सेक्टर 24, द्वारका में प्रस्तावित दूसरे डिप्लोमैटिक एनक्लेव से संबंधित कार्य।
- जोन के–I, के–II और एल में भूमि उपयोग के परिवर्तन से संबंधित मामलों में तकनीकी समिति/प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए कार्रवाई की गई।
- द्वारका परियोजना की योजना और कार्यान्वयन से संबंधित योजनाएं तैयार करना, संशोधन करना आदि।
- दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विभाग, भूमि प्रबंध विभाग, भूमि निपटान विभाग, वास्तुकला विंग और भूदृश्यांकन इकाई को योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।
- सूचना अधिकार आवेदन पत्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना।

9.4 नरेला परियोजनाएं

i पी–I की क्षेत्रीय विकास योजना अंतिम अधिसूचना से पहले अनुमोदन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई।

ii जोन पी–II के जांच एवं सुनवाई बोर्ड की

सिफारिशें प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 3.6.09 को रखी गई।

iii जोन पी–I एवं पी–II के संबंध में वास्तविक संस्थाओं का नियमन पूरा हो चुका है और प्रस्तुत किया गया है।

iv नरेला के एकीकृत भाड़ा परिसर में संशोधन कर दिया गया है और उसे जांच समिति से अनुमोदित करा लिया गया है।

v दिल्ली मुख्य योजना – 2021 के अनुसार सेक्टर ए–1 से ए–4 तक विभिन्न प्रकार के आवासों का श्रेणीकरण प्रक्रियाधीन है।

vi तकनीकी समिति का एजेंडा तैयार किया गया और इसे समय–समय पर तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया। यह ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थल के संबंध में है।

vii जोन पी–I में सी.एन.जी. फ्यूल स्टेशन स्थल भी निर्धारित किए गए हैं ओर अनुमोदित कराए गए हैं।

viii सूचना अधिकार मामले समयबद्ध तरीके से निपटाए जाते हैं।

ix अन्य अनेक योजना मुद्दे जो भूमि अधिग्रहण, न्यायालय मामलों और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, भी निपटाए गए।

9.5 रोहिणी परियोजना

- क्षेत्रीय योजना की सार्वजनिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में जोन – 'एम' की क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जांच की गई और यह योजना जांच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष रखी गयी। जांच एवं सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय योजना के मसौदे को संशेधित किया गया और उसे दिनांक 17.12.08 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
- जोन – 'एन' की क्षेत्रीय विकास योजना– क्षेत्रीय योजना की सार्वजनिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गयी आपत्तियों/सुझावों की जांच की गई और उन्हें जांच एंव सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय योजना के मसौदे को जांच एवं सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया और उसे दिनांक 17.12.08 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
- जोन – 'सी' की क्षेत्रीय विकास योजना – क्षेत्रीय योजना की सार्वजनिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गई आपत्तियों/सुझावों की जांच की गई और उन्हें जांच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय योजना के मसौदे को जांच एवं सुनवाई बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया तथा उसे दिनांक 17.12.08 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
- सेक्टर–36 में 10 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' से 'हेलीपोर्ट' में परिवर्तित किया गया और इसे तकनीकी समिति तथा प्राधिकरण से भी अनुमोदित कराया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों हेतु भूमि के आबंटन से संबंधित मामला तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- सेक्टर–21 एवं 23 के बीच में पी.एस.पी. क्षेत्र के ले आउट प्लान में संशोधन को जांच समिति की बैठक में अनुमोदित कराया गया।
- सेक्टर–21, 22, 29 एवं 30 में सी.एन.जी. स्थलों को जांच समिति में अनुमोदित कराया

पुराने किले के पास दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित एक जलाशय में आम व्यक्तियों के लिए बोटिंग सुविधा।

गया।

- हडसन लेन, किंग्जवे कैम्प (प्लाट नं. 2536) के ले आउट प्लान में संशोधन को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया।
- मॉडल टाउन (प्लाट नं. 52 एवं 53) के उत्तर के ले आउट प्लान में संशोधन को जांच समिति से अनुमोदित कराया गया।
- पाकेट ई–1 से ई–5 तक, सेक्टर–7, रोहिणी का संशोधित ले–आउट प्लान तैयार कराया गया।
- प्राधिकरण के कार्यवृत्त के अनुसार जोन–एम, एन एवं सी की क्षेत्रीय योजना के मसौदे पर आगे कार्रवाई की गईं।
- विभिन्न सेक्टरों के आवासीय भूखंडीय विकास की क्षेत्रीय योजना तैयार की गई।
- क्षेत्रीय स्तर की सुविधाओ के लिए सब–डिवीजनल प्लान तैयार किया गया।
- सेक्टर स्तर की सुविधाओं के लिए सब–डिवीजन प्लान तैयार किया गया।
- सेक्टर–39 एवं 40 रोहिणी के ले–आउट प्लान तैयार किए गए।

सामान्य

- इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा सी.एन.जी. स्थलों का दौरा किया गया और उन पर विचार किया गया ।
- सांस्थानिक शाखा से प्राप्त संदर्भों को अनुमोदित किया गया।
- स्थलों के आवधिक दौरे/निरीक्षण किए गए।

9.6 यमुना नदी परियोजना

- जोन–'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना का मसौदा आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया। इसके प्रत्युत्तर में नियत तिथि के अन्दर सार्वजनिक/सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों की ओर से कुल 20 (बीस) आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए। अतः दिनांक 21.08.06 की सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त पूर्व आपत्तियों/सुझावों के साथ–साथ प्राप्त नई आपत्तियां/सुझाव जांच एवं सुनवाई बोर्ड के समक्ष दिनांक 16.01.09 को प्रस्तुत किए गए।
- विनियमन हेतु विज्ञापन सं. एफ 20 (19) 96–एम.पी. दिनांक 01.05.08 के प्रत्युत्तर में यमुना नदी परियोजना इकाई में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई की गई।
- आई.टी.ओ. (चुंगी) से राजीव गांधी स्मृति वन रिंग रोड तक 1500 एम.एम. व्यास वाली एम. एस. मुख्य लाइन बिछाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जांच की गयी।
- राष्ट्रमंडल खेल खेल गांव के दक्षिण में राष्ट्रमंडल खेल – 2010 के दौरान खाली बसों की पार्किंग के लिए दिल्ली परिवहन निगम को अस्थायी आधार पर भूमि के आबंटन मामले की जांच की गई और यह मामला उपाध्यक्ष/उप राज्यपाल की सहमति एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया तथा आगे की कार्रवाई के लिए भूमि विभाग को प्रस्तुत किया गया।
- नर्सरी के विकास हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की भूमि के आबंटन के मामले की जांच की गई। उपाध्यक्ष/उप राज्यपाल का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया गया।
- जोन – 'ओ' में आने वाली अनधिकृत कालोनियों के नियमन से संबंधित मामलों में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जोन 'ओ' दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 49 कालोनियों में से 46 कालोनियों के निर्मित क्षेत्र की प्रतिशतता परिकलित की गई और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक (यू.सी.) को प्रस्तुत की गई।
- वजीराबाद बांध के अनुप्रवाह में स्थित प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज तक पूर्वी एवं पश्चिमी पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए डी.टी.टी.डी.सी. को भूमि के आबंटन के मामले पर तकनीकी समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए अनुमोदित किया गया।

9.7 यातायात एवं परिवहन और एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र (यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी.)

9.7.1 योजनाओं की जांच की गई और 31.07.08 से पहले दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की गई।

- शंकर रोड़ और ऊपरी रिज रोड के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर/अंडर पास का प्रस्ताव रखा गया।
- रानी झांसी मार्ग से जखीरा फ्लाईओवर तक रोहतक रोड पर एलिवेटिड रोड़ का प्रस्ताव किया गया।
- अशोक विहार जंक्शन पर रिंग रोड़ पर आजादपुर से प्रेमबाड़ी पुल के बीच ग्रेड सेपरेटर।
- सोम विहार स्थित आउटर रिंग रोड़ ओवर पास और मंगोलपुरी–मधुबन चौक के बीच दीपाली चौक पर 15.0 मीटर चौड़े अंडरपास का सुधार।
- पूसा रोड़, डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग और पटेल रोड के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का प्रस्ताव रखा गया।

- नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर का प्रस्ताव रखा गया।
- (क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली और उसके आसपास की सड़कों (ख) दि.न.नि. के सिविक सेंटर के आसपास की सड़कों हेतु यातायात प्रबंध योजना ।
- धौलाकुआँ –'टी' चौराहे पर यात्रियों की समस्या और यातायात का अन्तर्बदल।
- यू.पी. लिंक रोड़ की कॉरीडोर सुधार योजनाएं।
- नोएडा मोड़ चौराहा और राष्ट्रमंडल खेल गांव के आसपास की परिचालन योजना।
- बाहरी रिंग रोड पर तीन फ्लाई ओवरों की समीक्षा।
- बारापुला नाले के समानान्तर निजामुद्दीन (पूर्व) के परिचालन का सुधार।
- मेहराम नगर फ्लाईओवर।
- महरौली–महिपालपुर रोड़ को चौड़ा करना।

9.7.2 योजनाओं की जाँच की गई और दिनांक 31.7.2008 के बाद यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी., दि.वि.प्रा. के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की गई।

- अंतरिम राहत रोड के रूप में प्रेस एनक्लेव रोड और बाहरी रिंग रोड के बीच लिंक रोड का अनुमोदित प्रस्ताव।
- 'टी' चौराहे (भैरों मार्ग–रिंग रोड) के सुधार का अनुमोदित प्रस्ताव।
- सिविक सेंटर के आसपास यातायात प्रबंध/परिचालन योजना का अनुमोदित प्रस्ताव।
- तालकटोरा स्टेडियम स्थित गेम्स वेन्यू स्थल के लिए अनुमोदित संकल्पनात्मक परिवहन योजना।
- रानी झांसी मार्ग की अनुमोदित कॉरीडोर सुधार योजना।
- वजीराबाद चौक से मुकरबा चौक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग– I के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- मधुबन चौक से मुकरबा चौक के बीच बाहरी रिंग रोड के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- मंगोलपुरी से मधुबन चौक के बीच बाहरी रिंग रोड़ के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- नोएडा मोड स्थित विद्यमान क्लोवर लीफ और राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर स्लिप रोड़ के सुधार कार्य के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- विकास पुरी–मीरा बाग पी.डब्ल्यू.डी., रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच बाहरी रिंग रोड़ पर यातायात के सिग्नल फ्री आवागमन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- रा.राजमार्ग–I पर आजादपुर से प्रेम बाड़ी पुल पी.डब्ल्यू.डी., रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच यातयात के सिग्नल फ्री आवागमन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- आई.आई.टी. फ्लाईओवर से ओल्फ पाल्मे मार्ग तक पी.डब्ल्यू.डी. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार बाहरी रिंग रोड़ के फैलाव की कॉरीडोर सुधार योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- रिंग रोड़ से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम–आई.एन.ए. तक पी.डब्ल्यू.डी., रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटिड रोड के प्रस्तावित नए कॉरीडोर को अनुमोदित कर दिया गया।
- राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थल के लिए संकल्पनात्मक परिवहन योजना अनुमोदित कर दी गई।
- अ.रा.बस अड्डा आनन्द विहार, मेगा रेलवे टर्मिनल आनन्द विहार के आसपास सुधारे गए परिचालन और पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र अंतरिम राहत रोड के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
- यातायात पुलिस/अन्य द्वारा भेजे गए रोड सुधार प्रस्ताव के विशिष्ट नौ मामलों को अनुमोदित कर दिया गया।
- यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. में निम्नलिखित के संबंध में मार्ग–निदेर्शों के प्रारूप तैयार किए गए:
  1. हरित क्षेत्रों/स्थानीय पार्कों के नीचे पार्किंग।
  2. ट्रांजिट ओरिएन्टिड विकास (टीओडी)।
  3. यातायात मार्ग सुरक्षा ऑडिट।
  4. शहरी रोड एवं ग्रेड सेपरेटर।
- **अन्य कार्य**
  1. दिनांक 31.07.08 को अधिसूचित एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र।
  2. दिनांक 31.07.08 को यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की अधिसूचना के बाद से उप राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की 13 (तेरह) शासित निकाय बैठकें आयोजित की गईं।
  3. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी.की कार्यकारी समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गई।
  4. यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. के आठ कार्य समूहों की नियमित 49 (उनचास) बैठकें आयोजित की गई।

■ डब्ल्यू.जी.–I ए (योजना मार्ग–निर्देशों का विकास)।

- डब्ल्यू.जी.–I बी (योजना एवं इंजीनियरिंग मानदण्ड/मानक)।
- डब्ल्यू.जी.–I सी (प्रलेखन एवं डाटा प्रसार)
- डब्ल्यू.जी.–II ए (नई परियोजनाओं की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन)
- डब्ल्यू.जी.–II बी (विद्यमान कॉरीडोर की रेट्रोफिटिंग)
- डब्ल्यू.जी.–III (सही समय यातायात प्रबंध)
- डब्ल्यू.जी.–IV (वेबसाइट का विकास)
- डब्ल्यू.जी.–V (गुणवत्ता आश्वासन/लेखा परीक्षा)

5. यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की वेबसाइट क्रियाशील हो चुकी है और पृथक यू.टी आई.पी.ई.सी. ''पोर्टल'' का कार्य चल रहा है। 8 परियोजनाओं को अपलोड किया गया है।
6. यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. के अनुमोदन हेतु संयुक्त आयुक्त (यातायात), दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए 58 स्थानों के विशिष्ट रोड सुधार प्रस्तावों की जांच की गई ओर उन पर कार्रवाई की गइ, जिनका क्रियान्वयन संबंधित रोड स्वामित्व एजेंसी द्वारा किया जाना है।
7. कम्यूनिटी फीडबैंक में ए.ए.यू.आई. के माध्यम से 51 सुझाव प्राप्त हुए थे। शीघ्र निवारण हेतु इनकी निगरानी की जा रही है।
8. सलाहकार (विशेष परियोजनाएं) राष्ट्रमंडल खेल, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार की बैठक आयोजित की गई और ध्यानचन्द स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, आई.जी. स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित खेल वेन्यू स्थल के लिए संकल्पनात्मक परिवहन योजना पर कार्रवाई करने के लिए सहायता की गई।

9.8 मुख्य योजना अनुभाग

- तकनीकी समिति की 12 बैठकें आयोजित की गई।
- 21 सार्वजनिक सूचनाएं जारी की।
- 25 राजपत्रित अधिसूचनाएं तैयार की।
- योजना विभाग से संबंधित 31 कार्यावली मदों वाली प्राधिकरण की 4 बैठकों के लिए ए.टी.आर.।
- दिल्ली विकास/मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास नियम, 1959 में संशोधन की कार्यवाही की।

9.9 नीति विकास कक्ष

वर्ष के दौरान निम्नलिखित नीतियों के मसौदे उप राज्यपाल के अनुमोदन के बाद शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिये गए। स्टेक होल्डर्स के साथ पुनःविस्तृत विचार–विमर्श के बाद इन नीतियों में संशोधन किया जा रहा हैं। इसके बाद इन्हें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

- दिल्ली में फार्म हाऊसों की प्रस्तावित नीति।
- बैंकट हॉल का नियमन।
- विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और ग्रामीण आबादी हेतु भवन विनियम।
- दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के विकल्प के रूप में लैंड पूलिंग और स्वामियों की भागीदारी के आधार पर भूमि के संग्रहण पर नीतिगत टिप्पणी।
- उप राज्यपाल के अनुमोदन के बाद, उक्त नीतिगत टिप्पणियां शहरी विकास मंत्रालय को भेज दी गई हैं।

पुष्प प्रदर्शनी में पुष्प व्यवस्था

9.10 भवन विभाग

9.10.1 दिनांक 01.04.08 से 31.03.09 तक की अवधि के दौरान भवन अनुज्ञा पत्रों (परमिटों) को जारी करना

क्रम सं.	इकाई	स्वीकृति	बी–1	अनंतिम आपत्ति प्रमाण पत्र	अनापत्ति प्रमाण पत्र / आपत्ति प्रमाण पत्र	पुनः वैधीकरण
1.	आवासीय, रोहिणी	2072	13	–	46	–
	आवासीय, रोहिणी के अतिरिक्त	446	62	–	259	–
2.	व्यावसायिक	154	14	–	54	02
3.	औद्योगिक	06	01	–	09	–
4.	सांस्थानिक	31	08	–	25	–
5.	ले–आउट	05	01	16	17	–
	कुल	2714	99	16	410	02

9.10.2 दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 तक की अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व।

भवन अनुज्ञा–पत्रों समझौता शुल्क, ई.डब्ल्यू. एस. प्रभारों और परिधीय प्रभारों के रूप में नीलामी क्रेताओं/आबंटितियों से (केवल चौदह करोड़ तीस लाख बाइस हजार और दो सौ चालीस रूपए) 143022240.00 रू. की राशि प्राप्त हुई।

9.10.3 शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और अन्य स्तरों द्वारा मासिक आधार पर राष्ट्रमण्डल खेल–2010 के संबंध में होटल परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति का आंकलन एवं निगरानी।

9.10.4 सूचना अधिकार अधिनियम :

अक्तूबर 2005 से 31.03.2009 तक प्राप्त कुल 1266 आवेदन पत्र, जिनमें से 1240 मामलों को निपटा दिया गया। बकाया मामले निर्धारित समय अवधि में निपटा दिए जाएंगे।

9.11 आवास एवं शहरी डिजाइन विंग

9.11.1 उत्तरी जोन

क्रम. सं	योजना	स्थिति
	आवासीय योजनाए	
1.	धीरपुर आवासीय योजना, फेज–I के लिए शहरी रूप योजना (फेज–I) क्षेत्रफल 194.5 हेक्टेयर आवासीय विकास के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 98.01 हेक्टेयर । प्रस्ताव के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध सकल क्षेत्रफल 34.64 हेक्टेयर 1. आवासीय क्षेत्रफल – 19.54 हेक्टेयर 2. सांस्थानिक क्षेत्रफल – 3.87 हेक्टेयर 3. व्यावसायिक क्षेत्रफल – 0.78 हेक्टेयर 4. हरित क्षेत्रफल – 12.55 हेक्टेयर प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 840 श्रेणी – ii 899 श्रेणी – iii 2454 प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 4193	दिल्ली नगर कला आयोग की टिप्पणियों को इस योजना में शामिल किया गया और ले–आउट प्लान में संशोधन किया गया। संशोधित ले–आउट प्लान दि.न. क. आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया।
2.	संजरपुर, धीरपुर, फेज II में आवासीय योजना	योजना विभाग में तैयार की जा रही है। डिजाइन कार्य प्रक्रिया में है, दि.ज.बो. की भूमि का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
3.	पीतमपुरा टी.वी. टावर के पास बहुमंजिले आवास एस.जी.एस. श्रेणी –III की 216 आ. इकाइयां योजना क्षेत्रफल – 1.45 हेक्टेयर 24206.66 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. पूर्ण हुआ।	निर्माण कार्य पूरा। अभियंताओं के साथ समन्वय।
4.	मोतिया खान में बहुमंजिले आवास योजना क्षेत्रफल– 11.06 हेक्टेयर श्रेणी – III की प्रस्तावित 144 आ. इकाइयां प्रस्तावित एफ.ए.आर. 14194 वर्ग मीटर	स्थल पर कार्य प्रगति पर है, निष्पादन के लिए संशोधन जारी किए गए। स्थल समन्वय।

5.	मुखर्जी नगर में बहुमंजिले आवास योजना का क्षेत्रफल – 2.83 हेक्टेयर श्रेणी – II – 112 श्रेणी – III – 224 कुल – 336 आ. ई.	स्थल पर निष्पादन के लिए अभियांत्रिक विभाग को ड्राइंगें जारी की गई। अभियंताओं से समन्वय।
6.	जहांगीरपुरी, रामगढ़ कालोनी में पीछे खाली पॉकेटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास कुल क्षेत्रफल – 0.70 हेक्टेयर प्रस्तावित एफ.ए.आर. 8150.4 वर्ग मीटर प्रस्तावित हरित क्षेत्र 1811.2 वर्ग मीटर प्रस्तावित सघनता 411 आ.ई./हेक्टेयर प्रस्तावित आ.ई. 288	जांच समिति द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया और अभियांत्रिक शाखा और संरचनात्मक शाखा को ड्राइंगें जारी की गई।
7.	कल्याण विहार विस्तार, म.आ.व. आवास अथवा रिक्त भूमि पर श्रेणी–II फ्लैट योजना का कुल क्षेत्रफल – 1.014 वर्ग मीटर विद्यमान आ. ई. – 144 प्रस्तावित आ. ई. – 46 कुल आ. ई. – 160 विस्तार पॉकेट के लिए प्रस्तावित एफ.ए.आर. – 1296 वर्ग मीटर	जांच समिति द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया और अभियांत्रिक शाखा को ड्राइंगें जारी की गई। समन्वय कार्य।
	व्यावसायिक परियोजनाएं	
	जिला केन्द्र	
8.	खैबर पास में जिला केन्द्र योजना का कुल क्षेत्रफल – 12.74 हेक्टेयर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल – 170440 वर्ग मीटर	योजना दि.न.क.आ. को प्रस्तुत की गई और उसकी टिप्पणियों का पालन करते हुए इसे दो बार संशोधित किया गया।
9.	रोहतक रोड़ में जिला केन्द्र योजना का कुल क्षेत्रफल 22.73 हेक्टेयर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल – 304580 वर्ग मीटर	जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और दि.न.क.आ. को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
10.	वजीरपुर नेताजी सुभाष प्लेस में जिला केन्द्र	शेष प्लाटों में से होटल प्लाटों की भी नीलामी की गई। जांच समिति द्वारा मूर्ति (2 सं.) के लिए पैदल पथ ड्राइंगें अनुमोदित की गई और अभियांत्रिक विंग को भेजी गई।
11.	शालीमार बाग में जिला केन्द्र योजना क्षेत्रफल 10.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. – 1,10,000 वर्ग मीटर	ब्लाक सं. I, II, III, IV, V व्यावसायिक प्लाट । प्लाट सं. I, II, III, IV नीलामी के लिए भेजे। होटल प्लॉट नीलाम किए गए। आवासीय प्लॉट और ऑडिटोरियम प्लॉट– स्थल को व्यवहार्यता जांच हेतु अभियांत्रिक विभाग को भेजा गया।
	सामुदायिक केन्द्र	
12.	गैर श्रेणीबद्ध नगर स्तर में होटल प्लाट, व्यावसायिक केन्द्र, धीरपुर फेज–I हरित क्षेत्र 40% की दर से 4000 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 225 की दर से 22500 वर्ग मीटर संशोधित दि.मु.यो. 2021 के मानकों के अनुसार विकास नियंत्रण लागू होंगे।	दिनांक 17.09.08 को होटल प्लॉट निदेशक (व्यावसायिक भूमि) को भेज दिया गया।
13.	समाज सदन ब्लाक ए, शालीमार बाग योजना क्षेत्रफल – 20026.24 वर्ग मीटर व्यावसायिक क्षेत्रफल – 14145.01 वर्ग मीटर सुविधा क्षेत्रफल – 5881.20 वर्ग मीटर	व्यावसायिक क्षेत्र प्लॉट नीलाम। सुविधा क्षेत्र आबंटन के लिए नहीं भेजा। पार्किंग क्षेत्र के लिए विकास प्लान स्थल पर निष्पादन के लिए जारी किया गया। टैक्सी स्टैंड के लिए अनुमोदित स्थल आबंटन हेतु भेजा गया।
14.	समाज सदन, ब्लॉक–बी, शालीमार बाग योजना क्षेत्रफल–33870 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. – 33870	व्यावसायिक प्लॉट, सेवा प्लॉट नीलामी/आबंटन हेतु भेजे गए। मनोरंजनात्मक क्लब प्लॉट – आबंटन के लिए भेजा गया और आबंटित कर दिया गया है।
15.	समाज सदन, लॉरेन्स रोड आवासीय योजना	संबंधित ड्राइंगों के साथ उपयोग में परिवर्तन, (अस्पताल स्थल) के लिए मसौदा तैयार किया गया और जांच समिति की बैठक के लिए भेजा गया।
16.	समाज सदन, पीतमपुरा, रोड सं. 43 पर अनुकम्पा बैंकट हॉल के पास योजना क्षेत्रफल – 13200 वर्ग मीटर होटल प्लॉटों के लिए – 3547 वर्ग मीटर व्यावसायिक उपयोग के लिए 9653 वर्ग मीटर	2 होटल प्लॉट नीलाम किए गए। व्यावसायिक प्लॉट– नीलामी हेतु भेजे गए।
17.	समाज सदन, मोतिया खान योजना क्षेत्रफल – 25902.70 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 25902.70 वर्ग मीटर	अधिकांश प्लॉटों का निपटान किया गया। बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉट नियंत्रण स्थितियों को संशोधित किया गया और निपटान हेतु भेजा गया।
	स्थानीय बाजार	
18.	स्थानीय बाजार (एस.यू.) नेहरू विहार	एकल स्थल इकाई की नीलामी की गई।
19.	स्थानीय बाजार, गुलाबी बाग योजना क्षेत्रफल– 11488 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. – 11488 वर्ग मी.	जांच समिति की 264 वीं बैठक में दिनांक 02.05.08 के मद सं. 67:2000 के द्वारा (एल.ओ.पी.) ले आउट प्लान संशोधित किया गया। इसके बाद मानकों के अनुसार आबंटन हेतु उपनिदेशक (व्यावसायिक भूमि) को भेजा गया।

	विविध परियोजनाएं	
20.	राष्ट्रमंडल खेल गांव	जांच समित द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया और दि.न क.आ को भेज दिया गया।
21.	भलस्वा गोल्फ कोर्स क्लब	विभिन्न प्रकार के स्थाई ढ़ांचे जैसे कि कैडीज हट, कियोस्क आदि के लिए ड्राइंगे अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई। क्लब भवन के लिए ड्राइंगें स्ट्रक्चरल विंग को भेज दी गई।
22.	क्रिकेट पेवेलियन आर.एस.के.पी. पीतमपुरा	संशोधित योजना रूपांतरित ड्राइंगें अभियांत्रिक खण्ड को जारी की गई।
23.	निगम बोध घाट पर श्मशान भूमि को बेहतर बनाना।	स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा है।
24.	सूरजमल स्टेडियम, नांगलोई के पास श्मशान भूमि	
25.	एम.डी.सी.एस. सी. अशोक विहार बहुव्यायामशाला + बैडमिन्टन हॉल।	नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
26.	निम्नलिखित में समाज सदनः 1. सी.डी. ब्लॉक, शालीमार बाग 2. डी.ए. ब्लॉक, शालीमार बाग 3. अशोक विहार, फेज–III 4. तिकोना पार्क, शाही ईदगाह कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मी. प्रस्तावित एफ.ए.आर. – 982 वर्ग मी.	अनुमोदित डिजाइन अभियांत्रिक विंग को भेजा गया। अनुमोदित डिजाइन अभियांत्रिक विंग को भेजा गया। फेज–I के लिए ड्राइंगें अभियांत्रिक विंग को जारी की गई। जांच समिति द्वारा योजना को अनुमोदित किया गया और स्ट्रक्चरल विवरण हेतु ड्राइंगे अभियांत्रिक विंग को जारी की गई।
27.	स्थल समन्वय पत्राचार एवं सूचना अधिकार प्रश्नों के उत्तर।	

9-11-2 दक्षिणी जोन

	आवास (इन हाउस)		
क.सं.	**योजना का नाम**	**परियोजना की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	जसोला, सेक्टर 9–ए में स्व.वि.यो. के आवासः आ.ई. की संख्या 400, योजना का क्षेत्रफल 2.55 हेक्टेयर	विकास योजना सहित विस्तृत ड्राइंगे अभियांत्रिक विभाग को निष्पादन के लिए भेजी गई। पाइलिंग कार्य आरंभ कर दिया गया है।	
2.	बसंत कुंज डी–4 में 112 उच्च आय वर्ग आ. इकाइयां	पूर्व अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनूसार चार मंजिले आवासों के निर्माण के लिए कार्य दिया गया।	स्थल पर बाधा महरौली–महिपालपुर सड़क का संरेखण, स्थल से होकर गुजरने वाली दो 11 के वी.उच्च ताप लाइनों को स्थानान्तरित करना, के कारण परियोजना अभी भी अभियांत्रिक विभाग के पास विचाराधीन
3.	जसोला, सेक्टर – 10 बी में दो कमरे के विश्राम कक्ष, आ.ई. की कुल संख्या 330 योजना का क्षेत्रफल 1.01 हेक्टेयर	निर्माण कार्य की ड्राइंगें और विस्तृत डाइंगें अभियांत्रिक विभाग को निष्पादन और लगभग समाप्त होने जा रहे निर्माण के लिए जारी की गई। विकास कार्य प्रगति पर है।	एस सी एम ने समाज सदन को अनुमोदित किया। अभियांत्रिक विभाग को ड्राइंगे जारी की गई।
4.	लाडो सराय, गोल्फ कोर्स के सामने दो कमरे + विश्राम कक्ष कुल आ. इ. 220, योजना का क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर	विस्तृत कार्य की ड्राइंगे तैयार की गई।	भूमि उपयोग में परिवर्तन अभी किया जाना है।
5.	वसंत कुंज डी–6 के पूर्व में दो कमरे–विश्राम कक्ष आवासीय इकाइयों की सं. 860, योजना का क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर	निर्माण कार्य की ड्राइंगें और विकास प्लान अभियांत्रिक विभाग को जारी किए गए। परियोजना निष्पादन के चरण में है तथा समाप्ति के समीप है।	आवासीय पॉकेट के अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार समाज सदन और सुविधा बाजार की स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
6.	मोलडबन्द में दो कमरे + विश्राम कक्ष आ. इ. की. सं. 690 योजना का क्षेत्रफल 2.5320 हेक्टेयर है।	विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	कार्य प्रगति पर है।
7.	जसोला पाकेट–12 में 140 नि.आ. वर्ग आवास	परियोजना का निर्माण कार्य समाप्ति की ओर है। बाहरी विकास कार्य प्रगति पर है।	अभियांत्रिक विभाग के साथ साइट समन्वय नियमित आधार पर लगातार किया जा रहा है। समाज सदन का अनुमोदन।
	नए आवास		
8.	9–बी, जसोला, 3 बेडरूम इकाई के साथ नौकर का कमरा, प्लाट क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, आ.इ. की सं. 480	प्रस्ताव एस.सी. मीटिंग में अनुमोदित हुआ और दि.न.क. आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन किया जा रहा है और परियोजना को दि.न.क.अ. के अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बाद मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दि.द.क.आ. की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।	मु. अभियंता (विद्युत) के समन्वय से मु. अग्नि शमन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रकिया में है।
9.	160 स्व. वि.यो. श्रेणी II आवास, सेक्टर–बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज	विस्तृत ड्राइंगें तथा परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है।	

10.	वसंत कुंज बी–4 में नौकर के कमरे सहित तीन बेडरूम वाले बहुमंजिले स्टाफ फ्लैट और क्लब, भवन, 200 आ. इ.।	जांच समिति में परियोजना पर विचार किया गया। उपाध्यक्ष के दौरे के अनुसार परियोजना संशोधित की जा रही है। दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय निवासियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने और केवल एक क्लब भवन की अवधारणा होनी चाहिए।	चूंकि यह क्षेत्र आवासीय भूमि उपयोग मे आता है इसलिए एस.सी.एम.ने निर्णय लिया कि इसे तकनीकी समिति में भूमि उपयोग बदलने के लिए रखा जाए। प्रक्रिया चल रही है।
	आवास (परामर्शदाता द्वारा)		
11.	वसंत कुंज, सुल्तानगढी के पास अधिक आवास। कुल आ.इ. 852, उच्च आ.वर्ग 416, म.आ. वर्ग 311, नि.आ. वर्ग 125, प्लॉट क्षेत्रफल लगभग 6.15 हेक्टेयर	सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्शदाता के साथ करार की अवधि नवम्बर 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि करार के अनुसार शुल्क में बढ़ोतरी अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है।	आईएस 1893–2002 के अनुसार ढांचे के आई.एस. डिजाइन में संशोधन किए गए और अभियांत्रिक शाखा के पास जांच के लिए भेज दिए गए हैं।
12.	मेगा हाउसिंग एवं रिज लाइन, सुल्तान गढ़ी बसंत कुंज के बीच अतिरिक्त 2 हैक्टेयर स्थल पर म. आ. वर्ग की 268 आ.इ., नि.आ. वर्ग 94 आ.इ. साइट का क्षेत्रफल 32 हेक्टेयर	स्ट्रक्चरल आवश्यकताओं आई.एस. 1893–2002 के अनुसार संशोधित ड्राइंगें और परामर्शदाता द्वारा संशोधित वास्तुशिल्पीय ड्राइंगे तैयार करना।	आईएस 1893–2002 के अनुसार ढ़ांचे के डिजाइन में संशोधन किए गए और अभियांत्रिक शाखा के पास जांच के लिए भेज दिए गए।
13.	वसंत कुंज, सेक्टर–डी, पॉकेट–6 के पीछे 2304 मेगा आवास	सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्शदाता के साथ करार की अवधि नवम्बर 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। परियोजना कार्यान्वयन स्तर पर है।	आवासीय ब्लॉक में लिफ्ट के प्रावधान हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया हैं। अनुमोदन के अनुसार सुविधा बाजार तथा समाज सदन के लिए भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
14.	तेहखंड में स्व स्थाने पुनर्वास योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल।	एस.सी.एम. द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित। विकासकर्ताओं ने अन्य नियंत्रक प्राधिकरणों से अनुमोदन दि.न.क.आ. पर्यावरणीय अनापत्ति आदि के लिए प्लान जमा किए।	अभियांत्रिक विभाग द्वारा परियोजना पर निगरानी की जा रही है।
15.	कालकाजी एक्सटेंशन में स्व स्थाने पुनर्वास परियोजना	एक इन हाउस अवधारणात्मक प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली में समान योजनाओं के लिए अनुमोदित प्रोटोटाइप मॉडल उपयोग किया जा रहा है।	डी.पी.आर तैयार करने के लिए अभियांत्रिक विभाग द्वारा परामर्शदाता नियुक्त किए गए।
	व्यावसायिक		
	जिला केन्द्र		
16.	नेहरू प्लेस जिला केन्द्र फेज II क्षेत्रफल 10.6 हेक्टेयर प्लॉटों की संख्या – 8	नेहरू प्लेस से होकर गुजरने वाले मेट्रो कॉरीडोर के संरेखण आधार पर चरण II के विकास के लिए संशोधित प्लान दि.न.क.आ. को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। नेहरू प्लेस चरण II में दो बजट होटल स्थल निर्धारित किए गए तथा एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित किए गए। जून 2009 में आयोग में इस मामले पर चर्चा की गई।	आयोग से सूचना अभी प्राप्त होनी है।
17.	नेहरू प्लेस फेज–I को बेहतर बनाना (अपग्रेडेशन)	क्योस्क, साइनेज टावर का निर्माण। संशोधित पार्किंग बी.ओ.टी आधार पर चल रही है।	इस संबंध में भवन स्वामियों द्वारा न्यायालयों में केस चल रहा है।
18.	भीकाजी कामा प्लेस को बेहतर बनाना।	बहुस्तरीय पार्किंग एवं सांस्कृतिक और पुलिस स्टेशन के प्लॉटों को एस.सी.एम. के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था।	एस.सी.एम. की टिप्पणियों में प्रस्तावित सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि की उपयोग व्यवहार्यता को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
19.	साकेत जिला केन्द्र कुल क्षेत्रफल – 21.4 हेक्टेयर प्लॉटों की सं. 21	सभी प्लाटों का निपटान कर दिया गया है। बी.एस.ई.एस. ने जिला केन्द्र, एक ग्रिड सब स्टेशन की मांग की है। जिला न्यायालय के समीप उनके द्वारा ग्रिड सब स्टेशन साकेत बनाया गया था और वह जिला केन्द्र की बिजली की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। वक्फ सम्पत्ति के साथ लगी रिक्त भूमि और नाले के ऊपर का क्षेत्र अधिक पार्किंग की मांग को पूरा करने के लिए पुनः डिजाइन किया गया है और संशोधित दि.मु.यो. 2021 के अनुसार उपलब्ध शेष निर्मित क्षेत्र।	ई.एस.एस. ग्रिड सब स्टेशन अवस्थिति, नालों को ढ़कना पर एस.सी.एम. तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए पुनः विचार किया जा रहा है।
20.	गैर–श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र, जसोला (जिला केन्द्र) स्थल का क्षेत्रफल 18.2 हेक्टेयर प्लॉटों की सं. 14	सभी व्यावसायिक होटल और बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉटों की नीलामी कर दी गई है। औपचारिक क्षेत्र को हाट बाजार के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्लॉट सं. 17ए और 17 बी को मिला दिया गया है। विकास कार्य प्रगति पर है।	
21.	शॉपिंग मॉल वसंत कुंज फेज–II क्षेत्रफल 19.13 हेक्टेयर, प्लाट की सं. 14	क्राफ्ट परिसर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले ले आउट प्लान में संशोधन मामला एस.सी.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।	

	समाज सदन		
22.	अलकनन्दा, कालकाजी, क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर, प्लॉटों की सं. 10	सभी प्लाटों का निपटान कर दिया गया है।	विकास कार्यों के लिए अभियांत्रिक विभाग से समन्वय।
23.	समाज सदन/ओखला फेज–I	सभी प्लॉटों का निपटान कर दिया गया है।	विकास कार्यों के लिए अभियांत्रिक विभाग से समन्वय।
24.	समाज सदन, शेख सराय	बहुमंजिले कार्यालय प्लॉट राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल प्लॉट में परिवर्तित। एस.सी.एम. को अनुमोदन प्राप्त करने के	प्लॉट को निपटान के लिए भेजा।
25.	समाज सदन, ए–14 कालकाजी	यह स्थल स्व स्थाने पुनर्वास कालकाजी एक्स. से जुड़ा है और इसे रोक दिया गया है।	
	विरासत योजनाएं		
26.	पुरातत्वीय पार्क, महरौली	गार्डन झरने के नवीकरण और हौज शमसी तालाब के पुनः स्थापन के लिए व्यापक संरक्षण योजना तैयार की जा रही है और ए.एस.आई से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेषण कार्यवाही प्रक्रिया में है।	हौज शमसी और झरना का (केस) मामला न्यायालय में चल रहा है।
27.	एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी गेट का संरक्षण	डी.यू.एच.एफ. के निदेशों के अनुसार मुख्य ऐतिहासिक प्रांगण का निर्माण कार्य अधिकांश रूप से पूरा हो चुका है। जैसा कि डी.यू.एच.एफ. की 9वीं बैठक में विचार–विमर्श हुआ था कि आनुषांगिक स्कूल भवनों के प्रलेखन और दशा का विश्लेषण (जो ऐतिहासिक प्रांगण का भाग नहीं है) पूरा है, जिसकी मरम्मत के लिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी ने भी अनुरोध किया था। इस विश्लेषण के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।	
28.	सुल्तानगढ़ी और इसके अहातों का एकीकृत संरक्षण/शहरी डिजाइन	सुल्तानगढ़ी में 5 स्मारकों के भू–दृश्यांकन और पुनः स्थापन हेतु ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। डी.यू.एच.एफ. की 9वीं बैठक के निर्णय के अनुसार दिल्ली चैपटर इन्टेक ने शेष जीर्ण अवशेषों में पुनः स्थापन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। इन्टेक, दिल्ली चैपटर ने ए.एस. आई. द्वारा पी.ई. की जांच के लिए प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है। यह अभी प्रतीक्षित है।	सुल्तानगढ़ी वास्तुकला पार्क के अतिरिक्त पी.एस.पी. क्षेत्र में होटल स्थलों और दि.वि. प्रा. विरासत आवास केन्द्र के चयन हेतु प्रक्रिया भी विकासाधीन स्तर पर है। योजना शहरी विकास मंत्रालय से चर्चा के बाद योजना इकाई होटल साइटों और हैबिटेट सेंटर के विषय में पुनः विचार कर रही है।
29.	प्रथम स्वतंत्रता युद्ध 1857 का स्मारक	कुछ स्थल कोरोनेशन पार्क, कश्मीरी गेट और कुदसिया बाग स्मारक के लिए प्रारंभ में चुने गए थे। पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण भी तैयार किया गया और माननीय उप राज्यपाल, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार आदि को प्रस्तुत किया गया। नेशनल लेवल डिजाइन कम्पीटीशन भी कार्यक्रम में शामिल है।	अभियंता सदस्य की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित समिति मे राजघाट के समीप गांधी दर्शन के साथ की रेखीय पट्टी को चुना गया है। एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
30.	हैरिटेज होटलों के रूप में हैरिटेज इमारतों का अनुकूल पुनः प्रयोग के लिए नीति दिशा–निदेश	दिल्ली भवन उपविधि तथा दिल्ली मुख्य योजना 2021 प्रावधानों की विस्तृत संवीक्षा और विश्लेषण किया गया और नीति स्तर दिशा निर्देश के लिए आधारिक ढ़ांचा तैयार किया गया और विचार हेतु माननीय उप राज्यपाल को प्रेषित किया गया।	दिल्ली भवन उपविधि और मुख्य योजना 2021 में परिसर के उपयोग में परिवर्तन करने पर विचार किया गया।
31.	"बिल्ट हैरिटेज टूवर्ड्स फ्रेमिंग गाइडलाइंस पर एक दिन की कार्यशाला	तीन तकनीकी अधिवेशनों के साथ दिनांक 10 जून 2008 को इंडिया हैबिटेट सेन्टर में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। अधिवेशन I; भवनों को सूचीबद्ध और अधिसूचना की समय अवधि बढ़ाना, अधिवेशन II; पारंपरिक / विरासत क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास योजना, अधिवेशन III : विरासत विधेयक।	विशेषज्ञ पैनल सदस्यों द्वारा चर्चा अैर विचार विमर्श करने के बाद सिफारिशें तैयार की जिन्हें शहरी विकास मंत्रालय, माननीय उप राज्यपाल तथा सभी संबंधित स्थानीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया।
	खेल परियोजनाएँ		
32.	खेल परिसर, जसोला	अतिरिक्त सुविधाएं – कवर्ड बैडमिन्टन कोर्ट, एयरोबिक हॉल और पेवेलियन ब्लॉक की व्यवस्था की गयी है तथा उसे जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी कर दी गई हैं।	एस.सी.एम. की बैठक में तरण–ताल के लिए स्थल का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है।
33.	चितरंजन पार्क में लघु खेल परिसर	सुविधा ब्लाक, रेस्टारेंट और चेंज रूम तथा शौचालय सहित पेवेलियन की एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित विस्तृत डाइंगें अभियांत्रिक शाखा को भेज दी गई।	रेस्टारेंट प्लॉट को निपटान के लिए भेजा।
34.	राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु सीरीफोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन और स्क्वैश कोर्ट।	दि.न.क.आ. और ए.एस.आई की परामर्श समिति द्वारा बैडमिंटन स्टेडियम और स्क्वैश कोर्ट के लिए वास्तु डिजाइन अनुमोदित किए गए। सीरी फोर्ट खेल परिसर में विद्यमान तरण–ताल, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस केन्द्र भवन, बैडमिंटन हॉल में अतिरिक्त ब्लाक के ट्रेनिंग स्थलों के लिए वास्तु डिजाइन को एस.जी.एम. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।	विद्यमान भवनों के रीफर्बिशमेंट के लिए ए. एस.आई. द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित है।

35.	लाडो सराय में कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए क्लब भवन	वास्तुविदिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए टेंडर ड्राइंग और आर.एफ.पी. दस्तावेज तैयार किए गए। परामर्शदाता और निर्माण कार्य के लिए वैन्डर की नियुक्ति विचाराधीन हैं।	परियोजना की निगरानी वित्त सदस्य, दि. वि.प्रा. द्वारा की जा रही है।
	विविध		
36.	स्थानीय बाजार, मदनगीर	एम.एस. प्लाट निपटान के लिए भेजा	
37.	स्थानीय बाजार, बारापुला, निजामुद्दीन पूर्व	प्लॉट निपटान के लिए भेजा तथा अन्य विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिकी विभाग को भेजी।	
38.	अलकनंदा में समाज सदन, सी.सी.	निर्माण कार्य समाप्ति की ओर	
39.	गांव तेहखंड, हरिकेश नगर, 10बी जसोला, पॉकेट–II, जसोला में समाज सदन	समाज सदन के लिए प्रस्ताव एस.सी.एम. में अनुमोदित हुआ था और विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई।	
40.	वृद्धाश्रम सावित्री सिनेमा के समीप सी.आर. पार्क	वास्तु डिजाइन प्रस्ताव को एस.सी.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया।	एन.जी.ओ./एजेंसियों को वृद्धाश्रम हेतु भूमि आबंटित करने के लिए पद्धति तैयार करने हेतु मामला भूमि निपटान शाखा को प्रेषित।
41.	एम.ओ.आर. पॉकेट 104, कालकाजी में समाज सदन एवं रीडिंग रूम	एस.सी.एम में समाज सदन अनुमोदित। विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	
42.	एम.ओ.आर. पॉकेट 9, लाजपत नगर IV में समाज सदन एवं रीडिंग रूम	एस.सी.एम में समाज सदन अनुमोदित। विस्तृत ड्राइंगे अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	
43.	समाज सदन, गांव किशनगढ़	भविष्य के उपयोग के लिए निर्धारित भूमि मे ंसे एक भाग लेकर समाज सदन के प्लॉट के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ–साथ समाज सदन के आकार को बढ़ाने के संबंध में अनुमोदित समाज सदन का संशोधन	समाज सदन का ले–आउट प्लान और ड्राइंगें एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित की गई। यह ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।
44.	समाज सदन, पॉकेट के. एवं एल. शेख सराय	उपराज्यपाल को की गई शिकायत के अनुसार आर.डब्ल्यू.ए. ने एक समाज सदन की इच्छा व्यक्त की थी। अतः मौजूदा दि.वि.प्रा. उद्यान स्थल कार्यालय जो पॉकेट के एवं एल. आवासीय पार्क में है को जैसा है जहां के आधार पर समाज सदन के रूप में उपयोग करना प्रस्तावित है। कार्य कर रहे उद्यान कार्यालय को नेहरू प्लेस में रिक्त इंजी. स्थल कार्यालय पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित था।	आबंटन/निपटान निबंधनों के संबंध में नीतिस्तर निर्णय प्रतीक्षित है।
45.	गांव महिपालपुर में समाज सदन	एस.सी. में समाज सदन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया। विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	
46.	स्थानीय बाजार बदरपुर	जांच समिति द्वारा ले–आउट प्लान में संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया और इसे आगे की कार्रवाई हेतु अभियांत्रिक और भूमि विभाग को जारी किया गया।	प्रस्ताव ए.एस.आई को भेजा गया। अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है।

इन्द्रप्रस्थ पार्क में पाम वृक्षों की कतार के बीच भ्रमण पथ (बाकवे) का एक दृश्य

9-11-3 पूर्वी जोन

क्र. सं.	परियोजना	भौतिक स्थिति	दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 के दौरान प्रगति	टिप्पणी
	जिला केन्द्र			
1	सी.बी.डी. शाहदरा, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर.227	फ्यूल स्टेशन, सिने–प्लेक्स, शॉपिंग मॉल सहित 32 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र/तीन होटल सहित 15 % निर्माणाधीन।	1. भवन विभाग द्वारा उल्लेख की गई नीलामी शर्तें के अनुसार होटल प्लॉट सं I के लिए नियंत्रण ड्राइंगें संशोधित। 2. दिनांक 12.4.2009 की प्रारूप जन अधिसूचना/प्रस्तावित होटलों (11,32) के लिए, संशोधित नियंत्रण (एफ.ए.आर, पार्किंग, ऊंचाई)।	
2	शास्त्री पार्क, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर.228	निर्मित सुविधा केन्द्र प्लॉट। कंवेन्शनल सेंटर, होटल जैसे डी. सी. प्लॉट निर्माणाधीन।	1. दिनांक 16.10.08 की प्रेस अधिसूचना द्वारा नीलामी के लिए व्यावसायिक प्लॉटों (2 और 6) को भेजा। 2. डी.सी. से इंजी. तक और ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन और वर्क डिपार्ट. तक पहुंच मार्ग के सुधार के लिए टिप्पणियों की सिफारिश की गई। 3. दिनांक 24.10.08 को मद सं. 162:2008 के द्वारा 270वीं एस./सी. में होटल प्लॉट सं. I के लिए निपटान उपरान्त संशोधन। भवन विभाग द्वारा मामले की जांच प्रेषित की गई। 4. स्थल पर वृक्षारोपण के लिए भूदृश्यांकन ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई। 5. होटल प्लॉट सं. I के लिए प्रस्तावित (एफ.ए.आर., पार्किंग, ऊंचाई) संशोधित नियंत्रण।	
3	मयूर प्लेस, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 228	ई.एस.एस. फ्यूल स्टेशन, शॉपिंग/विपणन सहित 17% निर्मित। दो सेवा अपार्टमेंट और दो होटल सहित 28% निर्माणाधीन। निर्मित/आबंटित किए जाने वाले 7% सुविधा प्लॉट।	1. दिनांक 16.10.08 को प्रेस अधिसूचना द्वारा एक प्लॉट (2ए.) कार्यालय सहित बहु स्तर पार्किंग नीलामी के लिए भेजा गया। 2. भवन विभाग द्वारा भेजी गई, दिनांक 25.7.08 को मद सं. 120:2008 द्वारा 266वीं एस/सी मे अनुमोदित दो होटल प्लॉटों (13ए, 13बी) के लिए दि.न.क.आ. की टिप्पणियों को शामिल किया गया। 3. व्यावसायिक भूमि शाखा ने 4ए (सेवा अपार्टमेंट) के लिए भेजे गए प्लॉट क्षेत्र और एफ.ए.आर. में निपटान उपरांत अधिसूचना। 4. मुख्य योजना अनुभाग द्वारा भेजे गए जिला केन्द्र ले–आउट के संबंध में टैक्सी पार्किंग स्थल की जांच।	
	समाज सदन			
4	आनन्द विहार, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर, एफ.ए.आर. 229	एक होटल प्लॉट निर्माणाधीन।	1. डी.एफ.एस. अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। 2. पी.ई. के लिए अभियांत्रिक विभाग से समन्वय। 3. राष्ट्रमण्डल खेल–2010 के दौरान पार्किंग स्थलों के रूप में पार्ट सी.सी. पर विचार किया जा रहा है।	
5	यमुना विहार प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर, एफ.ए.आर. 229		1. दिनांक 2.5.08 को मद सं. 65:2008 के द्वारा 264वीं एस./सी. में अनुमोदित एक व्यावसायिक प्लॉट का होटल प्लॉट (4) में परिवर्तन। 2. दिनांक 16.10.08 को सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा चार व्यावसायिक प्लॉट (1,2,3 और 5), एक होटल प्लॉट (4) और भूमिगत पार्किंग प्लॉट (6) को नीलामी के लिए भेजा। 3. यमुना विहार, समाज सदन के विकास के संबंध में विधान सभा के दिनांक 28.3.08 के प्रश्न सं. 144 और दिनांक 12.09.08 के प्रश्न सं. 67 के उत्तर में दिनांक 24.3.08 के पत्र सं. एफ.1 (1) 2008/सी.ए./एच.यू.पी.डब्ल्यू./डी.डी.ए./37 और दिनांक 11.09.08 एफ (1) 2008/सी.ए./एच.यू.पी.डब्ल्यू./डी.डी.ए./95 (फाइल एफ.137/एस.ए. (ई. जैड.)/एच.यू.पी.डब्ल्यू./डी.डी.ए./08 एल.जी., वी.सी., वी.आई.पी. प्रेस क्लीपिंग।	
6	विवेक विहार प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 230		1. दिनांक 2.01.09 की एस./सी. की 273वीं में सी.एन.जी. फ्यूल स्टेशन प्लॉट (एफ) अनुमोदित। 2. प्रस्तावित (ए.बी.सी.डी.) होटलों के लिए (एफ.ए.आर., पार्किंग, ऊंचाई) संशोधित नियंत्रण। 3. दिनांक 16.1.09 (एफ.139/कोर्ट केस पूर्वी जोन का अवलोकन करें) को व्यावसायिक विकास (समाज सदन) के संबंध में दिनांक 4.12.08 का सी.डब्ल्यू.पी.सं.एफ. 1197 एच. सी.।	
7	मण्डावली फाजलपुर (उत्सव मैदान के समीप), प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 231		1. परामर्शदाता द्वारा (एफ.74/पार्ट 2 का अवलोकन करें) दि. न.क.आ. को जमा की गई दि.मु.यो. 2021 के अनुसार संशोधित योजना। 2. परामर्श सेवा (एफ.74/पार्ट 2 का अवलोकन करें) की समय अवधि बढ़ाना। 3. दिनांक 8.10.08 के एफ.13(117) 08/बिल्डिंग पार्ट II 37/एन के द्वारा होटल प्लॉट 6ए.के.एफ.ए.आर. को 150 से 225 तक बढ़ाने के मामले की जांच। 4. होटल प्लॉट (6527/1) का सीमांकन प्लाट इंजीनियरिंग विभाग को जारी किया गया।	

8	मण्डावली फाजलपुर (इंजीनियर्स अपार्टमेन्ट्स के समीप) प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर, एफ.ए.आर. 232		अतिरिक्त स्थल के भूमि उपयोग की पुष्टि की शर्त पर दिनांक 2.5.08 की मद सं. 66:2008 के द्वारा 264वीं में इंजीनियर्स अपार्टमेन्ट्स के समीप मण्डावली फाजलपुर सी.जी.एच.एस. समाज सदन के ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदित किए गए।	
9	प्रीत विहार प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर, एफ.ए.आर. 233		दिनांक 11.12.08 के पत्र सं. 236 के द्वारा व्यावसायिक भूमि शाखा को होटल प्लॉट बी का विवरण नीलामी के लिए भेजा।	
10	कोण्डली घरौली, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 234		होटलों के लिए (एफ.ए.आर. पार्किंग, ऊंचाई) प्रस्तावित संशोधित नियंत्रण।	
11	एकीकृत भाडा परिसर (आई.एफ.सी.), गाजीपुर, व्यापार एवं वाणिज्य केन्द्र, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर	खाली (स्थल पर सेवाएं उपलब्ध कराई गई)।	1. दिनांक 8.8.08 की मद सं. 128:08 के द्वारा 267वीं एस./सी. में अनुमोदित। 2. व्यावसायिक भूमि शाखा को प्लॉट 1,2,3,4 नीलामी के लिए भेजा।	योजना को दि.न.क.आ. के अनुमोदन के लिए भेजा।
	स्थानीय बाजार			
12	सुख विहार प्लॉट क्षेत्रफल 2535 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 100		1. दिनांक 8.8.2008 की मद सं. 130:2008 के द्वारा 267वीं एस.सी में अनुमोदित। 2. व्यावसायिक भूमि शाखा को नीलामी के लिए भेजा।	
13	विश्वास नगर प्लॉट क्षेत्रफल 4723 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 100	रिक्त	1. दिनांक 8.12.08 की मद सं. 180:08 के द्वारा 272वीं एस/सी. में अनुमोदित।	1. प्लॉट I नीलामी के लिए भेजा जाएगा। 2. प्लॉट 2 इंजीनियरिंग विभाग को भेजा जाएगा।
14	आई.एफ.सी., पॉकेट सी, गाजीपुर, एफ.ए.आर. 100	खाली (स्थल पर सेवाएं उपलब्ध कराई गई।)	1. दिनांक 10.2.08 की मद सं. 47:2008 के द्वारा 263वीं एस/सी. में अनुमोदित 2. दिनांक 16.10.08 को प्रैस अधिसूचना द्वारा नीलामी के लिए भेजा।	
	सुविधा बाज़ार			
15	चिल्ला दल्लूपुरा, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हैक्टेयर, एफ.ए.आर. 100	खाली।	1. समन्वय शाखा द्वारा ड्राइंगें अनुमोदित। 2. पी.ई. के लिए ड्राइंगे जारी।	1. अभियांत्रिक शाखा को जारी।
16	यमुना विहार, ब्लॉक बी. एण्ड सी., प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर, एफ.ए.आर. 240			
17	मयूर विहार फेज II, प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 241		1. दिनांक 11.7.08 की मद सं. 106:2008 के द्वारा 266वीं एस/सी. में अनुमोदित। 2. अभियांत्रिकी शाखा को जारी।	
	आवासीय			
क.	नोएडा से लगते हुए कोण्डली घरौली में 1350 आ.इ.ई. डब्ल्यू.एस., प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 242	निर्माणाधीन	सी.डी.ओ. के साथ समन्वय में वर्किंग ड्राइंगें और विवरण संशोधित किया।	
ख.	डेरी फार्म से लगते कोण्डली घरौली में 480 आ.इ., ई.डब्ल्यू. एस. के आवास प्लॉट क्षेत्रफल 20.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. 243	निर्माणाधीन	1. सी.डी.ओ. के साथ समन्वय में वर्किंग ड्राइंगे और विवरण संशोधित किया।	
ग.	राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए सीरी फोर्ट खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थलों को बेहतर बनाने के लिए वास्तु डिजाइन		विद्यमान बहुउद्देशीय हॉल, विद्यमान ग्रेंड स्टैंड में टेनिस सेंटर भवन, विद्यमान तरणताल के लिए नए चेंज रूम, विद्यमान स्क्वैश कोर्ट, एथलीट लाउन्ज को बेहतर बनाना और खेलों के लिए सुविधा पूल की छत को टेनसिल से ढकना प्रस्तावित है। सभी प्रस्ताव अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा शाखा की सिफारिशों के अनुसार	कार्य चल रहा है।

			चारदीवारी की दीवार की ऊंचाई 8 फुट। सुधार के लिए संक्षेप में अनुमानित व्यय भी तैयार किया गया।	
घ.	राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थलों को बेहतर बनाने के लिए और तीरंदाजी प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण के लिए वास्तु डिजाइन।		जिमनास्टिक्स के विद्यमान भवन को बेहतर बनाने का प्रस्ताव। यमुना खेल परिसर में तीरंदाजी अर्हता और प्रशिक्षण, हॉकी और लॉन बॉल के लिए नए भवन का निर्माण किया जाना है। तीरंदाजी अर्हता भवन का डिजाइन इस प्रकार का है जिसमें क्रिकेट खेलने का उपयोग हो रहा है। अन्य प्रस्तावः तीरंदाजी प्रशिक्षण स्थल, विद्यमान बहुउद्देश्य हॉल, नए चेंज रूम के लिए विद्यमान तरणताल, एथलीट लाउन्ज और खेल खेलने की सुविधा, पूल को टेनसिल छत से ढ़कना, हाकी प्रशिक्षण और लॉन बॉल प्रशिक्षण हेतु नया ढांचा।	कार्य चल रहा है।
ड.	कड़कड़डूमा के सामने आर्य नगर और जागृति एनक्लेव के बीच बहुमंजिला आवास	खाली	1. दिनांक 8.8.08 की मद सं. 132 : 08 के द्वारा 267वीं एस. /सी. में अनुमोदित। 2. चारदीवारी/गेट और ग्रिल का विवरण जारी किया गया। 3. डी.एफ.एस. से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।	दि.न.क.आ. के अनुमोदन के लिए भेजी जानी हैं।
च.	चिल्ला गांव विस्तार के पीछे समाज सदन सहित ई.डबल्यू.एस. आवास।	खाली	1. दिनांक 5.9.2008 की मद सं. 140.:08 के द्वारा 268वीं एस./सी. में अनुमोदित।	1.समन्वय शाखा से ड्राइंगों का सत्यापन करवाना। 2.अभियांत्रिकी शाखा को जारी।
	विविध कार्य			
क.	चिल्ला खेल परिसर मे मिनी पैवेलियन।	अन्य खेल सुविधाएं चालू।	1. खेल शाखा से प्राप्त टिप्पणी सहित दिनांक 25.7.08 की मद सं. 105:2008 के द्वारा 266वीं एस./सी. में योजना प्रस्तुत।	योजना को पुनः एस.सी में प्रस्तुत करना है।
ख.	पॉकेट 'सी', आई.एफ. सी. गाजीपुर में प्रोटोटाइप क्योस्क।	खाली (स्थल पर सेवा उपलब्ध)	1. दिनांक 8.8.08 की मद सं. 133:08 के द्वारा 267वीं एस/सी. मे योजना प्रस्तुत। 2. व्यावसायिक भूमि शाखा को नीलामी के लिए भेजा।	
ग.	चिल्ला खेल परिसर में ढका हुआ बैडमिन्टन कोर्ट।		1. खेल एवं अभियांत्रिकी विभाग के साथ समन्वय से विद्युत खण्ड की आवश्यकता के अनुसार बैडमिन्टन हॉल की छत की ऊंचाई बढ़ाना।	

जसोला में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित हरित क्षेत्र

घ.	चिल्ला खेल परिसर में टेनिस प्रैक्टिस वॉल		चिल्ला खेल परिसर की आवश्यकता के अनुसार अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगे जारी।	
ड.	स्थानीय बाजार, नन्द नगरी		सांस्थानिक शाखा की आवश्यकता के अनुसार मदर डेरी मिल्क बूथ का प्रावधान।	
च.	स्थानीय बाजार, गाजीपुर		व्यावसायिक शाखा की आवश्यकता के अनुसार सेवा दुकान के प्लॉट की उपयोग व्यवहार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना।	
छ.	कडकडडूमा में समाज सदन		दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार प्लॉट सं. 2 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिफ्ट लगाना।	
ज.	दिलशाद गार्डन में पॉकेट 'आर' में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए निर्धारित खाली भूमि के ऊपर से अतिक्रमण हटाना।		भूमि प्रबंध शाखा की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त के संबंध में ड्राइंगें एवं दस्तावेज जारी करना।	
झ.	दिलशाद गार्डन पॉकेट 'डी' में नर्सरी स्कूल		योजना विंग (टी.वाई.ए.) द्वारा प्रस्तुत मामले की जांच।	
न.	पूर्वी लोनी रोड के डी.डी.ए के म.आ. वर्ग फ्लैटों और नए अशोक नगर के बीच की सड़क की चौडाई का पुष्टिकरण		भूमि प्रबंध शाखा को ड्राइंगें जारी करना।	
ट.	सुविधा बाजार, सेक्टर 'जी' कोण्डली घरौली		अभियांत्रिकी विभाग को वर्किंग ड्राइंगे जारी करना।	
ठ.	आनन्द विहार में समाज सदन, प्लॉट क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर, एफ.ए.आर. 120		दिनांक 8.12.08 की मद सं. 184:2008 के द्वारा 272वीं एस./सी. में अनुमोदित।	अभियांत्रिकी विभाग को जारी।

9.11.4 द्वारका और पश्चिमी जोन

द्वारका

1. नगर केन्द्र, द्वारका

- 3 होटल प्लॉट, 2 व्यावसायिक/शॉपिंग मॉल, 2 पार्किंग प्लॉट और 2 सामान्य व्यावसायिक प्लॉट निपटान के लिए भेजे।
- सभी ड्राइंगें अभियांत्रिकी विंग को निपटान के लिए जारी की गई।

आवासीय परियोजनाएं

1. बक्करवाला में दो शयन कक्ष बहुमंजिले आवास(240 आ.इ.) :

- दि.न.क.आ. द्वारा अनुमोदित।
- सी.एफ.ओ. को अनुमोदन हेतु भेजी। टिप्पणियां प्राप्त हुई और पुनः प्रस्तुत की।
- ई.आई.ए. अनुमोदित।

2 पॉकेट 2, सेक्टर 16–बी, द्वारका में दो शयन कक्ष बहुमंजिले आवास (346 आ.ई.)

- जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
- दि.न.क.आ. द्वारा अनुमोदित।
- सी.एफ.ओ. को भेजी। सी.एफ.ओ से पहली टिप्पणी प्राप्त की।
- सी.डी.ओ. से यूनिट प्लान के लिए स्ट्रक्चरल ड्राइंगे प्राप्त की।
- स्ट्रक्चरल जानकारी के साथ समूह प्लान/इकाई प्लान की कार्य ड्राइंगों को ठीक किया गया।
- विस्तृत कार्य ड्राइंगों का कार्य प्रगति पर है।

3. सेक्टर–14, द्वारका, तीन शयन कक्ष बहुमंजिली आवासीय योजना, (208 आ.इ.)

- जांच समिति से योजना अनुमोदित।
- अनुमोदन हेतु डी.यू.ए.सी. को भेजी गई।
- योजना सी.एफ.ओ. को भेजी गई।
- स्ट्रक्चरल ड्राइंगें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

4. सेक्टर–19, द्वारका, फेज–II, तीन शयन कक्ष बहुमंजिले अपार्टमेंट, (1240 आ.इ.)

- जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
- दि.न.क.आ. को भेजी गई।
- सी.एफ.ओ. को भेजने के लिए सिविल और विद्युत विभाग से जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

भारत वंदना प्रांगण

- जांच समिति के तथ्यों को शामिल किया गया।
- विकास नियंत्रण शर्तों पर परिचर्चा करने एवं अंतिम रूप देने हेतु तकनीकी समिति में रखा गया।
- तकनीकी समिति के कार्यवृत के अनुसार विकास नियंत्रण शर्तों में संशोधन/तकनीकी समिति के कार्यवृत के निर्णयों के अनुसार उप समिति में परिचर्चा की गई।
- तकनीकी समिति में पुनः रखा जाएगा।

जिला केन्द्र, मेट्रो स्टेशन सं. 3, सेक्टर–12

- सभी स्टेशनों पर पुनरावृत्ति हेतु मेट्रो कॉरिडोर के भूदृश्यांकन डिजाइन प्रस्ताव को मॉडल प्लान के रूप में विकसित किया जाएगा।
- अभियांत्रिक शाखा को जारी करने के लिए योजनाएं एवं कार्य योजनाएं बनाना।

जिला केन्द्र, पश्चिम विहार में होटल प्लॉट

- होटल भवन के फुट प्रिंट की पुनः डिजाइनिंग।
- जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
- डी.यू.ए.सी. को भेजा गया।

समाज सदन

1. द्वारका सेक्टर–2 में समाज सदन/पुस्तकालय जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
2. द्वारका फेज–II, सेक्टर–19 में समाज सदन/पुस्तकालय जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
3. नसीरपुर पॉकेट–5, जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
4. नसीरपुर पॉकेट–4, जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
5. द्वारका सेक्टर–13, फेज–I, एच.ए.एफ. पॉकेट जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
6. द्वारका सेक्टर–11, जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
7. पश्चिम विहार, जी.एच.–10, जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
8. नांगलोई सैयद में समाज सदन – जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
9. पृथक पॉकेट–13, द्वारका – जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
10. द्वारका सेक्टर–17, एच.ए.एफ. पॉकेट–3 में समाज सदन – जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
11. पश्चिम विहार ब्लॉक ए–3, जांच समिति द्वारा अनुमोदित।

स्थानीय बाजार बोडेला

- स्थानीय बाजार, बोडेला के ले–आउट योजना में परिवर्तन।
- जांच समिति द्वारा अनुमोदित।

धोबी घाट

द्वारका, फेज II, सेक्टर 16 बी में धोबी घाट का डिजाइन

- जांच समिति की बैठक में नोट एवं प्रशंसा की गई।
- प्रधान आयुक्त के निर्देशों के अनुसार अभियांत्रिकी शाखा को कार्य ड्राइंगे जारी।

सुविधा बाजार (सी.एस.सी.)

द्वारका सेक्टर–13, एच.ए.एफ. पॉकेट में सुविधा बाजार

- जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
- द्वारका पॉकेट–I सेक्टर–11,सुविधा बाजार–I, जांच समिति की बैठक में अनुमोदित।

खेल परिसर

1. खेल केन्द्र द्वारका सेक्टर–17

- जांच समिति द्वारा भूदृश्यांकन योजना/डिजाइन अनुमोदित एवं व्यवहार्यता हेतु ड्राइंगे अभियांत्रिकी शाखा को जारी।

2. द्वारका, सेक्टर–11 में खेल परिसर

- प्रवेश डिजाइन संशोधित की गई एवं संकल्पनात्मक योजना जारी की गई।
- एरोबिक हॉल की डिजाइन, विनिर्दिष्टियों के साथ अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।
- कनिष्ठ जे.ई. कार्यालय की डिजाइन विनिर्दिष्टियों के साथ अभियांत्रिकी शाखा को जारी की गई।

3. हरी नगर खेल परिसर

- प्रवेश/पार्किंग क्षेत्र पारित।
- अभियांत्रिकी शाखा को एरोबिक हॉल की डिजाइन जारी की गई।

4. प्रताप नगर लघु खेल परिसर

- चार दीवारी और तरणताल के चारों ओर दीवार का डिजाइन, रंग योजना, संकेत चिह्न योजना।

अन्य परियोजनाएं

1. जांच समिति के समक्ष पुनरीक्षा हेतु विकास मीनार के आसपास के क्षेत्र का पुनः निर्धारण प्रस्तुत।
2. विकास मीनार में शौचालयों का नवीकरण जांच समिति द्वारा अनुमोदित।
3. विभिन्न व्यावसायिक परिसरों में सी.एन.जी. स्थलों हेतु प्रावधान।
4. विभिन्न अदालती मामले, आर.टी.आई और अन्य प्रशासनिक कार्य।

9.11.5 रोहिणी एवं नरेला

व्यावसायिक परियोजनाएं	टिप्पणी
1. रोहिणी, सेक्टर–3 में स्थानीय बाजार सं–7	योजना जांच समिति से अनुमोदित है और उसकी ड्राइंग अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई।
2. रोहिणी, सेक्टर–23 में सुविधा बाजार	यथा
3. रोहिणी, सेक्टर–11 में सुविधा बाजार	यथा
4. रोहिणी, सेक्टर––11 में सुविधा बाजार सं–4	यथा
5. रोहिणी, सेक्टर–11 में सुविधा बाजार सं–6	यथा
6. रोहिणी, सेक्टर–11 में सुविधा बाजार, सं–7	यथा
7. रोहिणी, सेक्टर–3 में स्थानीय बाजार सं.4 सी	यथा
8. सेवा दुकानों के साथ सुविधा बाजार सं.4	योजना जांच समिति द्वारा अनुमोदित है और उसकी ड्राइंग अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई और ड्राइंग भूमि विभाग को निपटान हेतु भेजी गई।
9. रोहिणी, सेक्टर–22 में सेवा दुकानों के साथ सुविधा बाजार सं.2	यथा
10. सुविधा बाजार/ओ.सी.एफ सं.2 (सेवा केन्द्र)	यथा
11. रोहिणी, सेक्टर–11 सुविधा बाजार केन्द्र सं.1	योजना जांच समिति द्वारा अनुमोदित है और उसकी ड्राइंग अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई है।
12. सुविधा बाजार/ओ.सी.एफ. सं.5 (सेवा केन्द्र)	यथा
13. रोहिणी, अवन्तिका, सेक्टर–1, पॉकेट ई में सुविधा बाजार	यथा
14. रोहिणी, सेक्टर–7 में समाज सदन	योजना जांच समिति डी.यू.ए.सी. द्वारा अनुमोदित है एवं ड्राइंगे अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई। अग्नि शमन से प्रमाण पत्र प्राप्त होना है।
15. रोहिणी, सेक्टर–15 में समाज सदन	यथा
16. रोहिणी, सेक्टर–16 में समाज सदन	यथा
17. रोहिणी, सेक्टर–21 में समाज सदन	योजना जांच समिति द्वारा अनुमोदित है और ड्राइंग निपटान हेतु भूमि विभाग को भेजी गई
18. रोहिणी, सेक्टर–25 में समाज सदन	यथा
19. रोहिणी, सेक्टर–10 में ट्विन जिला केन्द्र	निर्माण एवं विकास कार्य चल रहा है।
20. ट्विन जिला केन्द्र II	अभियांत्रिकी शाखा द्वारा ले आउट प्लान में विसंगतियों को शामिल करने के पश्चात नियंत्रण ड्राइंगे परामर्शदाता (प्राइवेट) द्वारा जारी की जाएगी।
21. मंगलम प्लेस जिला केन्द्र	केवल कुछ परियोजनाएं निपटाई जानी शेष हैं। स्थल पर 50% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

आवास परियोजनाएं	टिप्पणी
1. रोहिणी, सेक्टर–34, साइट–1 में 2800 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	जांच समिति की बैठक में यह योजना अनुमोदित है और आगे का विवरण तैयार किया जा रहा है। अब निजी भवन निर्माताओं द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. आधार पर 50,000 आ.पि.वर्ग आवासों का निर्माण होना है।
2. रोहिणी, सेक्टर–34, साइट–2 में 3060 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	यथा

3. रोहिणी, सेक्टर–34, साइट–3 में 3510 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	यथा
4. रोहिणी, सेक्टर–34, साइट–4 में 3300 ई.डब्ल्यू.एस. + नि.आ.व. आवासीय इकाइयां	यथा
5. रोहिणी, सेक्टर–35, साइट–5 में 2280 ई.डब्ल्यू.एस.+नि.आ.व. आवासीय इकाइयां	यथा
6. रोहिणी, सेक्टर–35, साइट–6 में 2010 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	यथा
7. रोहिणी, सेक्टर–19 में 256 आवासीय इकाइयां दो शयन कक्ष बहुमंजिले आवास	योजना, दि.न.क.आ. से अनुमोदित है और कार्य ड्राइंग तथा विवरण तैयार किया जा रहा है। अग्नि शमन से प्रमाण पत्र प्राप्त होना है।
8. रोहिणी, सेक्टर–26 में 316 आवासीय इकाइयां दो शयन कक्ष बहुमंजिले आवास	यथा
9. नरेला, सेक्टर–ए–9 में 483 आवासीय इकाइयां दो शयन कक्ष बहुमंजिले आवास	यथा
10. सिरसपुर में 5080 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	जांच समिति की बैठक में यह योजना अनुमोदित है और आगे का विवरण तैयार किया जा रहा है। अब निजी भवन निर्माताओं द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. आधार पर 50,000 आ.पि.वर्ग आवासों का निर्माण होना है।
11. रोहिणी, सेक्टर–4 में 1190 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	योजना जांच समिति की बैठक से अनुमोदित है और आगे का विवरण तैयार किया जा रहा है।
12. रोहिणी, सेक्टर–26 में 2630 ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय इकाइयां	यथा
13. रोहिणी, सेक्टर–29 में 560 आवासीय इकाइयां बहुमंजिले आवास	योजना दि.न.क.आ. से अनुमोदित है और कार्य ड्राइंग तथा विवरण तैयार किया जा रहा है। अग्नि शमन प्रमाण पत्र प्राप्त होना है।
14. रोहिणी, सेक्टर–28, पॉकेट–1 में 300 नि.आ.व. आवासीय इकाइयां	जांच समिति की बैठक में यह योजना अनुमोदित है एवं आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

विविध परियोजनाएं

1. नरेला में खेल केन्द्र	विस्तृत ड्रांइगें तैयार की गई एवं अभियांत्रिकी शाखा को भेज दी गई।
2. मधुबन चौक में दि.वि.प्रा. का क्षेत्रीय कार्यालय	निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्लानिंग आंतरिक ले आउट तैयार किया जा रहा है। बाहरी सज्जा का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

मार्च 2009 तक पूरी की जाने वाली परियोजनाएं

1. नरेला, सेक्टर ए–10 में समाज सदन
2. रोहिणी, सेक्टर–6 में समाज सदन
3. रोहिणी में दो सुविधा बाजार।
4. रोहिणी, सेक्टर–26 में शव दाह एवं कब्रिस्तान भूमि।

9.12 भूदृश्य एवं पर्यावरण योजना इकाई

9.12.1 भारत की राजधानी, दिल्ली देश के सबसे हरे–भरे महानगरों में से एक है और दि.वि.प्रा. जो भारत में सबसे पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, न केवल शहर का निर्माण करता है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्ता पूर्ण जीवन भी सुनिश्चित करता है। जिसमें सतत् विकास, उन्नयन तथा शहर के हरे–भरे एवं वायुप्रद क्षेत्रों के रख–रखाव पर जोर दिया जाता है। दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसी प्राकृतिक विशेषताओं वाले स्थलों का भी संरक्षण किया है और क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों तथा समीपवर्ती हरे–भरे क्षेत्रों के रूप में खुले स्वच्छ वायुप्रद स्थानों का विकास किया है, इस तरह यह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लगभग 3800 छोटे एवं बड़े पार्कों से इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

9.12.2 अपने इस प्रयास में दि.वि.प्रा. हरित पट्टियों के विकास, विशिष्ट पार्कों, शहरी वनों, स्मारकों के आसपास हरित क्षेत्रों जैव वैविध्य पार्कों आदि के विकास को बढ़ावा देता रहा है। इनकी डिजाइन दि.वि.प्रा. के भू–दृश्य यूनिट द्वारा ही तैयार की जा रही है। इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

- मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना और डिजाइन करना।
- दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी जिला पार्कों का डिजाइन और समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, शिशु पार्कों तथा आवासीय क्षेत्रों में लघु पार्कों का भी डिजाइन तैयार करना।
- स्वस्थ पर्यावरण बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों में खेल सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
- भू–दृश्य यूनिट में विशेष परियोजनाएं जैसे जैव–वैविध्य पार्क, गोल्फ कोर्स, सैनीटरी लैंडफिल स्थलों (इन्द्रप्रस्थ पार्क) का सुधार, नदी तट विकास, आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। योजना में जलागम विकास, बरसाती पानी संग्रहण और संरक्षण तथा भू–जल रिचार्जिंग की अवधारणा को भी अपनाया गया है।

9.12.3 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान भू–दृश्य एकक द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं

I. आस्था कुंज

आस्था कुंज परियोजना की व्यापक स्तर पर कल्पना की गई है। जो व्यावसायिक, धार्मिक एवं आवासीय प्रकृति के विभिन्न भूमि–उपयोगों के साथ–साथ शहरी खुले स्वच्छ वायुप्रद स्थलों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

नेहरू प्लेस के निकट दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित आस्था कुंज का एक दृश्य

यह पार्क तीन धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर–बहाई मंदिर, इस्कॉन मंदिर और कालका जी मंदिर से घिरा हुआ है। उत्सवों के समय आस्था कुंज इन मंदिरों के लिए विस्तारित स्थान का कार्य करता है। यह पार्क नेहरू प्लेस जिला केन्द्र में काम करने वाले लोगों और वर्ष के विभिन्न समयों में घूमने आने वाले लोगों की शहरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आसपास के क्षेत्रों जैसे कैलाश कॉलोनी एवं संत नगर जैसे क्षेत्रों में जॉगिंग ट्रैक्स, योग प्लेटफार्म, पेवेलियन, बच्चों के खेलने के मैदान आदि उपयुक्त प्रकार से बनाए गए हैं।

आस्था कुंज से होकर निकलने वाले मेट्रो कॉरिडोर से अर्बन पार्क, लोटस प्लाजा, शिशु क्रीडा स्थल इत्यादि का हवाई नजारा देखा जा सकेगा। पार्क के विभिन्न क्षेत्रों का विकास प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, शांत शहरी स्थल जो कि चारों ओर के वातावरण का अभिन्न अंग होते हैं, को प्रदान करने के उद्देश्य से सोच विचार कर किया गया है। इस प्रकार आस्था कुंज शहर के व्यस्ततम् जिला केन्द्र के समीप एक हरित शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है।

सभी विभिन्न क्षेत्रों जैसे अरबन पार्क, फूड कोर्ट्स, एम्फीथिएटर, योग प्लेटफार्म, सत्संग क्षेत्र इत्यादि लगभग पूरे होने वाले हैं। कुछ क्षेत्र जैसे शिशु क्रीड़ा स्थल, सभा स्थल निर्माणाधीन है।

II. यमुना जैव वैविध्य पार्क (फेज I एवं II)

फेज I

दिल्ली में जैव–वैविध्य पार्क विकसित करने का आदर्श विचार तत्कालीन माननीय उपराज्यपाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह दिल्ली विश्वविद्यालय

यमुना जैव–वैविध्य पार्क में कीलबैक सर्प का दृश्य

अरावली जैव–वैविध्य पार्क में घोंसला बनाता हुआ कॉपर स्मिथ बार्बेट

के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह 156 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वजीराबाद (बाहरी रिंग रोड) के समीप अवस्थित है। जैव–वैविध्य पार्क का अभियान यमुना नदी तट के जैव–वैविध्य भंडार एवं विरासत के साथ–साथ शहरी समाज को पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है।

एक प्रकृति व्याख्या केन्द्र का विकास किया गया है। यह केन्द्र यमुना नदी के सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय इतिहास पर प्रकाश डालता है एवं इसके विविध वनस्पति और वन्य जीवों के विकास के संबंध में यमुना जैव वैविध्य–पार्क के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बताता है।

टीलो पर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्निर्माण द्वारा आगंतुक क्षेत्र के साथ इसकी आधारित संरचना विकसित की गई है।

टेढ़े–मेढ़े बहने वाले जलाशय और नम स्थानों ने अधिक से अधिक दुर्लभ प्रवासी पक्षियों सहित जीव जंतुओं को आकर्षित करने के उद्देश्य को बढ़ाया है।

आगंतुक क्षेत्रो में उपयुक्त स्थानों पर बांस के पुल, विश्राम स्थल और बांस के शौचालय बनाए गए हैं। एम्फीथियेटर को इस तरह से विकसित किया गया है कि उसके पीछे जलाशय है और यह वर्ष भर अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यानों एवं महत्वपूर्ण समारोहों का स्थल रहा है।

यहां औषधीय उद्यान पर लकड़ी के एक मंडप का निर्माण किया जा रहा है। आयुर्वेदिक स्थल एवं प्रयोगशाला ब्लॉक का भी यहां निर्माण किया जाएगा।

फेज II

इसमें नदी तट के समीप बाढ़ से प्रभावित समतल क्षेत्र का 300 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। इस भू–भाग में दलदल, छिछले जलाशयों, गहरे जलाशयों के साथ–साथ समतल क्षेत्र है। यमुना जैव–वैविध्य पार्क फेज–II का विकास तराई क्षेत्र (वेटलैंड्स), घास के मैदान (ग्रास लैन्ड्स) और बाढ़ से उत्पन्न वन के ताने–बाने के रूप में किया जाएगा। योजना में निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तावित हैं :–

तराई क्षेत्रों (वेटलैन्ड्स) के विविध तंत्र के साथ एक बड़े तराई क्षेत्र का विकास किया जाएगा जिसमें घास के मैदान विकसित किए जाएंगे। विभिन्न जोनों, बाढ़ से प्रभावित विभिन्न समतल क्षेत्रों और यमुना नदी (बेसिन) घाटी की वन समुदायों की विशेषताओं की स्थापना की जाएगी। यहां शयनगाह एवं परिवार आवास सहित रात्रि में कैम्पिंग सुविधा। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, तराई क्षेत्र देखने की गैलरी आदि का भी प्रस्ताव किया गया है।

III अरावली जैव–वैविध्य पार्क

अरावली जैव–वैविध्य पार्क का कार्य वर्ष 2003 में दिल्ली–विश्वविद्यालय के सहयोग से आरंभ कियाा गया था। यह स्थल वसंत कुंज और वसंत विहार के बीच 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवस्थित है।

शहरी क्षेत्रों में जैव वैविध्य–पार्कों की स्थापना एक नई–अवधारणा है और दिल्ली में ऐसे जैव–वैविध्य पार्कों का विकास शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का प्रथम प्रयास है। ये प्राचीन स्थल हैं और विलुप्त हो रहे वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए

यमुना जैव–वैविध्य पार्क में बांस का सेतु

आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। ये पार्क अत्यधिक पारिस्थितिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए ये प्राकृतिक क्षेत्र स्थानीय मौसम के लिए प्रतिरोधक होते हैं और भू–जल स्तर बढ़ाते हैं एवं कार्बन डाई ऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को कम करते हैं। इन पार्कों से शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं संरक्षणात्मक मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अरावली जैव–वैविध्य पार्क, विश्व की प्राचीनतम् पर्वत श्रेणियों के जैव वैविध्य संरक्षण क्षेत्र हेतु विकसित किया गया है और यह शहरी आधारिक संरचना जिसमें शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संरक्षणात्मक मूल्य हैं, का अभिन्न अंग हैं। पार्क के अन्य कार्य पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाना है और स्थानीय पर्यावरण जिसमे भू–जल स्तर को बढ़ाना शामिल है, में सुधार करना है।

अरावली जैव वैविध्य का भूदृश्यांकन उथली घाटियों, उन्नत चोटियों एवं समतल क्षेत्र के साथ लहरदार है परन्तु इसमें विभिन्न रूपों एवं आकार के भुरभुरी मिट्टी के गड्ढे हैं। दो प्रमुख सीमांकित क्षेत्र हैं: (i) आगंतुक जोन (ii) प्राकृतिक आरक्षित जोन।

आगंतुक जोन की निम्न विशेषताएं है:–

वृक्ष, पर्वतीय भूमि, झीलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, नम भूमि के साथ तटवर्ती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय बरसाती वन, आर्किड प्रजातियों का संरक्षण (आर्किडेरियम), फर्नस एवं एलिज का संरक्षण (फर्नरी) का संरक्षण, तितलियों का संरक्षण, एम्फीथिएटर, कैम्पिंग स्थल, औषधीय पौधों का संरक्षण, कैक्टस प्रजातियों का संरक्षण, रॉक गार्डन, गांठदार (ट्यूबरस) एवं केन्द्रीय (बल्बस) पौधों का संरक्षण।

प्रकृति आरक्षित जोन में प्रजातियों के विकास के लिए समय–समय पर चरणबद्ध तरीके से विभिन्न समूह की प्रजातियां का समावेश आवश्यक होता है। परिणामस्वरूप, सर्वेक्षण, बीजों का संग्रहण, पौधे, बीजों का अंकुरण, पौधों के बीजों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये पादप प्रजातियों के विकास के महत्वपूर्ण कदम हैं।

आर्किडेरियम, फर्नरी एवं तितलियों के संरक्षण के प्रबंधन पादप प्रजातियों और कीटों की प्रजातियों (केवल बटरफ्लाई पार्क के मामले में) की वृद्धि एवं विकास पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। पहले से ही विकसित कुछ जैविक प्रजातियों, प्रत्येक प्रजाति, प्रजातियों के संगठन और पारिस्थितिक विकास एवं वृद्धि पर प्रतिदिन निगरानी होती है। इन सभी कार्यकलापों में पर्याप्त संख्या में वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होता है और कार्यकलाप निरंतर होते हैं। पार्क में जैव विविधता बनाए रखने हेतु अलग–अलग

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी में झील का एक दृश्य

प्रजातियों के पशुओं की जनसंख्या की निरंतर निगरानी भी आवश्यक है।

कुछ क्षेत्र पथरीले एवं मृदा रहित है। इन आवासों को साधित करना है और मृदा की निगरानी, विकास, स्थायित्व, मृदा के पोषक तत्वों में वृद्धि जैसे कार्यकलाप निरंतर जारी हैं और इनमे पर्याप्त वैज्ञानिक तथ्यों की आवश्यकता होती है।

IV- स्वर्ण जयन्ती पार्क (यमुना नदी तट का विकास)

फेज–I

इस स्कीम के अन्तर्गत 83 हेक्टेयर क्षेत्र, जो यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र के पीछे पुराने रेलवे पुल और आई.टी.ओ. के बीच स्थित है, को प्रथम चरण के रूप में विकसित किया जा रहा हैं योजना में एम्फी थियेटर, आगन्तुक प्लाजा, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, भोजनालय, बच्चो के लिए खेल के मैदान, रख–रखाव किए गए हरित क्षेत्र, पैदल मार्ग, साइकिल मार्ग आदि, जो सक्रिय जोन का भाग हैं, जैसे कार्यकलापों सहित सक्रिय एवं शांत मनोरंजनात्मक जोन शामिल हैं। शांत जोन में कई जलाशय और स्थल के बीच में बने हुए पैदल पथ तथा टेढ़े–मेढ़े साईकिल मार्ग शामिल हैं। शांत क्षेत्र का डिजाइन सक्रिय क्षेत्र के कार्यक्रम आयोजन की तुलना में शांत वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान नाले पर जलाशय बनाया गया है। नए पी.डब्ल्यू.डी. रिंग रोड बाइपास को जगह देने के लिए प्रस्ताव में बदलाव शामिल किए गए हैं।

फेज–II

यह पुश्ता परियोजना का अगला चरण है। दि.वि.प्रा. के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अब इस परियोजना को स्वर्ण जयन्ती पार्क का नाम दिया गया है। फेज–I की विशेषताओं के प्रकार के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के

अंतर्गत क्षेत्र अर्थात् बांध द्वारा बना लूप 100 वर्ष तक बाढ़ के खतरे से सुरक्षित होगा। अतः इसे इंटरप्रिटेशन सेंटर, जल जीवशाला, शिल्प बाजार आदि जैसे अन्य स्थायी डिजाइन के लिए आरक्षित रखा गया है। स्थल से होकर बहने वाले असंसाधित नालो को साफ किया जाएगा ओर इसे स्थल के अन्दर बड़े सभा क्षेत्रों के साथ जलाशय के रूप मे प्रयोग किया जाएगा।

V. संजय झील हरित क्षेत्र, त्रिलोकपुरी का उन्नयन

यह एक पुरानी भूदृश्यांकन परियोजना है जो 140 एकड़ भूमि पर विकसित की गई है जिसमें 25 एकड़ झील क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र नीतिबद्ध रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग–24 के साथ–साथ स्थित है और 2010 के खेल गांव के समीप हैं एवं यह पूर्वी दिल्ली का अकेला बड़ा हरित क्षेत्र है। इसके उन्नयन के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से पुनः विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस स्थल में अनेक सुविधाएं जैसे नौका क्लब, भोजनालय, बच्चो ंके लिए पुस्तकालय, कियोस्क आदि अवस्थित है। डी.टी.टी.डी.सी. ने इन सुविधाओं के समीप ही मनोरंजन पार्क जो कि इसके उपयोग करने वालों को व्यापक अनभुव प्रदान करेगा और इन सुविधाओं का अभिन्न हिस्सा होगा, को विकसित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रवेश एवं पार्किंग सुविधाएं भी बढ़ायी जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर पदयात्रियों एवं वाहनों के लिए अतिरिक्त प्रवेश प्रस्तावित किए गए हैं। विभिन्न भूदृश्यांकन विशेषताओं जैसेः डक इन्क्लेव, समारोह स्थल, बैठने के स्थान, जेटी, प्रवासी पक्षियों के लिए क्षेत्र, झील के अन्दर अतिरिक्त फव्वारे, बाल उद्यान, फिटनेस ट्रेल आदि प्रस्तावित किए गए हैं।

VI. राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाएं

दिवि.प्रा. द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं के भूदृश्यांकन को भूदृश्यांकन परामर्शदाताओं के परामर्श से समन्वित किया गया एवं अंतिम रूप दिया गया है। सभी सड़कों एवं सार्वजनिक क्षेत्रो ंका परीक्षण कर लिया गया है एवं ड्राइंगे अभियांत्रिकी एवं उद्यान खंडों को सौंप दी गई है। निर्माण के विवरणों से संबंधित चर्चा विभिन्न मंचों (फोरम) के परामर्शदाताओं से कर ली गई है। सीरी फोर्ट खेल परिसर और यमुना खेल परिसर में नई सुविधाओं के भूदृश्यांकन प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रमंडल खेलों के स्थल हैं। भूदृश्यांकन योजनाओं एवं विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए भूदृश्यांकन परामर्शदाताओं के साथ समन्वय एवं परिचर्चा सत्र आयोजित किया जा चुका है। अवस्थित एवं प्रस्तावित पहलुओं जैसे – सभी स्थलों का समामिलन, विद्युतीकरण, पार्किंग क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्रों एवं पौधारोपण के कार्य किए गए। विवरण तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान यमुना खेल परिसर एवं सीरी फोर्ट खेल परिसर की पुनर्सज्जा का कार्य कराया जा रहा है।

VII. निर्धारित स्थलों पर जलाशयों का विकास

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकारण ने दिल्ली के अनेक जलाशयों के पुनरुद्धार, रख–रखाव और सुधार के कार्य को पारिस्थितिकीय एवं उन्हें बनाए रखने के रूप में आरम्भ किया है। भूदृश्यांकन इकाई द्वारा लगभग 30 जलाशय स्थलों के विकास के लिए भूदृश्यांकन योजना तैयार की गई और विकास के लिए अनुमोदित की गई है।

VIII. नांगलोई सैयद में आम के बाग की भूदृश्यांकन योजना

इस क्षेत्र का भूमि उपयोग ''मनोरंजनात्मक'' है और एक भाग संरक्षित वन के रूप में है। यह स्थल आकार में अनियमित है और नजफगढ़ नाले से लगता हुआ है। दक्षिणी दिशा में वाहन चलने योग्य एक सड़क स्थल को दो असमान भागों में विभाजित करती है। दक्षिणी भाग में विकसित पार्क, श्मशान भूमि तथा घने वृक्षों का क्षेत्र है। वर्तमान श्मशान भूमि के समीप ही 1.0 हेक्टेयर का एक अतिरिक्त क्षेत्र कब्रिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है। यह स्थल फलदार वृक्षों तथा अन्य किस्मो ंके पौधों की विविध किस्मों से भरा हुआ है। आम जनता द्वारा फलोद्यान के विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए स्थल पर विविध चौड़ाई वाले कच्चे मार्गों का समूह प्रस्तावित है। फलोद्यान के अलग–अलग भागों में विभिन्न फलों की किस्मों के वृक्षों को उनके फल देने के मौसम के आधार पर बांटा गया है। मनोहारी दृश्य के लिए फूलों के विविध वृक्ष तथा झाड़ियां भी प्रस्तावित हैं। अन्य बैठने के स्थलों के साथ बांस और छप्पर के बने आश्रय–स्थल भी प्रस्तावित हैं। लगभग 1.0 हेक्टेयर के आकार की एक बड़ी नर्सरी भी प्रस्तावित है।

IX. भलस्वा मनोरंजनात्मक परिसर की अवधारणा योजना

भलस्वा झील परिसर 92 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ

इन्द्रप्रस्थ पार्क का प्रवेश द्वार

है। उत्तरी दिल्ली के लिए इस क्षेत्र को मनोरंजनात्मक केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है। कुल क्षेत्र के लिए एक अवधारणात्मक प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। यह मोटे रूप से भलस्वा झील परिसर को 18 गोल्फ कोर्स हॉल में उपविभाजित करता है। जिसके लिए पी.जी.ए.आई. परामर्शदाता एवं झील के चारों ओर अन्य मनोरंजनात्मक गतिविधियां जिनमें शांत मनोरंजन जैसे दरबा, जंगल, पारिस्थितिक जोन इत्यादि सम्मिलित हैं और सक्रिय मनोरंजन जैसे जल क्रीड़ा, नौकायन, भक्ति क्षेत्र, समारोह स्थल हैं।

X. लाजपत नगर, नाले के प्रस्तावित ढकाव के ऊपर हरित क्षेत्र के भूदृश्यांकन की योजना

लाजपत नगर में ब्लॉक एफ से ब्लॉक आई तक लगभग 1.8 किमी लम्बा नाला जिसकी चौड़ाई 12 से 14 मीटर है, वर्तमान में एक खुली नाली है जिसको ढका जाएगा और इसके ऊपर के स्थान को भ्रमण (जॉगिंग), विश्राम (रिलेक्सिंग) के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यहां घूमने वालों के लिए एक भ्रमण पथ (जॉगिंग ट्रेक), खरीददारों के लिए बैठने की व्यवस्था, आराम कुर्सियों एवं छायादार क्षेत्रों वाला सुलभ रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

XI. बत्रा अस्पताल के सामने संगम विहार मे हरित क्षेत्र के भूदृश्यांकन की योजना

इस स्थल का कुल क्षेत्रफल 5.13 हेक्टेयर है। यहां मंगल बाजार की ओर से पैदल यात्रियों के लिए दो प्रवेश द्वार प्रस्तावित हैं। घूमने के लिए गोल रास्ता प्रस्तावित है। स्थल पर बहुत पेड़ हैं। जिन स्थानों पर पेड़ नहीं हैं, वहां वर्तमान में खेल का मैदान प्रस्तावित है परन्तु यहां कच्चे आवासों को हटाने के पश्चात् खेल के मैदान को बढ़ाया जा सकता है। छाया प्रदान करने एवं स्थान को पहचान देने अर्थात् रीजनल पार्क बनाने के लिए बड़ी संख्या में देशी पेड़ जैसे नीम प्रस्तावित है।

इस हरित क्षेत्र के विकास से आसपास के लोगों को लाभ होगा एवं आगे अतिक्रमण रूकेगा।

XII. कालका जी एक्सटेंशन, पॉकेट ए–10 में एन. एच.पी.

इस स्थल का कुल क्षेत्रफल 6.62 हेक्टेयर है। इसमें से होकर बहने वाले नाले के कारण यह स्थान अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। एन.एच.पी. तीन ओर से सात मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है। पार्क लगभग सभी तरफ से आवासीय फ्लैटों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में पॉकेट ए–10 और साई बाबा विद्यालय, दक्षिण एवं पश्चिम में कालकाजी एक्सटेंशन के पॉकेट ए–11 एवं ए–14 और इसके उत्तर/पश्चिम में झुग्गियां हैं।

इस एन.एच.पी. के दो प्रवेश द्वार हैं। इसके पूर्व की ओर गैस गोदाम एवं डीलर कार्यालय हेतु भूमि आबंटित की गई थी। पार्क का दक्षिण/पश्चिम हिस्सा पहले से ही विकसित है और यहां उद्यान कार्यालय, नर्सरी सुसज्जित बगीचा और गोल रास्ता है।

इस स्थल के समानांतर नाला दक्षिण से उत्तर/पश्चिम की ओर बहता है। शौचालय सुविधा होने के बावजूद, झुग्गी मे रहने वाले लोग इस स्थल के आसपास के क्षेत्र को शौच एवं कचरा डालने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में यह एक बड़ी समस्या है जिसे रोका जाएगा। स्थल पर बड़ी संख्या में कीकर के पेड़ हैं।

पार्क में प्रवेश के लिए चारों ओर से रास्ता है। पूर्व की ओर पदयात्रियों के लिए चौक एवं पार्किंग प्रस्तावित है। साधारण गोल रास्तों के साथ पदयात्रियों के लिए नाले के ऊपर से सेतु (ब्रिज) प्रस्तावित है। उत्तर की ओर बच्चों के खेलने की जगह प्रस्तावित है। पूर्वी प्लाजा (चौक) के समीप वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर प्रस्तावित है। उत्तरी छोर पर सड़क के मिलने के स्थान पर आवश्यकतानुसार बी.ओ.टी. प्रस्तावित है। क्षेत्र में वृद्धि करने एवं इसे उपयोगी बनाने के लिए नाले में से होकर बहने वाले गन्दे पानी (सीवेज) को जैविक विधि से संसाधित किया जाना है।

XIII. वसंत विहार में वसंत उद्यान के उन्नयन हेतु भूदृश्यांकन प्रस्ताव

पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 17.22 हेक्टेयर है।

यह वसंत विहार में स्थित है जिसके उत्तर में पूर्वी मार्ग, पूर्व में गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल, दक्षिण–पूर्व में मुनीरका आवासीय कॉलोनी, दक्षिण में वसंत कॉन्टीनेंटल होटल और पश्चिम में कम्यूनिटी सेंटर, वसंत लोक है।

तैयार की गई भूदृश्यांकन योजना आर.डब्ल्यू.ए. और उपयोग करने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां गोल रास्ते का प्रस्ताव किया गया है जिसकी लम्बी 1.7 किमी होगी और जो घूमने वालों के लिए पगडन्डी का कार्य करेगा। प्रत्येक 100 मीटर के अन्तराल पर एक 1.6 किमी लम्बा व्यायाम स्थल (एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म) प्रस्तावित है। प्रत्येक प्लेटफार्म पर व्यायाम की प्रकृति के बारे मे बताने वाला प्रदर्शक बोर्ड (डिसप्ले बोर्ड) लगाया जाएगा और जहां कहीं भी आवश्यक हो उपकरण लगाए जाएंगे। बाड़ा राव का गुंबद स्मारक के चारों ओर के क्षेत्र को खुले क्षेत्र के साथ स्मारक देखने आने वालों के लिए बैठने के लिए साधारण एवं विशिष्ट स्थान बनाना प्रस्तावित किया गया है। स्केटिंग मैदान (रिंक) के साथ बच्चों के लिए एक पार्क प्रस्तावित हैं बच्चो के खेलने के लिए नर्सरी के समीप एक कोने में बहुउद्देशीय खेल का मैदान प्रस्तावित है। वर्तमान नाले को जैविक अभिक्रिया या लघु एस.टी.पी. द्वारा साफ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पहले चरण में पालतू मवेशियों एवं सूअरों के आवागमन को रोकने के लिए नाले के साथ–साथ घेराबंदी (फेंसिंग) की आवश्यकता है। झुग्गी में रहने वालों के लिए स्वस्थाने आवासी योजना, योजनाधीन है। जल एकत्र करने हेतु स्थल के उत्तर में एक गर्त (डिप्रेशन) गहरे स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वाहनों के प्रवेश एवं पार्किंग का एक क्षेत्र वसंत कॉन्टीनेंटल होटल की ओर से और अन्य बी.ओ.टी. शौचालय के रूप में अतिरिक्त सुविधा के साथ पूर्वी मार्ग से प्रस्तावित है। पार्क से खरपतवार हटाने की बहुत आवश्यकता है। फूलों के पेड़ों एवं झाड़ियों, पर्णपाती पौधों, ग्राउंड कॉन से सुंदरता बढ़ेगी एवं आसपास के परिवेश में सुधार होगा। नर्सरी/बीज की क्यारियों के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और निवासियों को यहां से कटे हुए फूल एवं गोल पौधे बेचे जा सकते हैं

XIV. जनकपुरी ब्लॉक सी–3ए के समीप हरित क्षेत्र हेतु भूदृश्यांकन

यह स्थल जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.25 हेक्टेयर है, जनकपुरी के ब्लॉक सी–3ए और सी–3 के बीच में स्थित है। यह संपूर्ण स्थल विभिन्न प्रजातियों एवं आकार के पेड़ों से आच्छादित है और वर्तमान घेराबंदी एवं स्थल में से निकल रहे ढके हुए नाले के कारण अनेक हिस्सों में बंटा हुआ था। डिजाइन के द्वारा ढके हुए नाले के दोनों ओर के विभिन्न हरित क्षेत्रो को एक करने का प्रयास किया गया है। मुख्य सड़क के सामने पार्क के दक्षिण की ओर पार्किंग के साथ बच्चों के खेल की जगह प्रस्तावित है। वर्तमान स्थल पर टूटे हुए झूलों के स्थान पर बच्चों के खेलने की एक और जगह प्रदान की जा रही है। ढके हुए नाले के संपूर्ण स्थल को एक रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पेड़ों के नीचे टीलों, पत्थरों की सीट, आरामदायक सीटिंग फर्नीचर एवं आश्रय स्थल के विभिन्न रूपों में बैठने के स्थान डिजाइन किए गए हैं। स्थल से होकर निकलने वाली वर्तमान सड़क को उसका वास्तविक एवं भौतिक रूप लौटाया जा रहा है। इससे आसपास के परिवेश में सुधार होगा और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित एक हरित क्षेत्र

पर्याप्त लाभ होगा।

XV-विनोद नगर (पश्चिम) में हरित जलाशय के भूदृश्यांकन की योजना

3.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र मे फैले इस स्थल के जलाशय के साथ–साथ उच्च क्षमता के तार एवं खम्बे लगे हुए हैं। इसके एक तरफ दि.न.नि. का समाज सदन है और दूसरी ओर से यह स्थल आवासों से घिरा हुआ है। इस स्थल के 2.5 मी (लगभग) के हिस्से में मलबे का ढेर था जिसमें कूड़ा डाला जाता था।

वर्तमान जलाशय को पुनः तैयार किया गया एवं सड़क के पास दक्षिणी हिस्से में हरित क्षेत्र के विकास के लिए इसमें से कुछ क्षेत्र कम कर दिया गया था। स्थल स्तर के आधार पर भूमि की ढ़लान कम की गई ताकि यह धीरे–धीरे जलाशय की ओर झुक जाए। जोन में एक 1.5 मीटर चौड़े गोल रास्ते के साथ–साथ विश्राम स्थल प्रस्तावित किया गया है जो उच्च क्षमता की लाइनों से मुक्त है। इससे आकर्षण बढ़ाने के लिए यहां सदाबहार फूलों वाले विभिन्न प्रकार के वृक्ष और झाड़ियां लगाना प्रस्तावित है। जलाशय की वर्तमान गहराई को भी सुरक्षित रखा जाना है। जलाशय के पुनरुद्धार से हरित क्षेत्र की सुन्दरता में वृद्धि के साथ–साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा।

XVI.आई.एस.बी.टी. चौराहे के सामने यमुना नदी तट के किनारे घाट का भूदृश्यांकन विकास

प्राचीनकाल से यह नदी शहर की जीवन रेखा रही है। इसका न केवल आधारभूत संरचना और ऐतिहासिक महत्व है बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए इसका धार्मिक महत्व भी है। वर्तमान समय में यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। वर्ष के अधिकांश समय में यह धीमी गति का नाला जैसी दिखाई देती है। नदी के किनारे–किनारे काफी संख्या में अव्यवस्थित विकास कार्य हो गया है।

तिब्बती मठ और आई.एस.बी.टी. ऊपरगामी सेतु (फ्लाईओवर) के निकट कुदसिया घाट स्थित है तथा यह रिंग रोड़ तक तंग सड़क (पैदल पथ) से जुड़ती है। वर्तमान समय में इस घाट पर कई निजी सम्पत्तियां जैसे अखाड़े और मन्दिर मुख्य रूप से हनुमान मन्दिर बने हुए हैं। घाट तक पहुंचने वाली सड़क पर छोटे–छोटे ढांचे बने हुए हैं। अधिकांश ढांचे प्रथम तल के हैं और उनमें एकरूपता की कमी है। घाट के समानांतर गली/सड़क के किनारे पर हरियाली के साथ–साथ कई अस्थायी दुकानें जैसे कार मरम्मत की दुकानें एवं चाय की दुकानें खुली हुई है। नदी के किनारे स्थित मंदिरों का सही रखरखाव नहीं हो रहा है तथा इनके परिसरों में कुछ अस्थायी ढांचों का निर्माण भी हो गया है। पूजा से संबंधित सामग्री की फेरी वाले कई लोग हैं, जिन्हें उचित प्रकार से पुनःस्थापित करने की आवश्यकता है। घाट पर स्थित ढांचे बुरी स्थिति में हैं। इस क्षेत्र में खुली सीवर लाइनें हैं जो नदी में प्रदूषण को बढ़ाती है। यहां पर कूड़ा बीनने वालों के घर भी हैं जिन्हें पुनर्वास कराने या हटाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर होने वाली गतिविधियां नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। नदी के तट पर जनाना घाट जैसे अस्थायी ढ़ांचों को नदी तट को चौड़ा करने के लिए हटाया जाना चाहिए। तथापि नदी के तट पर धार्मिक गतिविधियों में रूचि रखने वाले लोगों के लिए वस्त्र बदलने की सुविधा हेतु वस्त्र बदलने वाले कक्ष की आवश्यकता हैं नदी के किनारे प्रयोग मे न लाई गई जमीन के कई बड़े टुकड़े हैं जिन्हें त्यौहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दृश्यांकित और विकसित किया जा सकता है।

इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे उभर कर सामने आए हैं:–

- इस संस्थान से सभी अवांछनीय गतिविधियों का स्थान परिवर्तन जैसे अस्थायी दुकानें, कूड़ा बीनने का व्यवसाय तथा अस्थायी घाट से संबंधित ढ़ांचे।
- घाट की ओर जाने वाली सड़को के सौन्दर्य में सुधार।
- घाटों और मन्दिरों का विकास कार्य
- खाली पड़ी भूमि के भूदृश्यांकन विकास के साथ घाट में सुधार।
- उचित सीवर एवं निकास प्रणाली की व्यवस्था।
- पुरूष एवं स्त्रियो के लिए वस्त्र बदलने हेतु कक्षों की व्यवस्था।
- घाट के किनारे बने ढांचों में सुधार।

डिजाइन का प्रस्ताव हड़को द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह लोगों की धार्मिक आस्था पर आधारित है। चूंकि प्रदूषित नदी पर्यटन व्यवसाय तथा धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक नहीं हो रही है, इसलिए नदी तट पर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है जो कि घाट का केन्द्र बिन्दु होगा। जलाशय में ट्यूबवेल से पानी पहुंचाया जाएगा जिसे

निरंतर साफ एवं विस्तारित किया जाएगा। जलाशय के साथ एक और सन्तुलन जलाशय सफाई के उद्देश्य से बनाया गया है। जलाशय के सभी किनारों पर पैदल चलने के लिए रास्ते (पाथवे) बनाए गए हैं। धार्मिक रस्मों को करने के लिए मुख्य स्थानों पर पेवेलियन बनाया गए है। स्त्री एवं पुरूषों के लिए पृथक वस्त्र बदलने हेतु कक्षों की सुविधा दी गई है। दृश्य देखने के लिए विचरण स्थल पर नियमित समयावधि पर निर्माण किया जाएगा जिससे पर्यटक एवं दर्शक खड़े होकर दृश्य का आनंद ले सकें। एक बार नदी में सुधार हो जाने पर उसमें स्थित घाट पर भूदृश्यांकित घाट क्षेत्र का विकास एवं नौका स्थल प्रस्तावित है। घाट को विचरण स्थल से फुटब्रिज से जोड़ा जाएगा। इस फुट ब्रिज से दो उद्देश्य पूरे होंगे। पहला, फुट ब्रिज द्वारा घाट पर स्थित मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा। दूसरा, इससे भूदृश्यांकन, तत्व तथा दृश्य बिन्दु सुरूचिपूर्ण होगा। घाटों के किनारे स्थित पंक्तिबद्ध सम्पत्तियों के सामने कुछ फुट की दूरी पर विकास एवं सौन्दर्यकरण के कार्य से घाट के साथ अनुदैर्ध्य रेखा में स्थित दो मुख्य सड़कों पर भी सुधार हो जाएगा। नये प्रकार के डिजाइन की दीवारों और जालियों से निश्चित रूप से नदी के पूरे तट के दृश्य में सुधार होगा।

XVII. बक्करवाला में स्थित सामुदायिक पार्क के लिए भूदृश्यांकन योजना

8.9 हेक्टेयर आकार का हरित क्षेत्र चौड़ा मैदानी भू–भाग पेड़ रहित है। यह मुख्यतः रेखीय स्थल है जो दो और से सड़क से सड़क तथा दक्षिण में आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है।

स्थल के रेखीय भाग को मुख्य सड़क (पाथवे) की वक्र रेखा द्वारा काटा गया। स्थल के उत्तरी कोने पर सड़क के किनारे टीलों का डिजाइन बनाया गया है क्योंकि वहां पर सड़क चौड़ी है। बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसे दो भागो में बांटा गया है, एक छोटे बच्चों का खेलने का क्षेत्र, दूसरा पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का खेलने का क्षेत्र। बड़े भाग में रंग–बिरंगे पौधों को लगाने तथा उसके बीच–बीच में बैठने के स्थान को बनाने का भी प्रस्ताव है। विशेष प्रकार के पौधों को फलोद्यान के रूप में लगाना तथा छोटे–छोटे पौधे जिन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता हो, को थीम पार्क के रूप में डिजाइन किया गया है।

XVIII द्वारका, सेक्टर–11 के सामुदायिक पार्क का भूदृश्यांकन

सेक्टर–11 मेट्रो स्टेशन के निकट व्यवस्थित हरित क्षेत्र 5.87 हेक्टेयर के आकार में फैला हुआ है। यह तीन ओर से सड़कों से घिरा हुआ है और इसे 66 किलो वाट की उच्च ताप लाइन काटती हैं। यहां पर विशेष प्रकार के वृक्ष पहले से ही लगे हुए हैं। डिजाइन के द्वारा स्थित सड़कों के सौन्दर्य में वृद्धि के लिए कोशिश की गई है। डिजाइन बनाये जाने से विभिन्न स्थानों को अन्य स्थानों से पौधारोपण करके अलग किया गया हैं यह दो भागो मे विभाजित किया गया है। कम रखरखाव तथा ज्यादा रखरखाव वाला क्षेत्र। क्रीड़ा स्थल तथा युवाओं के लिए व्यायाम स्थल के निकट निर्मित क्षेत्र में ज्यादा रखरखाव वाला लॉन स्थित है। डिजाइन में स्थिरता के लिए मौसम के अनुसार पौधारोपण कर छोटी–छोटी झाड़ियां लगाकर क्षेत्र को चिहिन्त किया गया है। इन क्षेत्रों को छायादार जगह (शेल्टर) तथा अन्य भूदृश्य तत्वों से युक्त किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा के निकट फूड कोर्ट बनाया गया है। मेट्रो स्टेशन के निकट होने के कारण इसके प्रयोग में आने की संभावना है।

XIX- अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान तैयार और अनुमोदित की गई अन्य भूदृश्य योजनाएं

दिल्ली में स्थानीय संगठनों द्वारा हरित क्षेत्रों की अधिक मांग है। जनता से रूचि के साथ भागीदारी का उत्साहपूर्ण योगदान मिला। कुछ खेल के मैदान, पार्क एवं खेल परिसर निम्नलिखित हैः–

- बेगमपुर के निकट पार्क – बक्शीवाला पार्क
- शांति स्तूप मिलेनियम पार्क की प्रस्तावित भूदृश्य योजना
- अशोक विहार, फेज–II, सत्यवती कॉलेज के निकट जिला पार्क
- सपना सिनेमा नर्सरी के सामने, एन.एच.पी. की भूदृश्य योजना
- जसोला विहार, पॉकेट–II में हरित क्षेत्र की भूदृश्य योजना
- मस्जिद मोठ में चिराग दिल्ली के साथ–साथ हरित क्षेत्र की भूदश्य योजना
- कांसीपुर गांव, पूर्वी दिल्ली की भूदृश्य योजना।
- पॉकेट–21, नसीरपुर, द्वारका के हरित क्षेत्र की भूदृश्य योजना
- सेक्टर–21 और 22, रोहिणी, फेज–III में हरित क्षेत्र के लिए भूदृश्य योजना
- बसई दारापुर में ई.एस.आई. अस्पताल के सामने,

छत्रपति शिवाजी पार्क के निकट बी.ओ.टी शौचालय।

- मुकरबा चौक के निकट सेनेटरी लैण्डफिल स्थल की भूदृश्य योजना।
- धीरपुर में आवासीय योजना में हरित क्षेत्र की भूदृश्य योजना
- जनसुविधा (बी.ओ.टी. आधार पर) के निर्माण के लिए स्थल का चयन।
- मिलेनियम पार्क में शांति स्तूप के साथ–साथ दृश्य गैलरी का प्रस्ताव।
- स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी के अन्दर और गेट नं. 3 और 4 के निकट बी.ओ.टी. शौचालय।
- कोंडली घरौली, मयूर विहार फेज–III, दिल्ली के निकट स्मृति वन की भूदृश्य योजना।

XX अप्रैल–2008 से मार्च 2009 के दौरान अन्य गतिविधियां

दि.वि.प्रा. द्वारा प्रत्येक वर्ष पुष्प प्रदर्शनी/उद्यान उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें पूरी दिल्ली से और प्राइवेट नर्सरियों द्वारा भाग लिया जाता है। भूदृश्य यूनिट–पुष्प प्रदर्शनी को आयोजित करने तथा प्रतियोगिता में विभिन्न आवेदनों का निर्णय लेने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

भलस्वा मनोरंजनात्मक परिसर, कोरोनेशन पार्क, अमीर खुसरो पार्क और जैव वैविध्य फाउंडेशन, मुकरबा चौक के निकट लैण्डफिल साइट, यमुना नदी तट फेज–II आदि परियोजनाओं के लिए विभिन्न पावर प्वाइंट प्रस्तुति की तैयारी की गई।

दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली बायोडाइवर्सिटी पर तिमाही समाचार पत्रिका प्रकाशित की जाती है जिसमें भूदृश्य इकाई के संबंध में सूचना, मुख्य संपादक प्रोफेसर सी. आर. बाबू, निदेशक (भूदृश्यांकन) को संपादक मण्डल में शामिल कर उनके सुपुर्द कर दिया गया है।

निदेशक (भूदृश्यांकन), बायोडाइवर्सिटी फाउंडेशन के सदस्य सचिव और अधिशासी समिति, बायोडाइवर्सिटी सदस्य, राष्ट्रमंडल खेलगांव कमेटी के सदस्य, दि.वि.प्रा. कलैण्डर कमेटी के सदस्य है। डेटलाइन दिल्ली (जो दिल्ली दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है) एवं पार्क योजना स्वीकृति के मुख्य सदस्य भी हैं।

पार्क ग्रहण योजना एवं शहरी गांव योजना और उसमें योगदान के लिए, राष्ट्रमण्डल खेल गांव (कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज) एवं वेन्यु के लिए डीडी–I एवं II मुख्य समूह सदस्य हैं।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, श्री एस. जयपाल रेड्डी, सरिता विहार में 'क्लोवर लीफ' परियोजना और ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 'अंडरपास' परियोजना के शिलान्यास समारोह के अवसर पर उपस्थित जन–समूह को सम्बोधित करते हुए।

10. आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास संबंधी कार्यकलापों का शुभारंभ सन् 1967–68 में किया और समय–समय पर फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाओं (स्कीमों) की घोषणा की। पहली पंजीकरण योजना सन् 1969 में शुरू की गई थी। उसके बाद आज तक 42 और योजनाएं शुरू की गई। अभी तक शुरू की गई 43 योजनाओ में से केवल 3 योजनाएं अभी तक चल रही हैं। अभी तक दि.वि.प्रा. ने 31.3. 2009 तक विभिन्न योजनाओं के 3,76,453 फ्लैटों का आबंटन किया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

योजना का नाम	किए गए कुल आबंटन
सामान्य आवास योजना	65590
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम–1979	169391
स्व वित्त योजना/ विजयी वीर आवास योजना	53938
अम्बेडकर आवास योजना–1989	17918
विस्तारणीय आवास योजना 1995–96/ एन.एच.एस./श्रमिक आवास योजना आदि	22352
जनता आवास पंजीकरण योजना–1996/पंजाब एवं कश्मीर प्रवासी/मोतिया खान	21632
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/जम्मू एण्ड कश्मीर प्रवासी (आर.पी.एस.)	1015
विविध	440
उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.)	3337
सरकारी संगठन	4670
जसोला जनता टेनामेंट्स–2003	2252
टी.बी.आर.एच.एस. (एम.आई.जी.) 2004	2356
त्यौहार आवास योजना–2004 (एच.आई.जी 1287 +एम.आई.जी. 862+ई.एच.एस.357)	2506
नई आवास योजना–2006 (एच.आई.जी. 1504+ एम.आई.जी. 2018+ई.एच.एस.296)	3818
डीडीए आवास योजना–2008	5238
कुल	**376453**

10.2 आवासीय योजनाओं की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है : –

10.2.1 न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना–1979

म.आ.व., नि.आ.व. और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन हेतु वर्ष 1979 में एन.पी.आर.एस., 1979 योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अखिल भारतीय स्तर की थी।

इस योजना के अन्तर्गत आबंटित कए गए फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या	आबंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	47,521	46,278	शून्य
नि.आ.व.	67,502	68,825	शून्य
जनता	56,249	54,288	शून्य
कुल	**1,71,272**	**1,69,391**	**शून्य**

*पंजीकरण एवं /बैकलॉग में अंतर रद्दकरण /फ्लैट वापस करने या दूसरी योजनाओं में परिवर्तन कराने के कारण हैं।

10.2.2 अम्बेडकर आवास योजना–1989

यह योजना एन.पी.आर.एस.–79 के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 25 प्रतिशत पंजीकरण की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में आरंम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत म.आ.व., नि.आ.व. एवं जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु 20,000 व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे। आबंटन का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कुल	आबंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	7,000	5,902	शून्य
नि.आ.व.	10,000	9,028	शून्य
जनता	3,000	2,988	शून्य
कुल	**20,000**	**17,918**	**शून्य**

इस योजना में निम्नलिखित आरक्षण किए गए:–

1. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए।
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए।
3. 1% युद्ध में मारे गए वीरों की विधवाओं के लिए।

रोहिणी में नि.आ.व. टर्नकी आवास

10.2.3 जनता आवास पंजीकरण योजना–1996

यह योजना चरणबद्ध तरीके से जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु समाज के कमजोर वर्ग के 20,000 लोगों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 1996 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आरक्षण किए गए।

1. 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु।
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए।
3. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए।
4. 1% युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं के लिए।
5. 2% शहीदों की बच्चों वाली विधवाओं के लिए।

इस योजना के अंतर्गत आबंटन की नवीनतम स्थिति निम्नवत है :–

पंजीकृत व्यक्ति	किए गए आबंटन	बकाया संख्या
20,000	19,037	शून्य

10.2.4 विजयी वीर आवास योजना–1999

विजयी वीर आवास योजना वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी और यह योजना शुरू में ''ऑपरेशन विजय'' में शहीद हुए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गए सैनिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों के लिए 10.9.1999 से 30.6.2000 तक खोली गई थी। तथापि यह योजना 30 सितम्बर 2003 तक बढ़ा दी गई थी और यह ''मई 1999 के बाद हुए ऑपरेशन'' में सैनिकों की विधवाओं /निकट संबंधियों/आश्रितों के लिए भी बढ़ा दी गई थी।

इस योजना के अंतर्गत 414 फ्लैटों का निर्माण किया गया था जिनमें से 312 फ्लैट दो शयन कक्ष वाले टाइप–ए और 102 फ्लैट तीन शयन कक्ष वाले टाइप–बी थे। 431 आवेदकों ने आवेदन पत्र भेजे। 431 आवेदकों में से 17 आवेदकों ने अपने आवेदन–पत्र वापस ले लिए। शेष 414 में से 308 को टाइप–ए (2 शयन कक्ष वाले फ्लैट) और 102 को टाइप–बी (3 शयन कक्ष वाले फ्लैट) आबंटित किए गए थे। 4 ने अभी तक वांछित 90% राशि जमा नहीं की, अतः उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं किए गए।

पीतमपुरा में बहु–मंजिले आवास

10.2.5 पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

पंजाब के 3661 प्रवासी, जो निम्नलिखित कैम्पों में ठहरे हुए थे, के पुनर्वास हेतु आवास स्कीम दिनांक 8 मार्च 2000 को आरंभ की गई थी।

क्रम संख्या	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	पीरागढ़ी कैम्प	2560	दि.वि.प्रा.
2.	मंगोलपुरी कैम्प	226	डी.एस.आई.डी.सी.
3.	गोविन्दपुरी कैम्प	347	डी.एस.आई.डी.सी.
4.	जहांगीरपुरी कैम्प	385*	दि.वि.प्रा.
5.	ज्वालापुरी कैम्प	42	स्लम एवं जे.जे.
6.	पालिका होस्टल कैम्प	36	एन.डी.एम.सी.
7.	यूथ होस्टल मोरीगेट	65	दिल्ली प्रशासन
	कुल	3661	

*इन प्रवासियों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैट आबंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने उन्हें वही फ्लैट आबंटित करने का निर्णय लिया है जिसमें वे रह रहे थे।

आबंटन के बारे में दिनांक 31.03.2009 तक नवीनतम स्थिति इस प्रकार है:

कुल प्रवासी	3661
घटाएं (जहांगीरपुरी में रहने वाले प्रवासी)	385
	3276
आबंटन हेतु आवेदन किया	3653
आबंटित किए गए फ्लैट	3335
समिति की सिफारिश पर आबंटन रद्द कर दिया गया	325
रद्द करने के बाद कुल आबंटन	3010
आबंटन हेतु नए आवेदकों द्वारा आवेदन	228
पीरागढ़ी, ज्वालापुरी एवं गोविंदपुरी में कुल आबंटन	224
कुल निबल आबंटन	**3234**

दोहरे/तिहरे आबंटन और पीरागढ़ी कैम्प के पंजाब प्रवासियों को किए गए 291 आबंटन मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर 325 आबंटन रद्द किए गए तथा रोके गए कब्जा–पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक 31.03.2009 तक 3,335 में से लगभग 3260 कब्जा–पत्र जारी कर दिए गए हैं। (फ्लैट नरेला, द्वारका, रोहिणी और बिन्दापुर में आबंटित किए गए हैं)

10.2.6 कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

कुल 14 शरणार्थी कैम्प हैं जिनमें इस समय 237 कश्मीरी प्रवासी ठहरे हुए हैं/थे। विवरण अगले पृष्ठ पर है :

क्रम सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	हौजरानी	16	दि.न.नि.
2.	बापू धाम	24	एन.डी.एम.सी.
3.	न्यू मोती नगर	23	दि.न.नि.
4.	पालिका धाम	13	एन.डी.एम.सी.
5.	बलजीत नगर	49	स्लम एवं जे.जे.
6.	मंगोलपुरी–डी ब्लॉक	34	स्लम एवं जे.जे.
7.	मंगोलपुरी–एन ब्लॉक	16	दि.न.नि.
8.	सुल्तानपुरी पी–2	09	स्लम एवं जे.जे.
9.	बेगमपुर	06	दि.न.नि.
10.	साउथ एक्स. पार्ट–2	05	दि.न.नि.
11.	कृष्णा पार्क	10	दि.न.नि.
12.	कैलाश कॉलोनी	02	दि.न.नि.
13.	अली गंज	12	दि.न.नि.
14.	नन्द नगरी	18	स्लम एवं जे.जे.
	कुल प्रवासी आबंटन के लिए आवेदन किया आबंटन किया गया।	237 236 236	

फ्लैट द्वारका और रोहिणी में दिए गए।

10.2.7 सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना।

दिनांक 2.7.2001 को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना आरंभ की गई थी। कुल प्राप्त आवेदन पत्र तथा आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	श्रेणी	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	आबंटन किया गया
1.	म.आ.व.	1464	410
2.	नि.आ.व.	550	546
3.	जनता	60	59
	कुल	2,074	1015

टिप्पणी: असफल पंजीकृत व्यक्तियों को जमा राशि लौटा दी गई है, इसलिए कोई बैकलॉग नहीं है।

10.2.8 मोतिया खान झुग्गी समूह के पुनर्वास हेतु आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने अपने संकल्प सं. 88/2002 दिनांक 26.12.2000 द्वारा मोतिया खान के पात्र झुग्गीवासियों के लिए रोहिणी के सैक्टर–4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक कमरे के मकानों का आबंटन करने हेतु योजना का अनुमोदन किया। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मोतिया खान में 2068 आबादकार थे। दिनांक 26.9.2001 से योजना आरंभ हुई थी और 30.6.2002 तक निरंतर बनी रही। 1288 पात्र आबादकार परिवारों को रोहिणी में मकान दिए गए हैं। अब योजना बंद हो चुकी है।

10.2.9 उच्च आय वर्ग आवासीय योजना द्वारका 2003

416 पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.10 जसोला जनता आवास योजना–2003

2215 पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.11 नरेला आवासीय योजना 2004 (30 प्रतिशत की छूट पर)

योजना दिनांक 15.04.2004 तक खुली थी, जिसमें 2,124 फ्लैटों का आबंटन हुआ और फिर योजना बंद कर दी गई।

10.2.12 दो शयन कक्ष की आवासीय योजना–2004

योजना 7.6.2004 से 7.7.2004 तक आरंभ रही। इसमें लगभग 90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 12.8.2004 को ड्रा हुआ। इस योजना के अंतर्गत 2356 फ्लैटों का आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

द्वारका में म.आ.व. फ्लैट

10.2.13 त्यौहार आवास योजना–2004

यह योजना 2500 बने हुए तैयार फ्लैटों के लिए 20.10.2004 से 24.11.2004 तक खुली रही। दिनांक 28.01.2005 को आयोजित ड्रॉ मे फ्लैट (उ.आ. वर्ग–1287+म.आ.वर्ग–862+वि.आ.यो.–357) आबंटित किए गए। अब यह योजना बंद कर दी गई है।

10.2.14. दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2006

यह योजना ड्रॉ के माध्यम से लगभग 3500 उ.आ. वर्ग/म.आ.वर्ग/वि.आ.यो. के फ्लैटो के आबंटन हेतु दिनांक 22.8.2006 से 12.10.2006 तक शुरू की गई थी। लगभग 2.00 लाख आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और दिनांक 3.1.2007 के ड्रा में 3818 आबंटन हुए थे।

10.3 फ्लैट का परिवर्तन

31.3.2009 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	31.3.2009 तक निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	समाप्त मामले	31.3.2009 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
73013	71039	885	1089

10.5 आवास लेखा

10.5.1 आवास लेखा विभाग मुख्यतः फ्लैटों के आबंटन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है :–

i) वित्तीय सहमति के लिए बी.जी.डी.ए. के आरंभिक अनुमान की जांच

ii) लागत निर्धारण मामलों पर कार्यवाही और उनका निपटान।

iii) फ्लैटों से संबंधित लेखा प्राप्तियां और वापिसी भुगतान तथा उनकी वसूली के खातों का रख–रखाव।

iv) निर्मित दुकानों के संबंध में खातों का रख–रखाव

10.5.2 वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप

क) आरंभिक अनुमानों की जांच

i) 11770 फ्लैटों के निमार्ण वाली 5 आवासीय योजनाओं हेतु 872.45 करोड़ रूपए की लागत राशि के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।

ii) पांच योजनाओं के अन्तर्गत दुकानों/कियोस्क के निर्माण हेतु 2.09 करोड़ रूपए की लागत राशि के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।

ख) फ्लैटों की लागत का निर्धारण

i) 6546 फ्लैटों की लागत निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है।

ii) 3 (तीन) योजनाओ के लागत निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें 1211 फ्लैट शामिल हैं।

ग)कम्प्यूटरीकरण

निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए:

i) फ्लैटों का लागत निर्धारण।

ii) सामान्य आवास शाखा का कम्प्यूटरीकरण।

iii) वेतन–रोल लेखा

iv) आवास प्राप्तियों का ऑन–लाइन सत्यापन।

घ) आवास योजना–2008

नई आवास योजनाओं के लिए आवेदन–पत्रों के विक्रय, पंजीकरण राशि स्वीकार करने, एवं वापसी हेतु नये बैंकों को सूचीबद्ध किया गया। इससे लोगों के बीच विभाग की लोक सेवा एवं छवि मे सुधार आया है। सन 2008 के दौरान निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की गई :

i) विक्रय किए गए आवेदन पत्र – 9.25 लाख

ii) प्राप्त आवेदन–पत्र – 5.69 लाख

iii) वापसी – 5.64 लाख

iv) पहली बार नए बैंकों में बचत खाता खुलवाना शुरू किया गया जिसके फलस्वरूप राशि का तत्काल निवेश हुआ जिससे विभाग की ब्याज से आय में वृद्धि हुई। इससे वापसी के मामलों को भली–भांति निपटाने में भी सहायता मिली।

ड.) अन्य उपलब्धियाँ

i) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत निकालने के लिए ली जाने वाली कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष कार्य सूची रखी गई। इसकी प्रभावी तिथियाँ प्रत्येक वर्ष की 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल हैं।

ii) आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवास लेखा विंग को वर्ष के दौरान 312 मामले प्राप्त हुए और जनता को उपयुक्त उत्तर देकर 310 मामले निपटाए गए।

iii) कब्जा–पत्र जारी करने के लिए प्रबन्ध शाखा को 1320 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए।

iv) लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन के 8149 मामलों में निर्णय लिया गया।

v) ऐसे 196 पंजीकृत व्यक्तियों के मामले जिनकी आवंटन में रूचि नहीं थी, को धनराशि लौटा दी गई है।

10.5.3 वर्ष 2008–09 के दौरान वित्त, आवास की विशेष उपलब्धियां

मामलों के तेजी/विवेकपूर्ण निपटान के लिए विभाग द्वारा की जाने वाली जन सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रयास/कदम उठाए गए।

क) कार्यकलापों में सामान्य सुधार

i) एकीकृत प्रबन्ध प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एस.आर.एस. दस्तावेजों को अंतिम रूप देना।

ii) लंबित मामलों की दैनिक / साप्ताहिक निगरानी प्रणाली।

iii) कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय ऑटोमेशन तथा प्रशिक्षण।

iv) वर्ष के दौरान नियुक्त सभी अधिकारियों को आवास पर प्रशिक्षण।

ख) आवासीय लेखा लागत – निर्धारण

i) विभिन्न नीतियो जैसे गलत पता, पता बदलवाने, वरीयता का पता लगाने, मृत्यु पॉलिसी, आवास साकार योजना आदि के अन्तर्गत विशिष्ट लागत निर्धारण के लिए सहज कार्यप्रणाली और मामलों के निपटान के लिए मानक फार्म लागू किए गए।

ii) सुविधा बाजार और स्थानीय बाजार में दुकानों के लिए आरक्षण मूल्य निर्धारित करने के लिए लागत निर्धारण प्रणाली का सरलीकरण।

ग) चूककर्ताओं से वसूली

i) रद्दकरण के लिए प्रबन्ध शाखा को 696 मामले प्रस्तुत किए गए।

ii) ई.एम.आई. जमा न करवाने वाले चूककर्ता आबंटितियों को वर्ष के दौरान 8769 चूककर्ता नोटिस जारी किए गए।

iii) 32.50 करोड़ रूपए सहित 2645 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और पी.आर.एस. 2007 के अन्तर्गत निपटाए गए।

iv) विभिन्न स्थानों पर दि.वि.प्रा. फ्लैटों की आवासीय पॉकेटो में 10 से अधिक लोक शिविर आयोजित किए गए।

v) कर्मचारियों की भारी कमी के कारण और पी.आर.एस. आवेदन पत्रों के तेजी से निपटान करने के लिए तथा कर्मचारियों को उनकी सामान्य कार्यालय ड्यूटी के अतिरिक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कर्मचारी प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है।

घ) स्व वित्त योजना शाखा

रेणु बाली और अन्य बनाम दि.वि.प्रा. जैसे मुख्य मामले और अन्य न्यायालय मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के कारण लागत और वापसी की राशि पुनः निकालना।

ड.) आवासीय रोकड़ शाखा

i) नए बैंकों द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्तियों की इलेक्ट्रानिक पोस्टिंग के लिए प्रयास किए गए।

ii) धनराशि वापिस करने, चैक जारी करने तथा मासिक लेखा संकलित करने के कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई।

च) संस्थापना आवास

सरल एवं तेज निपटान के लिए चिकित्सा दावा प्रारूपों का मानकीकरण।

छ) सम्पदा अधिकारी (आवास)

प्रस्तुत मामलों की रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग के लिए मानक प्रारूप लागू किए गए।

10.5.4 2009–10 के लिए लक्ष्य/प्रारंभ किए गए नये कार्य

क) उत्तर देने में सुधार

- समेकित प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- विभिन्न स्तरों पर मामलों को निपटाने हेतु विभाग की गतिविधियों के निर्धारण के लिए मानक समय का निर्धारण।
- आर.टी.आई मामलों का ऑनलाइन निपटान।
- आवास, वित्त शाखा के अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को और बढ़ाना।

ख) जनअंतरपृष्ठ (पब्लिक इंटरफेस) में सुधार।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अथवा बैंक द्वारा जारी किया जाना।

द्वारका में एस.एफ.एस. फ्लैट

ग) बकाया की वसूली

- बाह्य एजेंसियों (वित्तीय सलाहकारों अथवा बैंकों) की मदद से ऋण अदाकर्ताओं के खातों का समाधान।
- पिछले शेष बकायों की वसूली के लिए फ्लैटों को रद्द करके बकाया वसूल करने का विशेष अभियान।

घ) बैंकों द्वारा आउटसोर्सिंग

- बैंकों द्वारा आबंटन के पश्चात आबंटितियों के खातों का रख–रखाव।

11. भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबंध विभाग

11.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की देखभाल करने और सन 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंध एवं देख–रेख भी करता हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय के एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी कार्य मंत्रालय की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रख–रखाव के उद्देश्य के लिए दि. वि.प्रा. के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आबंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

नेताजी सुभाष प्लेस में व्यावसायिक कार्यकलापों का विकास

11.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

.i) भूमि अधिग्रहण।

ii) भूमि प्रबंध।

iii) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा भूमि लिए जाने तक भूमि की सुरक्षा।

iv) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना।

v) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

vi) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एंव उनका निष्पादन करना।

vii) विकास क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करना।

viii) मुख्य योजना प्रावधानों के अंतर्गत असंगत उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करना।

11.1.3 इसकी एक शाखा है, जो नजूल–I की उस भूमि का कार्य करती है जो भूमि दिवि.प्रा. के पास पूर्ववर्ती दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से आई है और नजूल–II की भूमि है जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास, और निपटान की नीति के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई। एल.ए.सी. द्वारा दि.वि.प्रा. को 1.4.2008 से 31.3.09 की अवधि के दौरान 11.56 एकड़ भूमि सौंपी गई थी।

11.1.4 भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य दि.वि.प्रा. की भूमि को अतिक्रमण से बचाना है। दि.वि. प्रा. ने भूमि की रक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है, इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी–पूर्वी, दक्षिणी–पश्चिमी एवं रोहिणी, छह जोन हैं।

11.1.5 प्रत्येक जोन के प्रमुख उप निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी सहायता सचिवालय एवं फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। दि.वि.प्रा. की भूमि की नियमित रूप से निगरानी एवं देखभाल सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है, जिन्हें विशिष्ट गश्त क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निर्माण गिराने के अभियानों की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उन्हें पूरा किया जाता है।

11.1.6 01.04.2008 से 31.3.2009 तक दि.वि.प्रा. ने 199 निर्माण गिराए और 38.09 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस प्रक्रिया मे कच्चे, पक्के, और आधे पक्के 1325 ढ़ाँचे हटाए गए। कभी–कभी निर्माण गिराने के अभियानों में मुकदमेबाजी और कानून एवं व्यस्तताओं के कार्यों में पुलिस उपलब्ध न होने के कारण अभियान पुनः तय करने पड़ते हैं। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने अपने सतत् प्रयासों से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यायालय मामले भी जीते हैं।

11.1.7 क्षतिपूर्ति शाखा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियत्रंण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने, उनके कारण हुई क्षतिपूर्ति का आकलन करने एवं वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। दि.वि.प्रा.

सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध पी.पी. एक्ट के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही करता है। इस शाखा में दो संपदा अधिकारी है। जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का आकलन करने और बेदखल करने का कार्य करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं।

वर्ष 2008–09 में की गई कार्रवाई/उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	कार्य	2008–09
1.	एल.ए.सी. द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि	11.56 एकड
2	निर्माण गिराने हेतु निर्धारित कार्यक्रम	370
3.	निर्माण गिराने हेतु चलाए गए कार्यक्रम	199
4.	हटाए गए ढ़ांचे	1325
5.	फिर से प्राप्त की गई भूमि	38.09 एकड
6.	क्षतिपूर्ति की वसूली	1,35,64164/रू.
7.	क्षतिपूर्ति के निर्णीत मामलों की सं.	440
8.	बेदखली के निर्णीत मामले	56

11.2 भूमि निपटान विभाग

11.2.1 सांस्थानिक भूमि शाखा

क्रम सं.	विषय	स्थिति
1.	प्लॉटों का आबंटन	63
2.	प्राशुल्क के रूप में प्राप्त राशि	332.29 करोड़
3.	जारी किए गए कब्जा पत्र	56
4.	पट्टा विलेखों का निष्पादन	43
5.	समय बढ़ाने की अनुमति	202
6.	निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	29
7.	दी गई बंधक अनुमति	25
8.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	42
9.	अति विशिष्ट व्यक्ति/उपराज्यपाल से प्राप्त मामले	104
10	निपटाए गए मामले	89

11.2.2 को–ऑपरेटिव सोसाइटी कक्ष

1	संघटन शुल्क के रूप में वसूली गई राशि	1,06,82,569/– रु.
2	परिवर्तन के मामले जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	408
3	उप पट्टा विलेख	4
4	नामांतरण/हस्तांतरण	35
5.	समय विस्तार	6
6.	बंधक अनुमति	4
7	कारण बताओ नोटिस	6
8	उप पट्टा विलेख रद्दकरण/अवनिर्धारण	शून्य
9	बहालीकरण	शून्य

11.2.3 सहकारी समूह आवास समिति कक्ष

1	फ्लैटों का आबंटन	शून्य
2	प्राशुल्क के रूप में प्राप्त राशि	शून्य
3.	संघटन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि	9,94,58,376/– रू.
4.	अंतिम रूप दिए गए परिवर्तन के मामले	3757
5.	जारी किए गए कब्जा पत्र	शून्य
6.	पट्टा विलेख	01
7	नामांतरण /हस्तांतरण	339
8.	निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	शून्य
9.	बंधक अनुमति	02
10.	कारण बताओ नोटिस	01
11.	हस्तांतरण विलेख का निष्पादन	4771

11.2.4 भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

1.	नीलामी के लिए आवासीय शाखा को सौंपे गए प्लॉट	शून्य
2.	नीलाम किए गए प्लॉट	शून्य
3.	प्राप्त की गई राशि	21.06 करोड़ रू
4.	जारी किए गए कब्जा पत्र (एल.आई.जी., एम.आई.जी., ई.डब्ल्यू.एस./जनता)	632
5.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	56
6.	जारी किए गए निरस्तीकरण पत्र	12
7.	जारी किए गए नामांतरण पत्र	129
8.	कम्प्यूटर में समाविष्ट पतों में परिवर्तन (एल.आई.जी., एम.आई.जी., एवं जनता)	460
9.	जारी किए गए कमी/बुलावा पत्र/विविध पत्र	2231
10.	आर.टी.आई. आवेदन पत्रो की सं. जिनके उत्तर दिए गए	277

पीतमपुरा स्थित बहुमंजिले आवास

11.2.5 पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)

पट्टा विलेख जारी किए गए	1136
निष्पादित पट्टा विलेख	1591
जारी किए गए हस्तांतरण विलेख/ निपटाए गए आवेदन पत्र	3749
निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	2849
प्रदान की गई बंधक अनुमति	10
अनुमति प्राप्त नामांतरण	95
समयावधि विस्तार अनुमति	1465
भू–भाटक एवं संघटन शुल्क से प्राप्त राशि	395.58 लाख रू.
सूचना अधिकार के अंतर्गत जवाब दिए गए मामले	202
पट्टा शर्तें तोड़ने पर जारी किए गए एस.सी.एन.	20
भवन विभाग, दिल्ली नगर निगम/दि.वि.प्रा. को अंतरण की सूचना	350
प्राप्त किए गए अन्तरण आवेदन	2831
पहले से लम्बित आवेदनों के साथ–साथ निपटाए गए अंतरण आवेदन	3749

11.2.6 भूमि विक्रय शाखा (आवासीय)

नीलामी के माध्यम से केवल एक प्लॉट का निपटान किया गया एवं सबसे ऊंची बोली देने वाले से 4900000/– रू. बोली की राशि प्राप्त की गई।

11.2.7 पट्टा प्रशासन शाखा (आवासीय)

1	संघटन शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि	294 लाख रू.
2	अंतिम रूप से दिए गए अंतरण मामलों की सं.	1450
3	निपटाए गए नामांतरण/हस्तांतरण आवेदन पत्रों की सं.	104
4	समयावधि का विस्तार	131
5	बंधक अनुमति, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	014
6	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	057
7	पट्टा विलेख निरस्तीकरण	005
8	पट्टा विलेख का बहालीकरण	012

11.2.8 व्यावसायिक भूमि शाखा

- दिनांक 16.10.08 के निविदा कार्यक्रम के अनुसार 14.04 करोड़ रू. में 2 व्यावसायिक प्लॉटों को बेचा गया।
- दिनांक 16.10.08 के निविदा कार्यक्रम के अनुसार 17.12 करोड़ रू. में एक होटल प्लॉट बेचा गया।
- नेहरू प्लेस और मंगलम प्लेस में क्रमशः 33.39 करोड़ रू. एवं 3.85 करोड़ रू. की वार्षिक लाइसेंस फीस पर बी.ओ.टी. आधार पर दो बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉटों का आवंटन किया गया।

11.2.9 व्यावसायिक सम्पदा शाखा

- दिनांक 15.10.08 और 06.03.09 को दो निविदा कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा कुल 66 निर्मित इकाईयों को 27.62 करोड़ रू. में बेचा गया।

11.2.9 भूमि विक्रय शाखा (औद्योगिक)

1	संघटन शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि	2,80,64,353/– रू.
2	अन्तरण मामले–जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	640
3	नामांतरण/हस्तांतरण के निर्णीत मामलों की सं.	72
4	अनुमत ई.ओ.टी. मामलों की सं.	01
5	प्रदान की गई बंधक अनुमति	22
6	जारी किए कारण बताओ नोटिस	17
7	निरस्त किए गए पट्टा विलेख	शून्य
8	बहाल किए गए पट्टा विलेख	शून्य

रोहिणी में व्यावसायिक परिसर

11.2.10 पुरानी योजना शाखा

1	प्राशुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि	17,22,86,000/– रू.
2	अंतरण मामले–जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	431
3	उप पट्टा विलेख	शून्य
4	नामांतरण/हस्तांतरण	28
5	समयावधि का विस्तार	3
6	बंधक अनुमति	28
7	कारण बताओ नोटिस	5
8	उप पट्टा विलेख का निरस्तीकरण /निर्धारण	4
9	पट्टा विलेखों का बहालीकरण	2

12. खेल गतिविधियां

12.1 दि.वि.प्रा. ने दिल्ली में समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती एवं आसानी से उपलब्ध होने वाली सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खेल एवं मनोविनोद के कार्यकलापों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस समय दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेल संरचनाओं जो खेल शाखा के नियंत्रण में है, में 13 खेल परिसर, 1 लघु खेल परिसर, 39 मल्टी–जिम जिसमें 2 जिम महिलाओं के लिए हैं, 14 तरणताल 2 गोल्फ कोर्स, 1 लघु गोल्फ कोर्स एवं 3 गोल्फ ड्राइविंग रेंज शामिल है। खेल परिसर मुख्यतः सदस्यता आधारित होते हैं परन्तु साधारण राशि का भुगतान करके भी इन सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता हैं यह हरित क्षेत्रों के रखरखाव, अतिक्रमण को नियंत्रित कराने एवं आसपास के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त दि.वि.प्रा. द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के स्व निर्वाह में सहायता करता है। दि.वि.प्रा. द्वारा अनेक खेल के मैदान, फिटनेस ट्रेल एवं पार्कों को विकसित किया गया है जो सभी के प्रयोग हेतु निःशुल्क हैं और जिनकी देखभाल दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग द्वारा की जाती है।

खेल परिसरों में लगभग 20 खेल गतिविधियां जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टैनिस, बिलियर्डस एवं स्नूकर, बास्केट बॉल, हॉकी/क्रिकेट/फुटबॉल, जौगिंग ट्रैक, स्केटिंग, तैराकी, एरोबिक्स, योग, ताइक्वांडो, फिटनेस केन्द्र आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

खेल परिसरों, मल्टी जिमों, तरणतालों, गोल्फ कोर्स आदि का जीर्णोद्धार एवं सुधार कार्य प्रगति पर है। शहर के नए विकसित क्षेत्रों में अतिरिक्त खेल परिसर एवं एक गोल्फ कोर्स का विकास करने की योजना अंतिम चरण पर है।

12.2 सदस्यता की स्थिति

इस समय सभी खेल परिसरों में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 50000 सदस्यों का नामांकन किया गया है। प्रतिदिन 12000 से 14000 व्यक्ति खेल परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि से विद्यार्थियों, प्रशिक्षार्थियों सहित बड़ी संख्या में आकस्मिक सदस्य खेल परिसरों में सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

12.3 खेल गतिविधियां

12.3.1 बड़े टूर्नामेंट

- दिनांक 14 से 23.10.08 तक सीरी फोर्ट खेल परिसर में सातवें उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. फुटबाल कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट स्कूलों (17 वर्ष से कम आयु वर्ग) के लिए आयोजित किया जाता है एवं यह दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण रूप से प्रायोजित नकद पुरस्कार टूर्नामेंट है। दिल्ली के 32 स्कूलों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। दि.वि.प्रा. की फुटबाल प्रोत्साहन योजना की सीरी फोर्ट टीम सातवीं बार विजेता बनीं जबकि मदर्स इंटरनेशनल स्कूल की टीम उपविजेता रही।
- दिनांक 8.10.2008 से 12.10.08 तक सीरी फोर्ट में पंद्रहवां दि.वि.प्रा. ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट आयोजित किया गया। विभिन्न आयु समूह श्रेणियों में पूरे देश एवं मलेशिया से एक रिकॉर्ड संख्या में 487 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। यह एक नकद पुरस्कार टूर्नामेंट है जिसमें उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली दो प्रतिष्ठित ट्राफियां पुरूष एवं महिला ओपन इवेन्ट्स के विजेताओं को दी जाती हैं। इसमें पुरूष ओपन खिताब पहली बार किसी मलेशियाई (विदेशी नागरिक) ने जीता है।
- दिल्ली वॉलीबॉल एसोसिएशन के संरक्षण में दिनांक 18.11.08 से 21.11.08 तक हरी नगर खेल परिसर में नौवें दि.वि.प्रा. इन्वीटेशनल प्राइज मनी वालीबॉल टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया।
- दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए छठे दि.वि.प्रा. क्रिकेट टूर्नामेंट 2007 एवं बधिर व्यक्तियों के लिए ग्यारहवें क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन रोहिणी खेल परिसर में दिनांक 11.11.08 से 18.11.08 तक किया गया। इसमें कुल 9 टीमों ने भाग लिया।
- चिल्ला खेल परिसर में 13 अक्तूबर 2008 से 31 अक्तूबर 2008 तक सातवें इंटर कॉम्प्लेक्स क्रिकेट कोचिंग अकादमी/स्कीम्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन, दि.वि.प्रा. के विभिन्न खेल परिसरों में चलाई जा

रही क्रिकेट कोचिंग योजना में, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा देने के लिए किया जाता हैं टूर्नामेंट का आयोजन 20:20 प्रारूप पर किया गया। फाइनल मैच 31 अक्तूबर 2008 को किया गया। पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पी.डी.के.पी.) टीम लगातार तीसरी बार विजेता रही। पीतमपुरा खेल परिसर टीम इसमें उपविजेता रही।

- दि.वि.प्रा. के पुरूष एवं महिला ओपन टेनिस टूर्नामेंट (ए.आई.टी.ए. रैकिंग) का आयोजन 2 फरवरी से 7 फरवरी 2009 तक साकेत खेल परिसर में किया गया।
- डॉ. अम्बेडकर स्टेडियम में दिनांक 21.03.09 से 2.04.09 तक पांचवें उपराज्यपाल आमंत्रण दि. वि.प्रा. फुटबाल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें पूरे देश से 10 गैर एन.एफ.एल. टीमों (चार शीर्ष वरिष्ठ लीग टीम दिल्ली से) ने भाग लिया। यह टूर्नामेंट जिसमें पुरस्कार की राशि 4.5 लाख रू. थी, लीग एवं नॉक आउट आधार पर खेला गया। दिनांक 2.4.09 को फाइनल मैच खेला गया जिसमें इंडियन नेशनल फुटबाल क्लब, दिल्ली ने एमिटी यूनाइटिड फुटबाल क्लब को एकमात्र गोल से हराया।
- खेल परिसरों ने अक्तूबर से दिसंबर 2008 के दौरान खेल महोत्सव के रूप में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केट बॉल, वॉलीबाल, स्केटिंग आदि टूर्नामेंटों का आयोजन किया।

12.3.2 अन्य इवेन्ट्स / टूर्नामेंट

कई संस्थाओं जैसे स्कूलों, स्पोर्ट्स फेडरेशन / संगठनों ने दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की। आयोजित की गई कुछ बड़ी प्रतियोगिताएं इस प्रकार थी :–

- सीरी फोर्ट खेल परिसर (एस.एफ.एस.सी.) स्थित बहुउद्देशीय इंडोर हॉल बैडमिंटन, कैरम एवं टेबल टेनिस मैचों जैसी इंडोर प्रतियोगिताएं कराने के लिए बहुत लोकप्रिय रहा है।
- एस.एफ.एस.सी. शूटिंग रेंज में दिनांक 30.9.08 से 01.10.08 तक दिल्ली स्टेट इंटर स्कूल शूटिंग कम्पीटीशन का आयोजन किया गया। लेफ्टीनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ओलिम्पिक रजत पदक विजेता, मुख्य अतिथि थे और उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
- साकेत खेल परिसर (एस.एस.सी.) में दिनांक 26.9.08 से 28.09.08 तक दिल्ली स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा ''दिल्ली / एन.सी.आर. जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप'' का आयोजन किया गया।
- अगस्त 2008 के दौरान दिल्ली में ए.एफ.सी. चैम्पियनशिप में भाग लेने आई डी.पी.आर., कोरिया एवं म्यांमार की फुटबाल टीमों ने अपने अभ्यास सत्र के लिए जसोला स्थित नेताजी सुभाष खेल परिसर (एन.एस.एस.सी.) में फुटबाल मैदान का उपयोग किया।
- यमुना खेल परिसर (वाई.एस.सी.) में सुविधाओं का उपयोग निम्नलिखित प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु किया गया :–

- दिनांक 21.4.08 से 24.04.08 तक लड़के और लड़कियों के लिए सेल नेशनल (एआईटीए रैकिंग), अंडर–14 टैनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
- दिनांक 25 से 26 अप्रैल 2008 तक 8,10 एवं 14 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए पहली इन्वीटेशनल जिमनास्टिक चैम्पियनशिप और लड़कियों (अंडर–14) के लिए रिद्मिक जिमनास्टिक (रिबन इवेन्ट) का आयोजन किया गया जिसमें 180 जिमनास्टों ने भाग लिया।
- दिनांक 24 एंव 25 मई 2008 को लाल बहादुर शास्त्री मैमोरियल स्केटिंग चैम्पियनशिप, 2008 का आयोजन किया गया। इसमें 15 स्कूलों एवं दि.वि.प्रा. के 8 खेल परिसरों के 211 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में दो स्पर्धाएं अर्थात स्पीड स्केटिंग एवं आर्टिस्टक स्केटिंग आयोजित की गई

- मेजर ध्यानचंद खेल परिसर (एम.डी.सी.एस.सी), अशोक विहार, का उपयोग निम्नलिखित प्रतियोगिताओं के लिए किया गया :–

- दिल्ली सरकार के संरक्षण में दिनांक 3 नवम्बर से 7 नवम्बर 2008 तक एम.डी.सी.एस.सी., अशोक विहार में दिमागी रूप से विक्षप्त बच्चों के लिए स्पेशल भारत ओलम्पिक का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक

इंटर–कॉम्प्लेक्स क्रिकेट कोचिंग अकादमी टूर्नामेंट की विजेता एवं उपविजेता टीमें

बच्चों ने भाग लिया।

- खेल विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2008 तक नेशनल टेनिस टूर्नामेंट (स्कूल स्तर) का आयोजन किया गया।

- वसन्त कुंज खेल परिसर का उपयोग निम्नलिखित प्रतियोगिताओं के लिए किया गया :–

- प्रो टेनिस अकादमी द्वारा दिनांक 17 नवम्बर से 21 नवम्बर 2008 तक 14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियों के लिए ए.आई.टी.ए. टेनिस टेलेंट सीरीज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 210 लड़कियों ने भाग लिया।
- सी.आर.पी.एफ. के संरक्षण में दिनांक 26 नवम्बर से 29 नवम्बर 2008 तक ऑल इंडिया पुलिस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आई. बी., बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. आदि से 22 टीमों ने भाग लिया।
- दिनांक 29 नवम्बर से 30 नवम्बर 2008 तक अपनी तरह का पहली बास्केट बॉल डंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 56 टीमों ने भाग लिया।

- दिलशाद गार्डन स्थित पूर्व दिल्ली खेल परिसर, (पीडीकेपी) में विभिन्न संगठनों द्वारा टेनिस, बैडमिंटन एवं क्रिकेट की राज्य/स्थानीय स्तर के टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया।
- अधिकांश खेल परिसरों में, खाली समय के दौरान बहुत से स्कूल विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए एवं अपने वार्षिक समारोह के आयोजन के लिए, खेल सुविधाओं का उपयोग करते हैं और खेल के मैदानों का प्रयोग करते हैं। स्कूलों एवं दूसरे संगठनों के द्वारा प्रशिक्षण के लिए तरणतालों का भी उपयोग किया जाता है।

12.3.3. प्रशिक्षण

- सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक, ताइक्वांडो आदि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। 120 से ज्यादा कोचिंग योजनाएं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के द्वारा चलाई जा रही है और लगभग 6000 प्रशिक्षणार्थी इन प्रशिक्षणों में भाग ले रहे हैं। कोचिंग स्कीम बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं।
- प्रशिक्षकों और दि.वि.प्रा. के बीच प्रशिक्षण प्रभार के राजस्व बंटवारे की अद्वितीय प्रणाली सफलतम सिद्ध हुई है। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी की तरह है और सभी स्टेक होल्डरों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए लाभकारी है। जहां एक और कोच की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वह खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाए और उन्हें प्रशिक्षण दे वहीं दूसरी ओर दि. वि.प्रा. के खेल परिसरों द्वारा समुचित रख–रखाव वाले खेल मैदान/कोर्ट्स और खेलकूद आधारित – संरचना उपलब्ध करायी जाती है। यह हमारा भरसक प्रयास है कि समाज के कमजोर वर्ग के 10% प्रशिक्षणार्थियों को फ्री कोचिंग प्रदान की जाए।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण

मई–जून 2008 में स्कूलो में ग्रीष्मावकाश के दौरान अधिकांश परिसरों में लोकप्रिय खेलों जैसे–क्रिकेट, टेनिस, बास्केट बॉल, आदि के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्पों का आयोजन किया गया। इन कैम्पों में बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। 12 खेल परिसरों में तैराकी प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया, जहाँ पूरे सीजन तरण–ताल (स्वीमिंग पूल) चलते हैं।

- सीरी फोर्ट खेल परिसर (एस.एफ.एस.सी.) में दिनांक 6 जुलाई 2008 के एन.बी.ए. (यू.एस.ए..) के संरक्षण में बास्केट बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोचिंग क्लीनिक का आयोजन किया। 300 से ज्यादा बच्चे इस कैम्प से लाभांवित हुए और उन्होंने अमेरिकी प्रशिक्षकों से नई तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया।
- प्रसिद्ध टैनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने 10 सितम्बर 2008 को एस.एफ.एस.सी. का दौरा किया एवं टैनिस कोचिंग स्कीम्स में प्रशिक्षण ले रहे उभरते हुए टैनिस खिलाड़ियों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए।

श्री महेश भूपति, सीरी फोर्ट खेल परिसर में उभरते हुए टेनिस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हुए

- दिनांक 13 मई से 14 जून 2008 तक सीरी फोर्ट खेल परिसर स्क्वैश कोर्ट में एक अद्वितीय स्क्वैश ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कैम्प का आयोजन स्क्वैश डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया

गया। एक एन.जी.ओ., जिसे आर.ई.ए.सी.एच.ए. कहा जाता है ने सीरी फोर्ट खेल परिसर में बच्चों के लिए महान स्क्वैश व्यक्तित्व जैसे रितविक भट्टाचार्य (5 बार नेशनल स्क्वैश चैम्पियन एवं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता) और डा. बी.आई. सिंह के सहयोग से स्क्वैश प्रशिक्षण योजना के साथ–साथ एक एस. डी.पी. को शुरू किया है। यह पहली ऐसी परियोजना है जिसमें दि.वि.प्रा. ने स्कूलों तक पहुँचने का प्रयास किया है ताकि स्कूल समय के दौरान, जो समय खेल परिसर के लिए व्यस्त नहीं होता, बच्चों और युवाओं के विकास के साधन के रूप में खेल को प्रोत्साहित किया जा सके। चूंकि इस परियोजना को सही ढ़ंग से लिया गया है, इसलिए इसे अन्य दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में आने वाले सत्र के दौरान, लागू करने का प्रस्ताव है।

12.3.4 खेल–कूद महोत्सव

सभी परिसरों में अक्तूबर–दिसम्बर 2008 के दौरान एक खेलकूद महोत्सव, जो सदस्यों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है का आयोजन किया गया। खेलकूद महोत्सव में सभी आयु वर्गों के लिए टूर्नामेंट में टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स जैसे व्यक्तिगत खेल आयोजित किए जाते हैं। यह खेल परिसर के सदस्यों और आश्रितों को प्रारंभिक स्तर पर भाग लेने की कोशिश और अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अच्छा कर दिखाने का अवसर प्रदान करता है। खेलकूद महोत्सव के साथ आमंत्रण टूर्नामेंट, टीम खेलों जैसे क्रिकेट, बास्केट बॉल, हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों का प्रत्येक खेल परिसर में आयोजन हुआ।

12.4 गोल्फ को प्रोत्साहन

(क) गोल्फ कोर्स / रेंज

- गोल्फ को संभ्रांत वर्ग का खेल माना जाता है जिसके खेल के मैदान सीमित हैं और ये सभी सदस्यता आधार पर हैं। यही कारण है कि आम आदमी इस खेल को नहीं ले पाता। इस तथ्य को ध्यान में रखकर दि.वि.प्रा. ने दिल्ली में कई गोल्फ परियोजनाओं में अग्रणीय कार्य किए हैं।
- देश की पहली नाइट ड्राइविंग रेंज का निर्माण सन 1989 में सीरी फोर्ट खेल परिसर में किया गया। देश का पहला पिच और पुट कोर्स (लघु गोल्फ कोर्स) भी सीरी फोर्ट खेल परिसर में 1999 ई. में विकसित किया गया। कुतुब गोल्फ कोर्स (क्यू.जी.सी.) लाडो सराय में एक और ड्राइविंग रेंज का विकास सन 1996 में किया गया और इसके बाद देश का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स जिसे कुतुब गोल्फ कोर्स (क्यू.जी सी.) कहा जाता है का विकास सन 2000 में किया गया। वर्षों तक देश का पहला और एकमात्र पब्लिक गोल्फ कोर्स गोल्फर्स में काफी लोकप्रिय हुआ एवं व्यस्त सीजन में लगभग 300 राउंड सप्ताह के अंत में खेले गए। इस कोर्स ने कई टूर्नामेंट और चैम्पियनशिप की भी मेजबानी की। कोर्स के लिए कई विकास कार्यों की भी योजना बनाई गई है।
- महानगर मे गोल्फ के विकास के लिए दि.वि.प्रा. ने उत्तरी दिल्ली में भलस्वा झील परिसर में एक और पब्लिक गोल्फ कोर्स का निर्माण किया गया है। वर्तमान में ड्राइविंग रेंज और 9 होल खेले जा रहे हैं। भलस्वा गोल्फ कोर्स में दिनांक 8 जनवरी 2009 को 9 होल प्रारंभ करने के साथ एक आमंत्रण टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
- एक और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स की योजना भी द्वारका में बनाई जा रही है। यह सेक्टर 24 में बनाया जाएगा जो लगभग 170 एकड़ का क्षेत्र है।

(ख) गोल्फ अकादमी

- कुतुब गोल्फ कोर्स स्थित ड्राइविंग रेंज का उन्नयन किया गया है। 250 गज के ड्राइविंग रेंज में सैण्ड बंकर और पिचिंग एरिया के साथ–साथ एक प्रैक्टिस ग्रीन है। प्रशिक्षण कक्ष में 'स्टेट ऑफ द आर्ट' सुविधा है। स्विंग एनालाइजर गोल्फ ड्राइविंग रेंज की खास विशेषता है।

(ग) गोल्फ प्रशिक्षण योजना

- दिनांक 10 जुलाई से 19 जुलाई 2008 तक कम से कम प्रभार पर एक कोचिंग कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें युवा और वृद्ध सभी ने भाग लिया।
- कुतुब गोल्फ कोर्स में प्रतिभा (टैलेंट) की तलाश के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। चयनित एवं सक्षम गोल्फर्स को गोल्फ प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान आयोजित मुख्य गोल्फ टूर्नामेंट

i) **डी.एल.एफ. विमेन्स प्रो गोल्फ टूर** – डी. एल. एफ. विमेन्स प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का प्रथम चरण कुतुब गोल्फ कोर्स में 16 सितम्बर से 19 सितम्बर 2008 तक, विमेन गोल्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यू.जी.ए.आई.), जो भारत में महिला गोल्फ के आयोजन और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है, के संरक्षण में खेला गया।

ii) **एडमिरल कप** – एडमिरल कप इंडियन नेवी एवं सिविल सर्विस के अधिकारियों, न्यायिक एवं डिपलोमैटिक कॉप्स के बीच खेला जाता है। यह प्रतियोगिता दिनांक 18 अक्तूबर 2008 को कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित की गई। मैदान का नेतृत्व महामहिम श्री तेजेन्द्र खन्ना, उप राज्यपाल, दिल्ली एवं एडमिरल सुरीश मेहता, नौसेना अध्यक्ष के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता भारतीय नौसेना ने जीती।

iii) **भारतीय गोल्फ समारोह** – एयरटेल द्वारा प्रायोजित इस प्रतियोगिता का आयोजन 4 दिन अर्थात् 29 नवम्बर 2008 से 2 दिसम्बर 2008 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में 400 से ज्यादा गोल्फर्स ने भाग लिया। प्रत्येक दिन उत्तम कार्डों के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।

iv) **सिविल सर्विसेस गोल्फ** – 20 दिसंबर, 2008 को कुतुब गोल्फ कोर्स में दिल्ली जोन के लिए सिविल सर्विसेज गोल्फ चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्विसेज के विभिन्न विभागों से 95 गोल्फर्स ने भाग लिया। इसके बाद दिनांक 7 मार्च एवं 8 मार्च 2009 को दो दिन की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस गोल्फ चैम्पियनशिप का आयोजन कुतुब गोल्फ कोर्स में किया गया। यह प्रतियोगिता केन्द्र और राज्य स्तर के सभी सिविल सेवा के अधिकारियों को एक सांझे मंच पर लाती है।

v) **सी.ए.जी. कप** – 14 फरवरी 2009 को खेला गया। सी.ए.जी. कप सी.ए.जी. टीम ने जीता।

vi) **एल.जी. कप** – उप राज्यपाल गोल्फ कोर्स के सबसे प्रतिष्ठित एल.जी. कप का आयोजन कुतुब गोल्फ कोर्स में दिनांक 21 फरवरी से 22 फरवरी 2009 तक दो दिन के लिए किया गया। इसमें लगभग 350 गोल्फर्स ने भाग लिया। क्षेत्र का नेतृत्व माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली, श्री तेजेन्द्र खन्ना, श्री एम.एस. गिल, माननीय खेल मंत्री एवं श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा किया गया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सिविल सर्विसेस के उच्चाधिकारी एवं डिप्लोमैटिक कॉप्स के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर को रंगीन बनाने के लिए लगभग 15 विन्टेज कारों का प्रदर्शन किया गया। पाइप व ड्रम, राजपूताना राइफल ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली कैंट के द्वारा प्रदान किया गया। वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. श्री नन्द लाल ने सबसे ज्यादा स्कोर 67 से एल. जी. कप जीता। श्री बलकार सिंह 68 के कुल अंकों से उपविजेता रहे। श्री तेजेन्द्र खन्ना, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने राजधानी में खेल सुविधाओं के प्रोत्साहन के लिए दि.वि.प्रा. के प्रयासों की सराहना की। वे कोर्स के रखरखाव को देखकर बहुत खुश थे। माननीय उप राज्यपाल ने पुरस्कार वितरित किए।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, टूर्नामेंट जीतने पर श्री नन्द लाल, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. को एल.जी. कप गोल्फ ट्रॉफी प्रदान करते हुए

- **इसके अतिरिक्त कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया।**
  - 11 जनवरी 2009 को इंडियन ऑयल कप।
  - दिनांक 31 जनवरी 2009 को कोहिनूर फूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट
  - दिनांक 21 मार्च 2009 को ट्रैवलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कप (टी ए ए आई)

12.5 खेल प्रोत्साहन परियोजना

- एथलेक्टिस एवं फुटबाल को आरम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए दि.वि.प्रा. ने क्रमशः 2001 एवं 2002 में दो खेल प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की थी। योजनाओं को दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त है एवं ये प्रशिक्षित सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में चलाई जा रही हैं। श्री जी.एस. रंधावा, अर्जुन अवार्ड विजेता और पद्म श्री प्राप्त, एथलेटिक्स सलाहकार हैं एवं श्री मैलविन डी सुजा, पूर्व फीफा रैफरी फुटबाल के सलाहकार हैं।
- समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रोत्साहन योजना की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं।

12.5.1 एथलेक्टिस प्रोत्साहन योजना

- इस समय 16, 18, और 20 वर्ष आयु वर्ग के 23 एथलेटिक्स अपने संबंधित क्षेत्र में कोचिंग ले रहे हैं। विभिन्न एथलेटिक्स खेलों में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	प्रतियोगिता	दिनांक	भाग लेने वालों की संख्या	प्राप्त पदक		
				स्वर्ण	रजत	कांस्य
1.	पूणे में आयोजित नेशनल फेडरेशन कप एण्ड नेशनल यूथ मीट	22.05.2008 से 24.05.2008 तक	10	1	3	1
2.	लखनऊ में आयोजित नार्थ जोन जूनियर इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट	02.08.2008 से 03.08.2008 तक	14	9	4	4
3.	जे.आर.डी.टाटा खेल परिसार जमशेदपुर में आयोजित 20वां नेशनल इंटर जोनल जूनियर एथलेटिक्स मीट	31.08.2008 से 02.09.2008 तक	08	6	1	0
4.	दिल्ली में आयोजित जिला एथलेटिक्स मीट	30.09.2008	07	8	1	0
5.	पूणे में आयोजित तीसरा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स	12.10.2008 से 18.10.2008 तक	03	0	0	1
6.	इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल मीट (हरिद्वार)	22.10.2008 से 24.10.2008 तक	06	2	1	1
7.	छत्रशाल स्टेडियम में आयोजित इंटर जोनल दिल्ली स्कूल मीट	08.11.2008 से 12.11.2008 तक	06	8	1	1
8.	इंटर कॉलेज एथलीट मीट	21.11.2008 से 23.11.2008 तक	03	3	2	0
9.	दिल्ली स्टेट सी.बी.एस.ई. एथलीट मीट	05.12.2008 से 07.12.2008 तक	04	9	1	0
10.	मेहसाना, गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया सी.बी.एस.ई. एथलेटिक्स मीट	21.12.2008 से 24.12.2008 तक	03	3	2	0
11.	कोच्चि, केरल मे आयोजित ऑल इंडिया इंटर–यूनिवर्सिटी एथलेक्टिस चैम्पियनशिप	20.12.2008 से 24.12.2008 तक	03	0	1	1
12.	एर्नाकुलम, केरल में आयोजित 54वां नेशनल स्कूल एथलेक्टिस चैम्पियनशिप	07.01.2009 से 11.01.09 तक	06	1	3	0
13.	केन्द्रीय सचिवालय मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 64वां दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2008–09	27.01.2009 से 30.01.09 तक	20	17	4	7

12.5.2 फुटबाल प्रोत्साहन योजना

- वसन्त वैली स्कूल द्वारा दिनांक 10 जून से 21 जून 2008 तक आयोजित दिल्ली यूथ फुटबाल लीग (अंडर–18) में दि.वि.प्रा. की फुटबाल प्रोत्साहन योजना के सीरी फोर्ट एवं यमुना खेल परिसर से दो टीमों (अंडर–18) ने भाग लिया। सीरी फोर्ट टीम, पूर्व चैम्पियन, ने खिताब जीता और यमुना खेल परिसर टीम चौथे स्थान पर रही।
- दि.वि.प्रा. फुटबाल प्रोत्साहन योजना में नए फुटबॉल प्रशिक्षणार्थियों को सिखाने के लिए फुटबॉल अभ्यास मैच का आयोजन सीरी फोर्ट में दिनांक 19 जुलाई और 20 जुलाई 2008 को तथा यमुना खेल परिसर में दिनांक 26 जुलाई से 27 जुलाई 2008 तक किया गया। 15 और 12 नए प्रशिक्षणार्थियों का क्रमशः सीरी फोर्ट और यमुना खेल परिसर में सिखाने के लिए चयन किया गया।
- दो टीमों, सीरी फोर्ट और यमुना खेल परिसर, प्रत्येक से एक को दिनांक 10 जुलाई से 14 जुलाई 2008 तक देहरादून एवं मसूरी की स्थानीय टीमों के साथ मैत्री मैच खेलने के लिए भेजा गया ताकि अलग–अलग स्थिति में खेल अनुभव और प्रदर्शन अनुभव प्राप्त किया जा सके।
- योजना के तीन प्रशिक्षणार्थियों ने दिल्ली में दिनांक 2 सितम्बर से 25 सितम्बर 2008 तक आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबाल टूर्नामेंट में, अपने स्कूल एयर फोर्स बाल भारती का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी उत्तम प्रस्तुति के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड प्राप्त किया।
- आठ प्रशिक्षणार्थियों को सितम्बर 2008 में 31वें नेशनल सब–जूनियन फुटबाल चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए एवं दिल्ली स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया।
- जमशेदपुर में दिनांक 12 जनवरी से 23 जनवरी 2009 तक आयोजित, अंडर–13 नेशनल फुटबाल चैम्पियनशिप में योजना के पांच प्रशिक्षणार्थियों ने दिल्ली स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया एवं तीन प्रशिक्षणार्थी हरियाणा स्टेट टीम के लिए खेले। उपर्युक्त प्रशिक्षणार्थियों में से एक (योहेश कुमार) को इंडिया कैम्प के लिए चुना गया है।
- एफ.पी.एस. के तीन प्रशिक्षणार्थियों ने दिनांक 21.01.09 से 25.01.09 तक मुम्बई में दिल्ली राज्य से अंडर–14 स्कूल नेशनल ने भाग लिया।

- सेंट कोलम्बस स्कूल दिल्ली में दिनांक 17 जनवरी एवं 18 जनवरी 2009 को ''टाटा टी जागो रे सोकर स्टार 09'' (आर्सेनल को गया) के लिए चयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एफ.पी.एस. के एविया गुजराल, माइकल चोंगटू और किसले सजवान को जून 2009 में कोलकाता में होने वाले चयन कैम्प में भाग लेने के लिए चुना गया।

12.6 खेल समाचार पत्र

त्रैमासिक खेल समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। यह खेल परिसरों के बारे में खेल से जुड़े विभिन्न संगठनों और स्कूलों को समाचार देता है जो इन परिसरों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान चार समाचार पत्र प्रकाशित किए गए।

12.7 विकास कार्य

सभी खेल परिसरों में बड़ा उन्नयन नियोजित किया गया है और कार्यान्वयन अधीन है। कुछ उन्नयन कार्य जो खेल शाखा के संरक्षण में किए गए हैं इस प्रकार हैं :–

- तीन बहु व्यायामशाला, दो जनकपुरी में एवं एक बिंदापुर हरित क्षेत्र में, का पूरी तरह नवीकरण किया गया। नए यंत्रों से सुसज्जित की गई हैं।
- साकेत एवं वसन्त कुंज के खेल परिसरों को कलात्मक यंत्रों एवं फ्लोरिंग के साथ नवीकरण और सजावट के बाद क्रमशः दिनांक 5 दिसम्बर 2008 और 23 दिसम्बर 2008 को खोला गया।
- द्वारका एवं वसन्त कुंज में बच्चों के लिए एक–एक सुन्दर पार्क का निर्माण किया गया जिनकी बहुत प्रशंसा हुई है।
- प्रताप नगर लघु खेल परिसर में दिनांक 27.09.08 को एक क्लब आकार के तरणताल का उद्घाटन श्री एच.एस. बाली, विधायक द्वारा किया गया।
- वसन्त कुंज खेल परिसर स्थित तरणताल को पूरी तरह नवीकरण के बाद दिनांक 30.12.08 को पुनः खोला गया था।
- रोहिणी खेल परिसर का तरणताल नवीकरण अधीन है जिसे अप्रैल 2009 मे खोला जाएगा।
- कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स का उन्नयन किया गया।

12.8 वित्त प्रबन्ध

डी.डी.ए. खेल परिसरों का निर्माण स्वंय का खर्चा चलाने के लिए किया गया है। यह सदस्यों द्वारा नामांकन लेने से संभव हो पाया है जो एक–कालिक प्रवेश शुल्क भुगतान के अतिरिक्त मासिक शुल्क भी देते हैं जो खेल परिसरों के रख–रखाव में सहायता करता है। यद्यपि खेल परिसर सदस्यता परक है और ये किसी के लिए भी पे एण्ड प्ले (भुगतान करो और खेलो) आधार पर उपलब्ध हैं। सामान्य आगंतुकों, जो एक दिन के सदस्य होते हैं, के लिए शुल्क/प्रभार काफी कम है और वहन करने योग्य है। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जाती है।

विस्तारणीय निर्माण कार्यों/महत्वपूर्ण स्वरूप में सुधार सहित खेल परिसरों के विकास और अन्य खेल सुविधाओं पर पूंजी व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नजूल लेखा–II खाते से पूरा किया जाता है। हालांकि, दिन–प्रतिदिन की खेल सुविधाओं के रख–रखाव का कार्य सदस्यता शुल्क और विविध प्राप्तियों द्वारा खेलकूद शाखा करती है। जहां अपेक्षित होता है, वहां पर कम लोकप्रिय परिसरों को अधिक लोकप्रिय परिसरों से प्रति–आर्थिक सहातया दी जाती है। परिसरों द्वारा सदस्यता हेतु इकट्ठी की गई अप्रतिदेय एक कालिक प्रवेश शुल्क राशि दि.वि.प्रा. मेन को जमा कराई जाती है।

द्वारका खेल परिसर में नया योग हॉल

साकेत खेल परिसर में बच्चों के खेलने का नया स्थान

दिन–प्रतिदिन के आधार पर संचालन और रख–रखाव जिसमें कर्मचारियों का वेतन, संस्थापना की लागत, हाउसकीपिंग, सुरक्षा शामिल है, का खर्च परिसर स्वयं वहन करते हैं। यह सदस्यता और भुगतान करो और खेलों की संकल्पना द्वारा सम्भव हो सका है।

लेखों का मासिक विवरण दि.वि.प्रा. मेन को भेजा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के सभी खेल परिसरों के वार्षिक खाते पूरे कर लिए गए हैं और मुख्य लेखाधिकारी को डी.डी.ए., मेन खाते में भेज दिए गए हैं। खेल परिसरों का बजट अगले वित्त वर्ष के डी.डी.ए. मेन बजट में शामिल कर लिया गया है। खेल शाखा के खातों की लेखा परीक्षा दि.वि.प्रा. के आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है और बाहरी लेखा परीक्षा सी.ए.जी. (कैग) कार्यालय द्वारा की जाती है। सभी खेल परिसरों के खातों की लेखा परीक्षा हो चुकी है।

सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं तथा नियमित आधार पर कम्प्यूटरीकृत बिल/सूचनाएं भेजी जाती हैं। चूक कर्ताओं के बैक लॉग का निपटान किया जा रहा है और ऐसे सदस्यों की सदस्यता नियमित आधार पर रद्द की जा रही है जिनके नाम लम्बे समय से चूककर्ताओं की सूची में विद्यमान हैं।

12.9 राष्ट्रमण्डल खेल 2010 हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थल

दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेल 2010 में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे अक्षरधाम मन्दिर के निकट राष्ट्रमण्डल खेल गाँव तैयार करने एवं निम्नलिखित प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण स्थलों का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है :–

प्रतियोगिता स्थल

सीरी फोर्ट खेल परिसर	बैडमिंटन एव स्कवैश
यमुना खेल परिसर	टेबल टेनिस एवं तीरंदाजी (आरंभिक)

प्रशिक्षण स्थल

सीरी फोर्ट खेल परिसर	तैराकी, बैडमिंटन और स्क्वैश
यमुना खेल परिसर	तैराकी, टेबल टेनिस, रिद्मिक, जिम्नास्टिक्स (महिला) लॉन बॉल और तीरंदाजी
साकेत खेल परिसर	बैडमिंटन
खेल गांव	एथलेक्टिस, तैराकी, फिटनेस सेंटर, कुश्ती और भारोत्तोलन

12.10 निष्कर्ष

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खेल परिसरों और अन्य खेल अवसंरचनाओं से न केवल स्वास्थ्य जागरूकता बल्कि उसके साथ–साथ दिल्लीवासियों के बीच खेल संस्कृति विकसित होगी।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में प्रशासनिक–सुविधा भवन

लाडो सराय में दि.वि.प्रा. गोल्फ कोर्स

रोहिणी खेल परिसर में स्वीमिंग पूल

सीरी फोर्ट खेल परिसर में इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम

13. उद्यान- राजधानी को हरा-भरा बनाना

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा–भरा रहने वाला वन मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश के श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों के विकास, वन क्षेत्र, हरित पट्टियां, गोल्फ कोर्स, खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ पार्क, टॉट–लॉट्स के कारण है, जो आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आसपास बने हुए हैं।

वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। फरवरी–मार्च 2009 में दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग द्वारा एक पुष्प प्रदर्शनी का भी सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

13.2 पिछले वर्ष की तरह दि.वि.प्रा. ने वसंत ऋतु के दौरान 27 फरवरी से 2 मर्च 2009 तक प्रदर्शनी पार्क, लेडी श्री राम कॉलेज के सामने ग्रेटर कैलाश–I में 25वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने ''एक उज्ज्वल भविष्य हेतु हरित क्षेत्रों का संरक्षण, परिक्षण और विकास'' लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया।

अपने प्रारंभिक काल से पाँच दशकों में दि.वि.पा.. दिल्ली निवासियों को सुखी एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हुए दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सफल रहा है। दिल्ली का विकास एक निरंतर चलने वाली एक व्यावसायिक प्रकिया है।

	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
	पेड़		झाड़ियाँ		पेड़		झाड़ियाँ	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
उत्तर	73,591	1,10,38,650	1,40,965	1,05,72,375	73,703	1,10,55,450	1,56,105	1,17,07,875
दक्षिण	1,11,550	1,67,32,500	1,19,200	89,40,000	1,12,220	1,68,33,000	1,18,937	89,20,275
कुल-	1,85,141	2,77,17,150	2,60,165	1,95,12,375	1,85,923	2,78,88,450	2,75,042	2,06,28,150

नए लॉन का विकास :				
	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
उत्तर	124.25 एकड़	1,86,37,500	85.00 एकड़	1,27,50,000
दक्षिण	118.20 एकड़	1,77,30,000	95.00 एकड़	1,42,50,000
कुल-	242.45 एकड़	3,63,67,500	180.00 एकड़	2,70,00,000
बाल कॉर्नर / सेट				
उत्तर	26	600000	18	90,000
दक्षिण	30	520000	22	1,10,000
कुल-	56	1120000	40	2,00,000

श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., पुष्प प्रदर्शनी देखते हुए

14. कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 'ग्राहक ही सर्वोपरि है' को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए गुणवत्ता का प्रयोग मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न विभागों में ही नही किया जाता बल्कि निर्माण कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य मात्र कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंताओं द्वारा ही नियमित रूप से नही किया जाता बल्कि आंतरिक रुप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसे अब कोटि आश्वासन कक्ष कहा जाता है, के स्तर पर समय–समय पर निरीक्षणों का आयोजन करके भी जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य ठेका शर्तों, विशिष्टियों और ड्राइंगों के अनुसार किया जा रहा है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसका वर्ष 1982 में थोड़े से कर्मचारियों के साथ गठन किया गया था जो अब 9 कनिष्ठ अभियंताओं, 10 सहायक अभियंताओं (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंताओं (6 सिविल और 1 विद्युत) एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता (कोटि–नियंत्रण) प्रमुख के साथ अपनी पूरी कर्मचारी संख्या सहित बढ़ गया है। कोटि आश्वासन में यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि में ही उत्तम नहीं है बल्कि प्लानिंग, डिजाईनिंग, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्युमेंट्स, स्पैसिफिकेशन आदि की कोटि में भी उत्तम है, और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय–समय पर दिशा–निर्देश और परिपत्र आदि जारी करती है। कुछ बड़ी परियोजनाओं/प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और सी.आर.आर.आई, आई.आई.टी. आदि अभिकरण भी परामर्शदाताओं के रूप में लिए गए हें।

14.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा फाउन्डेशन स्तर पर सुपर स्ट्रक्चर स्तर और अंतिम स्तर पर कम से कम तीन बार जांच होती है। कार्य पद्धति और कारीगरी के पहलू पर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। कोटि जांच परीक्षण के दौरान समुचित रूप से जांच की जाती है। नोट की गई कमी, यदि कोई हो तो उसे तुरंत उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया जाता है। कमी देखकर उसे दूर करने के लिए व्यापक निगरानी रखी जाती है।

14.5 अपनाई गई विशेष विनिर्दिष्टियों और तकनीकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और वर्तमान आवश्यकताएं, वातावरण, पर्यावरणीय परामर्श, नई निर्माण सामग्री का उपयोग, नई तकनीकियों, आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने के लिए उपयुक्त सुधार हो रहा है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना समय और मूल्य पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्याकताओं, सौंदर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

14.6 ''आकाश की ऊंचाईयों को छूना'' – इस तथ्य को मस्तिष्क में रखते हुए दि.वि.प्रा. लगातार सेवाओं/कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। प्रत्येक जोन में जोनल स्तर की परस्पर क्रियात्मक कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया और सतत् गुणवत्ता सुधार हेतु कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर अधीक्षण अभियंताओं ने अमूल्य सुझाव दिए। सी.पी.डब्ल्यू.डी./सी.आर.आर.आई/एन.सी.सी.बी.एम./एन.पी.सी. आदि विभागों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टॉफ को भेजा गया।

14.7 लंबे अरसे के कोटि नियंत्रण पैरा और मामलों को निपटाने के लिए भी बल डाला गया है, जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों, ए.टी.आर. में पड़े लम्बित मामलों के लिए कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से संबंधित अधिशासी अभियंताओं/अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं ने एक अभियान चलाया था और अंतिम कार्रवाई तक पहुंचने हेतु या तो मामले को बंद कर दिया गया या दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध प्रशासनिक/संविदात्मक कार्यवाई की गई। परिणामस्वरूप कोटि आश्वासन कक्ष वर्ष के दौरान 185 पुराने मामलों को निपटाने में सफल हुआ और उसकी अंतिम कार्रवाई तक अच्छी संख्या हो गई।

14.8 जब कभी भी शिकायत मिली कोटि आश्वासन कक्ष/इकाई के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता इकाई द्वारा सतर्कता कार्रवाई आरंभ की गई। वर्ष के दौरान ऐसे 17 मामले जाँचे गए थे।

14.9 कार्य के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक

नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित और उपयुक्त लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्सविलेज कॉम्पलैक्स में साधनों से सज्जित जांच लैब (एक सहायक अभियंता और 3 कनिष्ठ अभियंताओं सहित) बनाया हुआ है। यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है किंतु निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनो की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बहुत विश्वास पैदा करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति शक्ति युक्त हो गई है और इस संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बाहर के लैबों मे कम से कम 25% नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया गया है। दस अन्य लैब जैसे श्री राम टैस्ट हाउस और एन.टी.एच. दिल्ली टैस्ट हाउस भी सामग्रियों की जांच के लिए अनुमोदित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की कोटि आश्वासन लैब का और भी सुधार/मजबूत किया जा रहा है।

14.10 दि.वि.प्रा. ने आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ. 9001–2000 की कोटि प्रबंध प्रणाली – जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन, कोटि नीति उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंधः सेवा कार्यान्वयन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है, की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा कर दिए जाने के बाद और बी.आई.एस. कोटि प्रबंध प्रणाली से संतुष्ट होने के बाद ही भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2007 में दि.वि.प्रा. को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001:2000 के लिए ''कोटि प्रबंध प्रणाली'' प्रमाण लाइसेंस सी.आर.ओ./क्यू.एस.सी./एल 8002720 प्रदान किया जो मार्च 2010 तक मान्य होगा।

14.11 वर्ष 2008–09 के दौरान उपलब्धियाँ और वर्ष 2009–10 हेतु लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

क्र. सं.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (लक्ष्य)
1	निरीक्षण	366	361	268	226	318
2	तकनीकी जांच	-	12	4	-	11
3	नमूने/सामग्री	477	523	508	365	469
4	फाइलें बंद करना	441	410	450	185	340
5	शिकायतों की जाँच	9	8	21	17	25
6	कोटि आश्वासन प्रयोगशाला (नमूनों की जाँच)	5,247	3,955	4,780	7,510	8,100

कोटि आश्वासन प्रयोगशाला में जाँच की संख्या में वृद्धि मानको एवं सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में अधिक जागरूकता के कारण हुई है।

उत्तरी रिज़

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित एक हरित क्षेत्र का दृश्य

15. वित्त एवं लेखा विंग

15.1 बजट अनुभाग

यह दि.वि.प्रा. के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालय को निधि (फंड) जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय बंटवारे के संदर्भ में यह विभिन्न शीर्षों / परियोजनाओं पर खर्चों पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न कार्यालयों को वर्ष 2008–09 के दौरान जारी की गई निधि (फंड) का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

	(राशि लाख रुपयों में)
1. निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय लेखा इकाई / स्टोर डिवीजन / फ्लाईओवर लॉट I एवं II को जारी निधि (फंड) :–	
क) स्टोर सहित कार्य	72,607.01
ख) फ्लाईओवरों (यू.डी.एफ. में से)	1,325.35
ग) राष्ट्रमण्डल खेल 2010	20,600.00
घ) वेतन / अनुग्रह राशि इत्यादि	37,202.29
2. अन्य विभागों को जारी निधि (फंड)	
i) डी.एम.आर.सी.	24,494.00
ii) दिल्ली नगर निगम	
क) 50.00 लाख रूपये	
ख) यू.डी.एफ. में से 160.00 लाख रूपये	210.00
कुल :	**1,56,438.65**

15.2 लेखा अनुभाग (मुख्य)

मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्यतः प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के संकलन के लिए उत्तरदायी है जिसमें निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल है:–

(I) **नजूल लेखा** – I

इसमें दि.वि.प्रा. द्वारा 1957 में पूर्व दिल्ली सुधार न्यास से ली गई पुरानी नजूल सम्पदा से संबंधित मामले, लेन–देन शामिल हैं।

(ii) **नजूल खाता** – II

इसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और भूमि के निपटान से संबंधित लेन–देन शामिल है।

(iii) **सामान्य विकास खाता**

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है और इसमें सभी प्रकार की संपत्तियाँ जैसे कमजोर वर्गों के आवास एल. आई.जी., एम.आई.जी. एवं जिला केन्द्र इत्यादि जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ और प्राधिकरण की भूमि से संबंधित लेन–देन शामिल है और इन खातों के राजस्व से भुगतान किया जाता है।

यह विभाग मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) आदि सदस्यों वाली निवेश समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य भविष्य निधि लेखा, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी और शहरी विकास निधि के अंतर्गत सामान्य निवेश नजूल–II के निवेश के अतिरिक्त अधिशेष निधियों के निवेश का कार्य भी देखता है।

स्थिति

(क) वार्षिक लेखा

1. वर्ष 2005–2006 के वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए।
2. प्राधिकरण के वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली से 8.8.2008 को प्राप्त हुई। प्राधिकरण में उसे दिनांक 12.9.2008 को हुई अपनी बैठक में मद सं. 66 / 2008 के माध्यम से स्वीकार किया। लेखा–परीक्षित रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद उसे मंत्रालय भेजा गया। यह रिपोर्ट राज्य सभा में 23.7.2009 को तथा लोक सभा में 24.7.2009 को प्रस्तुत की गई।
3. प्राधिकरण का वर्ष 2007–08 का वार्षिक लेखा संकलित किया गया और प्राधिकरण ने दिनांक 29.9.2008 को हुई अपनी बैठक में मद सं. 68 / 2008 के माध्यम से इसे अनुमोदित किया। वार्षिक लेखा की महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ने नवंबर 2008 और जनवरी 2009 में लेखा परीक्षा जांच की। लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अंग्रेजी पाठ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) से 18.3.2009 को प्राप्त हो गया है और प्राधिकरण ने 3.6.2009 को हुई अपनी बैठक में उसे स्वीकार कर लिया है। अंग्रेजी पाठ मंत्रालय को भी 2.7.2009 को भेज दिया गया है। तथापि, लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी पाठ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी पाठ प्राप्त होने के बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अंग्रेजी पाठ मंत्रालय को भेजा जाएगा। वर्ष 2008–09 का वार्षिक लेखा संकलित कर लिया गया है और प्राधिकरण ने दिनांक 12.10.2009 को हुई अपनी बैठक में मद सं. 62 / 2009 के माध्यम से उसे स्वीकार कर लिया है और वार्षिक लेखा की लेखा–परीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को भेजा जा चुका है।

(ख) 31.3.2009 को अधिशेष निधि, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन निधि /ग्रेच्युटी निधि का निवेशः

निधि का नाम	राशि करोड़ में (रूपये)
सामान्य निधि निवेश	4490.61
नजूल लेखा–II निवेश	11674.31
सामान्य भविष्य निधि निवेश	695.19
पेंशन निधि निवेश	375.84
ग्रेच्युटी निधि निवेश	108.82
शहरी विकास निधि निवेश	1361.50
कुल	**18706.27**

(ग) भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि एवं भवन विभाग को भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान

सचिव (भूमि एवं भवन) विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को क्षतिपूर्ति/बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के संबंध में भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2008–09 के दौरान 40.41 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

(घ) सेवा कर

विभिन्न केन्द्रीय लेखा इकाईयों, लेखा अधिकारी (खेल), ''मंडप कीपर'' एवं ''हेल्थ एण्ड फिटनेस सेन्टर'' शीर्ष के अन्तर्गत उगाही योग्य सेवा कर एकत्र करते हैं एवं नियमित रूप से सेवाकर विभाग को प्रेषित करते हैं। तथापि, लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य को दि. वि.प्रा. की ओर से अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल करनी होती है। सितंबर 2009 को समाप्त होने वाली अवधि की अर्ध वार्षिक विवरणी, अंतिम तिथि के समाप्त होने से पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

15.3 वित्त एवं व्यय अनुभाग

वित्त एवं व्यय अनुभाग, मुख्य लेखा अधिकारी शाखा के नोडल कार्यालय के रूप में अनेक निम्न मामलों में कार्य करता हैः

(i) लेखा कॉडर का कॉडर नियंत्रण।

(ii) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के सहयोग से दि.वि.प्रा. लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन।

(iii) वित्तीय जटिलताओं सहित विभिन्न मामलों में भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का कार्यान्वयन।

(iv) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(v) सेवा मामलों/संस्थापना मामलों के संबंध में निजी दावों/मामलों पर वित्तीय सहमति।

(vi) दि.वि.प्रा. के किसी भी शाखा/अनुभाग द्वारा किसी भी प्रकार के मामलों मे केन्द्रीय सिविल सेवा के निबंधन एंव शर्तों पर स्पष्टीकरण /सलाह देना।

(vii) दि.वि.प्रा. के लेखा कॉडर की तैनाती एवं स्थानान्तरण।

15.4 निदेशक (वित्त) कार्यालय

(क) निदेशक (वित्त) कार्यालय की ड्यूटी एवं कार्य

अवस्थित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार निदेशक (वित्त), वित्तीय सहमति हेतु परियोजनाओं के प्रारंभिक अनुमानों की वित्तीय जाँच के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, निदेशक (वित्त) को श्रेणी 'ख' 'ग' एवं 'घ' अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में स्कूटर/मोटर साइकिल/आवास हेतु अग्रिम राशि अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है। उनके पास प्रतिदेय/अप्रतिदेय अग्रिम जी.पी.एफ. के अनुमोदन की भी शक्ति है एवं वे दि.वि.प्रा. के समूह 'ग' नियमित/संस्थापना कार्य–प्रभार के आवधिक एवं पेंशन संबंधी लाभ स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

उनको आगे प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रत्येक मामले में अधिकतम 25000 रूपये की सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमोदित करने का अधिकार है।

निदेशक (वित्त) को सभी मुख्य लेखा अधिकारी/वित्त शाखा हेतु सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। अभी तक सूचना अधिकार के अन्तर्गत 249 मामले प्राप्त हुए हैं और जिन मामलों में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी /शाखा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है उनको छोड़कर कोई भी मामला लंबित नहीं है।

जहां तक प्रारंभिक अनुमानों को वित्तीय सहमति का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान निपटाए गए प्रारंभिक अनुमानों/संशोधित प्रारंभिक अनुमानों के विवरण एवं दिनांक 31.03.2009 तक लंबित प्रारंभिक अनुमानों/प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या निम्न है :–

दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान जारी की गई वित्तीय सहमति

क्र. सं.	जोन	राशि जिसके लिए वित्तीय सहमति जारी की गई (करोड़ रूपये में)	अवधि के दौरान निपटाए गए प्रा.अ. की संख्या	लंबित/प्रक्रियाधीन प्रारंभिक अनुमान
1.	पूर्वी	152.92	25	5
2.	उत्तरी	295.19	9	2
3.	दक्षिण पूर्वी जोन	28.92	8	1
4.	दक्षिण पश्चिमी जोन	173.47	4	1
5.	रोहिणी	536.64	10	3
6.	द्वारका	410.52	12	4

7.	विद्युत	–	–	–
8.	शहरी गांव (सिविल)	–	–	–
9.	शहरी गांव (विद्युत)	–	–	--
	कुल	1597.66	68	16

15.5 कार्य लेखा–परीक्षा कक्ष

(क) वर्क ऑडिट सैल सभी छः जोन अर्थात् पूर्वी जोन, दक्षिणी पूर्वी जोन, दक्षिण पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, रोहिणी जोन एवं द्वारका जोन के मासिक लेखा के साथ जमा किए गए वाउचरों की लेखा परीक्षा के बाद (पोस्ट ऑडिट) का कार्य देखता है।

(ख) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए प्रारम्भिक अनुमान को वित्तीय सहमति।

(ग) डब्ल्यू.ए.बी. कार्यावली मदों की जाँच।

दिनांक 01.04.08 से 21.03.09 तक की अवधि के लिए कार्य लेखा–परीक्षा कक्ष I/I/III की स्थिति (स्टेटस) रिपोर्ट

क्रम.सं.	विवरण	कार्य-I	कार्य-II	कार्य-III	कुल
1.	माध्यस्थता मामलों की संख्या, जिन पर कार्रवाई की गई	57	20	34	111
2.	डब्ल्यू.ए.बी. मदों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई	38	23	31	92
3.	पी.ई./आर.पी.ई. की संख्या, जिन पर कार्रवाई की गई	51	21	83	155
4.	पेंशन मामले, जिन पर कार्रवाई की गई	1189	1375	1377	3941
5.	विविध	–	73	40	113

15.6 दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

दि.वि.प्रा. के पास प्राधिकरण के कर्मचारियों के पेंशन मामलों/पारिवारिक पेंशन मामलों को सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई हेतु केन्द्रित पेंशन कक्ष है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 727 पेंशन मामलों को निपटाया गया एवं पी.पी.ओ. जारी किए गए।

15.7 चिकित्सा कक्ष

यह अनुभाग दि.वि.प्रा. चिकित्सा योजना की नीतियों के अलावा हिताधिकारियों के प्रतिपूर्ति दावों की कार्रवाई के कार्य को देखता है जिनमें बहिरंग और अन्तरंग उपचार के संबंध में मुख्यालय में तैनात (केवल समूह क और ख) कर्मचारियों सहित योजना के पेंशन भोगी शामिल हैं। समूह क और ख और ग की पेंशन भोगियों के संबंध में दिनांक 01.04.2008 से 31.03.09 तक की अवधि के एवं सभी पेंशन भोगियों के चिकित्सा दावो की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र. सं.	दावे का प्रकार	दावों की सं.	राशि (रूपयों में)
1.	अन्तरंग इलाज	806	1,41,09,855.00
2.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओ.पी.डी. दावे	3025	49,63,414.00
3.	सेवारत कर्मचारियों के ओ.पी.डी. दावे	967	21,04,780.00
4.	विशेष बीमारी दावे	889	43,71,102.00
	कुल	–	2,55,49,151.00

15.8 संस्थापना अनुभाग :

संस्थापना अनुभाग अर्थात् संस्थापना (राजपत्रित), संस्थापना (अराजपत्रित), वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई. डब्ल्यू.) एवं लेखा अधिकारी (पी.ई.), मुख्यालय (विकास सदन और विकास मीनार) में तैनात प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिका का रखरखाव, वेतन बिलों को तैयार करना और दूसरे निजी दावों के अतिरिक्त संबंधित स्टाफ के जी.पी.एफ. लेखों के रखरखाव का कार्य देखता है।

15.9 जी.आई.एस. अनुभाग

क) जी.आई.एस. अनुभाग, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अतिरिक्त कर्मचारियों के (केवल मृत्यु के मामले में) सामान्य बीमा मामलों के दावों के कार्यों को देखता है।

ख) जी.आई.एस. शाखा द्वारा जे.जे. एवं स्लम में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को हितकारी निधि की अदायगी करता है। दि.वि.प्रा. के दूसरे कर्मचारियों को हितकारी निधि की अदायगी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा की जाती है।

एन.पी: वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान निपटाए गए मामलों एवं कार्रवाईधीन मामलों का विवरण निम्नानुसार है:–

विवरण	नियत मामलों की संख्या	कार्रवाईधीन मामलों की संख्या
जी.आई.एस.	183	56
पीएआईपी	8	3
बी. फण्ड	शून्य	1

15.10 आकस्मिक व्यय अनुभाग

यह अनुभाग आकस्मिक प्रकृति के अर्थात टेलीफोन बिल, लेखन सामग्री बिल, स्टाफ कारों (पेट्रोल/डीजल सहित) की मरम्मत एवं रखरखाव के बिलों, टूर/प्रशिक्षण बिल आदि के भुगतान के कार्य को देखता है।

15.11 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, 80 इकाईयों के लेखा परीक्षा के संचालन का लक्ष्य नियत किया गया एवं सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। मुख्यालय की 17 इकाईयों एवं 63 क्षेत्र इकाईयों की लेखा परीक्षा की गईं। इसके अतिरिक्त, 44 यूनिट में नकदी की आकस्मिक जाँच की गई।

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा. के अनुमोदन से आन्तरिक लेखा परीक्षा मैनुअल को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

15.12 बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष

वर्ष 2008–09 के दौरान बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष की निम्नलिखित उपलब्धियां रही :–

1. पी.ए.सी. /सी.ए.जी/ड्राफ्ट पैरा/तथ्यों का विवरण:

   मंत्रालय/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली को 3 पी.ए.सी. पैरा, 40 सी.ए.जी. पैरा, 9 ड्राफ्ट पैरा के उत्तर और 29 तथ्यों के विवरण भेजे गए।

2. प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

   वर्ष 2006–07 और 2007–08 के प्राधिकरण के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई और दिनांक 23.7.2009 को राज्य सभा में तथा 24.7.2009 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई।

15.13 भूमि लागत निर्धारण विंग

15.13.1 पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण

वर्ष 2009–10 के लिए पूर्व निर्धारित दरों के नियतन के उद्देश्य से दर संरचना, रोहिणी फेस–I, II एवं III तथा द्वारका के विकसित क्षेत्रों के संबंध में प्लॉटों/फ्लैटों के आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन विश्लेषित की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया।

15.13.2 लागत लाभ विश्लेषण

वर्ष 2009–10 के लिए नरेला टीकरी कलां और रोहिणी फेस–IV एवं V के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दिया और वित्तीय वर्ष 2009–10 के आरंभ होने के पहले दि.वि. प्रा. के उपाध्यक्ष से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। कार्यावली मदों की भी पुष्टि की गई और उन्हें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हेतु प्रधान आयुक्त एवं सचिव को प्रस्तुत किया गया।

15.13.3 अन्य महत्वपूर्ण मदें/उपलब्धियां

(क) संशोधित मुख्य योजना–2021 के प्रावधानों के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के अधीन परिसरों के मिश्रित उपयोग और व्यावसायिक उपयोग की अनुमति के लिए प्रभारों के निर्धारण से सम्बन्धित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को माननीय उप राज्यपाल के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया। इसके अनुमोदन के लिए एक संदर्भ मंत्रालय को भेजा गया है। अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) मुख्य योजना–2021 की अधिसूचना के साथ ही उपयोग परिवर्तन प्रभार लेने की दर–संरचना, दि.मु.यो.–2021 के परिणामस्वरूप होटलों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार तैयार किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए गए। तदनुसार इसके अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रस्ताव अधिसूचना जारी करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजे गए हैं। मंत्रालय ने अपना अनुमोदन पहले ही प्रेषित कर दिया है और अनुमोदित दरों की अधिसूचना जनता की सुविधा के लिए जारी कर दी गई है, ताकि लोग दि.मु.यो. 2021 के प्रावधानो के अन्तर्गत उसका लाभ ले सकें।

(ग) पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में स्थापित करने हेतु चार दीवारी शहर में चावड़ी बाजार आदि के बेदखल व्यक्तियों से ली जाने वाली पूर्व निर्धारित दरों के निर्धारण से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे इसी अवधि में तय किए गए थे। वर्ष 2009–10 की दरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ और भूमि निपटान विंग को नए वित्त वर्ष 2009–10 के आरंभ में पूर्व परिपत्र परिचालित किया गया।

(घ) वर्ष 2009–10 के लिए आबादकारों / अनधिकृत कब्जाधारियों से वसूल किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति की दरों को उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा. के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यावली मदों को भी प्रधान आयुक्त एवं सचिव को प्रस्तुत किया गया।

15.13.4 भू–भाटक/लाइसेंस शुल्क की वसूली

भू–भाटक की वसूली के लिए चूककर्ता आवंटितियों को पी.एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत 16906 चूककर्ता सूचना तथा 795 गैर वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गये जिसके परिणामस्वरूप भू–भाटक शुल्क के रूप में 62.13 करोड़ रूपये वसूल किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 61.97 करोड़ रूपये वसूल किए गए थे। इसी प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में 65.67 करोड़ रूपए की राशि वसूल की गई, जबकि इस अवधि में पिछले साल 47.08 करोड़ रूपये की वसूली की गई थी।

विकास सदन में अग्नि शमन अभ्यास का दृश्य

श्री तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, दिल्ली दिनांक 5.9.2008 को विकास मीनार में यू.टी.टी.आई. पी.ई.सी. की बैठक में।

श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. क्षेत्रीय योजनाओं की जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक के दौरान आपत्तियां/सुझावों की सुनवाई करते हुए

श्री नंदलाल, वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान पुरस्कार वितरण के अवसर पर दि.वि.प्रा. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

पुष्प प्रदर्शनी में पुष्प व्यवस्था

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय
भारत सरकार